राजस्थान विधान सभा

५ वीं बैठक, शुक्रवार, ४ मार्च, सन् १९५५ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन जयपुर में ८ बज कर ४० मिनिट

(प्रातः) पर प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तम लाल जोशी, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोतर
प्रश्न संख्या २२.

किशनगढ़ सब डिविजन में सन् ५४-५५ में रखतों में काश्त

श्री चांदमल मेहता—क्या वन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

१. किशनगढ सब डिवीजन में सन् ५४-५५ के वर्ष में किस-किस रखत में काश्त की गई ?

२. उक्त रखत में काश्त कराने के क्या कारण हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—(वन-मंत्री) किशनगढ़ सब डिवीज़न में किसी भी रखत में, जिस पर महकमा जंगलात का इन्तजाम है, काश्त नहीं की गई।

२. प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि किशनगढ़ सब डिवीज़न में लाम्बे के बीड में काश्त की गई ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—डिमार्केशन का कार्य पूरा न होने से कुछ रखत रेवेन्यु विभाग में ले ली गई है और हो सकता है कि वह बीड़ भी रेवेन्यु विभाग के अन्तर्गत हो।

१०. [illegible] **हता**—क्या यह सही है कि लाम्बे के बीड़ की जो आमदनी होती है वह फॉरेस्ट [illegible] होती है ?

११. अ...

१[illegible] **[illegible]सुन्दर शर्मा**—यह आप सूचना दे रहे हैं; आपकी इस सूचना के लिये शुक्रिया।

श्री चांदमल मेहता—रखत जिनके बारे में कहा जाता है कि रेवेन्यु विभाग के चार्ज में है तो उनकी आमदनी भी रेवेन्यु विभाग में जानी चाहिये ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—पुराने किशनगढ़ स्टेट के जमाने में रेवेन्यु और वन विभाग अलग अलग नहीं होने के कारण उनका डिमार्केशन अभी तक नहीं होने के कारण जो जंगल बहुत जरूरी थे उनको जंगलात विभाग से ले लिया गया है।

श्री चांदमल मेहता—जरूरी होने का सरकार के पास क्या क्राइटेरिया है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जरूरी का मतलब यह कि जिन जंगलों की रक्षा करना जरूरी है, वे जंगल।

श्री चांदमल मेहता—तो क्या इस बीड़ को सरकार आवश्यक नहीं मानती ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अवश्य मानती है।

श्री चांदमल मेहता—जब आवश्यक मानती है तो फिर इस बीड़ के बारे में क्यों कार्यवाही नहीं की गई ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—ऐसा खयाल है कि जो बीड़ है उसके चारों तरफ खेती होती होगी, जिसको रेवेन्यु में लेने से ज्यादा फायदा होता होगा, हो सकता है जंगलात में आने से वह फायदा नहीं हो सकता होगा।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस बीड़ से बहुत बड़ी आमदनी है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इस लाम्बे के बीड़ के बारे में अलग से सवाल पूछेंगे तो जवाब दे दिया जायगा।

श्री चांदमल मेहता—अभी तक फॉरेस्ट और रेवेन्यु ऐरिया के डिमार्केशन नहीं होने के क्या कारण हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—फॉरेस्ट और रेवेन्यु के एरियाज़ के डिमार्केशन में १५ साल का समय लग जायगा, चाहे कितनी भी जल्दी की जाय।

श्री चांदमल मेहता—अब कब तक किशनगढ़ सब डिवीज़न के फॉरेस्ट का डिमार्केशन हो जायगा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जब कि उसका नंबर आ जायगा।

श्री चांदमल मेहता—कब तक नंबर आ जायगा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह मैं आज नहीं बता सकता।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मंत्रीजी की यह जानकारी में है कि पिछले सेशन में यह आश्वासन दिया गया था कि इस वर्ष इसका डिमार्केशन हो जायगा ?

Page No.3

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह सूचना मेरे पास तो नहीं है। अगर ऐसा ही जवाब दिया गया है तो शीघ्र ही प्रयत्न किया जायगा।

श्री चांदमल मेहता—तो क्या माननीय मंत्रीजी के इस उत्तर से यह अर्थ लगाया जाय कि वे इसकी उपेक्षा कर रहे हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—उपेक्षा बिल्कुल नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—तो क्या समझा जाय ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह काम इतना बड़ा है कि जंगलात की सर्वे और सेटलमेन्ट की उपेक्षा न करके भी यदि बहुत जल्दी जल्दी किया जाय तो भी इसमें १०–१५ वर्ष का समय लग जायगा।

श्री चांदमल मेहता—काम ज्यादा है तो चार–पांच मिनिस्टर और क्यों नहीं लगाये जाते।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—पर यह काम तो करने वाले ही करेंगे, मिनिस्टर इसमें क्या करेंगे।

श्री चांदमल मेहता—क्या मिनिस्टर काम नहीं करते ?

कुं० श्री जसवन्तसिंह—मिनिस्टर काम के लायक नहीं हैं।

प्रश्न संख्या २३

डूंगरपुर व किशनगढ़ के अस्पतालों में डॉक्टर।

श्री चांदमल मेहता—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[१] डूंगरपुर की जनसंख्या कितनी है और वहां के हॉस्पिटल में डाक्टरों की संख्या कितनी है ?

[२] किशनगढ़ की जन संख्या कितनी है और वहां के हॉस्पिटल में डाक्टरों की संख्या कितनी है ?

[३] उक्त विभिन्नता के क्या कारण हैं ?

श्री कुम्भाराम आर्य—(स्वास्थ्य मन्त्री) :

[१] जन संख्या ६६१४ है और डाक्टरों की संख्या ४ है।

[२] जन संख्या २५,६६६ है और डाक्टरों की संख्या ५ है।

[३] राजस्थान निर्माण से पूर्व इकाइयों में जो डाक्टरों की संख्या थी वही चली आ रही है। इस सम्बन्ध की रैशने लाइजेशन की योजना सरकार के विचाराधीन है।

श्री चांदमल मेहता—यह योजना कब से विचाराधीन है ?

श्री कुम्भाराम—थोडे ही दिनों से ।

श्री चांदमल मेहता—और कब तक समाप्त करने का विचार सरकार रखती है ?

श्री कुम्भाराम—जल्दी ।

श्री चांदमल मेहता—जल्दी से क्या मतलब लगाया जावे ? कोई अवधि मुकर्रर करने की क्या सरकार स्थिति में नहीं है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—जल्दी की अवधि जल्दी ही होती है ।

श्री हिम्मत सिंह—६ महीने में तो हो जावेगा ?

श्री कुम्भाराम—पहले ।

श्री जवानसिंह—रैशनेलाइजेशन का आधार क्या है ?

श्री कुम्भाराम—वह जब यह कार्य होगा तो उसके साथ ही निश्चित हो जावेगा और छप कर राजपत्र में आपको पढ़ने को मिल जावेगा ।

श्री जवानसिंह—आधार के क्या माने हैं जन संख्या के आधार पर है या किसी और को आधार माना है, मैं यह पूछना चाहता हूं ।

श्री कुम्भाराम आर्य—मैंने कहा न कि जो भी निर्णय इस पर होगा वह राजपत्र में आपको पढ़ने को प्रकाशित करवा दिया जावेगा ।

श्री खेतसिंह—सरकार किसी आधार पर विचार तो कर रही है ? क्या आप यह बतावेंगे कि अभी तक सरकार किस आधार पर पहुँच चुकी है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—जो सरकार अभी विचार कर रही है वह अन्तिम नहीं है, इसलिए यह कहा नहीं जा सकता कि किस आधार पर पहुँची है ।

प्रश्न संख्या २४

सन् ५४-५५ में राजस्थान में नये तैयार किये गये वन

श्री चांदमल मेहता—क्या मन्त्री, वन विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री चांदमल मेहता]

(क) सन् ५४–५५ के वर्ष में वन विभाग द्वारा राजस्थान में कितने एकड़ भूमि में नये वन कायम किये गये ?

(ख) उक्त वन कहां कहां कायम किये गये हैं ?

(ग) उक्त वर्ष में वन विभाग की कितनी भूमि काश्त के लिये रेवेन्यू विभाग के सुपुर्द की गई ?

श्री बृजसुन्दर—चूंकि सवाल में इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मांगी गई है कि जो इतने थोड़े समय में आ नहीं सकती थी। इसके लिये माननीय अध्यक्ष महोदय, आज्ञा करने की कृपा करेंगे कि इसे आगे कुछ समय बाद ले लिया जावे।

श्री हरि कृष्ण व्यास—रूल्स ऑफ प्रोसीजर में जहां इस प्रकार की अवधि बढ़ाने का जिक्र है वहां जिक्र एड्मिसिबिलिटी के साथ है और यह अधिकार मात्र अध्यक्ष को दिया गया है कि वे चाहें तो ज्यादा समय देकर १५ दिन के बाद किसी तिथि को उत्तर के लिये रक्खें। मेरी यह मान्यता है कि यदि इस प्रकार की दरख्वास्त किसी को भी करनी है तो उनको वह दरख्वास्त उस समय करनी चाहिये जब कि क्वेश्चन छपा न हो। प्रिन्ट हो जाने के बाद इस प्रकार की दरख्वास्त करना रूल्स के मातहत ठीक नहीं जंचता। इसलिए माननीय अध्यक्ष, मैं कहूंगा कि आप इस पर आगे के लिए कम से कम एक प्रोसीजर ले डाउन कर दें।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट,

प्रश्न संख्या २४

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस पर क्या चैक किया साहब ?

श्री अध्यक्ष— It is not necessary

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इस पर फिर हाउस में भी इजाजत मांगी जा सकती है ?

श्री अध्यक्ष—Order! Order!!

श्री हरिकृष्ण व्यास—आप इस पर निर्णय तो दीजिये।

श्री अध्यक्ष—There is no point to decide. The rules are very clear.

श्री हरिकृष्ण व्यास—The rules Say that a question may be placed for

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

answer at a later date if the Speaker so permits. After placing for answer can it be raised ?

श्री अध्यक्ष—Next, Shri Mehta

प्रश्न संख्या २५

राजस्थान के निर्माण के पश्चात् सी. ए. एस.नम्बर एक का चुनाव

श्री चांदमल मेहता—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[१] राजस्थान के निर्माण के बाद कितनी मरतबा सी. ए. एस. नम्बर १ का सिलेक्शन किया गया ?

[२] उक्त सिलेक्शन कब कब किया गया और किस किस योग्यता वाले व्यक्तियों को कब कब इन्टव्यू के लिए बुलाया गया ?

[३] क्या सरकार सी. ए. एस. नम्बर १ का फिर सिलेक्शन करने का विचार रखती है ?

[४] यदि हां, तो कब तक और किस योग्यता के डाक्टरों को इन्टव्यू के लिये आमन्त्रित करेगी ?

श्री कुम्भाराम आर्य—सिवाय मेडिकल कॉलेज के लेकचरार्स के एकीकरण के लिहाज से केवल एक ही बार सी० ए० एस० क्लास १ का सिलेक्शन किया गया है।

[२] उपर्युक्त चुनाव सी० ए० एस० क्लास १ का राजस्थान जन सेवा आयोग ने अक्टोबर, ५२ में किया और उसमें मैडिकल विभाग के सभी डाक्टर जो कि राजपत्र २६ अगस्त, ५० में प्रकाशित नियमानुसार प्रार्थनापत्र देने के हकदार थे, इन्टव्यू के लिए अक्टूबर, ५२ और जनवरी, ५३ के बीच बुलाये गये।

[३] फिलहाल नवीन चुनाव का कोई विचार नहीं है। किन्तु रिक्त पदों पर सरकार उन्हीं अफसरों को फिर मौका देना चाहती है जो एक बार जन सेवा आयोग से सी. ए. एस, क्लास १ के पद के लिए नहीं चुने गये। इसके अलावा कुछ व्यक्तियों को जो पहले इन पदों के हकदार नहीं थे उन्हें भी एक बार चुनाव का मौका दिया जाने का विचार है।

[४] जिन व्यक्तियों के लिए पुनः विचार किया जावेगा उनकी योग्यता, सेवाकाल इत्यादि का प्रश्न सरकार व जनसेवा आयोग के विचाराधीन है। तत्पश्चात् अगर आवश्यकता हुई तो जनसेवा आयोग उनको इन्टव्यू के लिए आमन्त्रित करेगा।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि ५२–५३ में इन्टव्यू के लिए जिनको बुलाया गया उस वक्त कोई कैटेगरीज़ नहीं थी? भिन्न भिन्न कैटेगरीज़ के लिए भिन्न भिन्न तारीखों पर दो बार बुलाया गया?

श्री कुम्भाराम—जनसेवा आयोग जिन जिन को बुलाता है उसके लिए यह पहले निश्चत किया जाता है कि उनका किन आधारों पर चुनाव होगा। बिना आधार न किसी का चुनाव होता है न बुलाये ही जाते हैं।

श्री चांदमल मेहता—यह आधार निश्चित किसके द्वारा होता है; जनसेवा आयोग के द्वारा होता है या हरकार के द्वारा?

श्री कुम्भाराम—इसमें दोनों हो सकते हैं।

श्री चांदमल मेहता—दोनों में से इस पर्टिक्यूलर मामले में है कौन? ५१–५२ में एक क्राइटेरिया मुकर्रर किया गया और ५२–५३ में दूसरा तो अलग अलग क्राइटेरिया जो मुकर्रर किये गये हैं वह जनसेवा आयोग की तरफ से किया गया या सरकार की तरफ से किया गया?

श्री कुम्भाराम आर्य—यह शुरू में हो जाता है। जब आयोग ने बुलाया था उस वक्त रियासतें सब अलग अलग थीं, उनका एकीकरण किया जा रहा था। इसलिये जनरल रूप से ही बुलाया गया था।

श्री चांदमल मेहता—अब आइन्दा क्या एक क्राइटेरिया मुकर्रर करने का विचार है?

श्री कुम्भाराल आर्य—जी हां।

श्री खेतसिंह—क्या सरकार के विचाराधीन ऐसी भी कोई नीति है कि सी. ए. एस. क्लास १ और २ को जिस तरह मद्रास और दूसरी दूसरी स्टेटों में एक कर दिया है, उसी तरह यहां भी उनको एक करने का सरकार का विचार है?

श्री कुम्भाराम आर्य—नहीं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—अभी माननीय मन्त्री ने डॉक्टरों के चुनाव का जिक्र किया। पर क्या पी. एस. सी. इलेक्ट करती है या सिलेक्ट करती है?

श्री कुम्भाराम—सिलेक्शन होता है साहब।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—तो सिलेक्शन का हिन्दी माने चुनाव कब से अख्तियार किया गया?

श्री कपिलदेव अग्रवाल—यह लेटेस्ट सर्वे हुआ है। सिलेक्शन की हिन्दी आप ही बता दें नहीं तो।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा लोगों को इन्टर्व्यू के लिये बुलाये जाने के आदेश दिये जाने के बाद सरकार द्वारा पी. एस. सी. को प्रार्थना की गई कि आप कुछ समय के लिये यह काम स्थगित कर दें ?

श्री कुम्भाराम आर्य—मै समझा नहीं ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि पी. एस. सी. द्वारा डाक्टरों को इन्टरव्यूं में आने के सिलसिले में सूचना दिये जाने के बाद राजस्थान सरकार ने पी. एस. सी. को यह कहा कि आप इन डाक्टरों के सिलेक्शन का काम कुछ समय तक के लिए स्थगित कर दें ?

श्री कुम्भाराम आर्य—ऐसा नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने इस आधार पर कि हम सारे के सारे विभागों के ऑरगेनाइजेशन पर फिर से विचार कर रहे हैं इसलिए अभी सिलेक्शन का काम नहीं किया जावे इस आशय का पत्र पी. एस. सी. को भेजा है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—मैं स्मरण के रूप में नहीं कह सकता इस वक्त ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या मन्त्रीजी के ध्यान में यह है कि इस प्रकार के कार्य पर पी. एस. सी. ने एतराज करते हुए अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—इस वक्त याद नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या मन्त्रीजी यह बतावेंगे कि ऐन मौके पर कोई चीज यदि याद न आवे तो मदद के लिए सरकार क्या कर रही है इन मन्त्रीजी के लिए ?

श्री कुम्भाराम आर्य—आपसे परामर्श करेगी सरकार।

श्री हरिकृष्ण व्यास—नहीं; मैडिकल विभाग इसका क्या इन्तजाम कर रहा है, अगर याददाश्त इस प्रकार हाउस में जाती रहे तो ?

प्रश्न संख्या २६

सन् ५४,५५ में पेड़ लगाओ आन्दोलन के अन्तर्गत व्यय।

श्री चांदमल मेहता—क्या मंत्री, वन विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

(क) सन् ५४, ५५ के वर्ष में 'पेड़ लगाओ' आन्दोलन में सरकार द्वारा कितने रुपये खर्च किये गये ?

(ख) इस वर्ष कुल कितने पेड़ लगाये गये और उनमें से कितने मौजूद हैं ?

(ग) गत वर्ष के लगाये हुए कितने पेड़ों का इस वर्ष पालन किया गया ?

(घ) किशनगढ़ सब डिविज़न में राजस्थान के निर्माण के बाद वन-विभाग द्वारा लगाये गये पेड़ों की संख्या कितनी है और उनमें से कितने मौजूद हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वन मन्त्री)—इस प्रश्न में पेड़ों की तादाद चाही गई है; जो कि आ नहीं सकी है इसलिए मैं निवेदन करूँगा कि कुछ समय पश्चात् यह सवाल लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—I will look in to the Rules and then give the decision.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह —माननीय मंत्रीजी का यह महकमा है जो टाइम पर जवाब नहीं देता है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—आखिर महकमा जंगलात ही तो है साहब।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—उसका इलाज होना चाहिए। आज-कल मैडिकल साइन्स बहुत डेवलप होगई है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—हमारे माननीय सदस्य ने पेड़ों की तादाद चाही है जंगलों से।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या मंत्री महोदय में भी जंगल की क्वालिटीज़ आ गई हैं ?

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—एसोसियेशन का असर है।

श्री अध्यक्ष—The question are so little and if some of them are not answered there is no life in the house.

श्री कपिलदेव—what is the need of it ?

श्री अध्यक्ष—of having any life ?

श्री कपिलदेव—yes .

श्री अध्यक्ष—Thn I am sorry.

प्रश्न संख्या २७

राजस्थान की राजकीय सेवा में शरणार्थी डाक्टर।

श्री चांदमल मेहता—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान की सेवा में ऐसे कितने शरणार्थी डॉक्टर हैं जो विभाजन से पूर्व अविभाजित भारत के उन प्रान्तों की नौकरी में थे जो अब पाकिस्तान के प्रान्त बन गये हैं ?

(२) क्या यह सही है कि ऐसे डॉक्टरों की पिछली सेवाओं के कार्य-काल को मान्यता देने के लिये भारत सरकार के आदेश हैं ?

(३) यदि हां, तो राजस्थान सरकार की तरफ से उस आज्ञा के अन्तर्गत क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री कुम्भाराम आर्य (स्वास्थ्य मंत्री)—(१) राजस्थान सरकार के मेडिकल डिपार्टमेन्ट में १२ डाक्टर हैं जिनके नाम ये हैं:—

सी. ए. एस. श्रेणी २—

(१) डॉ० ए. मुकर्जी, डॉ० काकुमल जे० चन्द्रानी, डॉ० नारायण अन्दानी, डॉ० पी. जे. टाकुर, डा० मेहताराम परसूमल, डॉ० प्रीतमसिंह, डॉ० परमानन्द वी. मलहोत्रा, डॉ० एच. आर. मेहता, ।

सी. ए. एस. श्रेणी १

डॉ० श्रीमती सरला प्रकाश, डॉ० पी. आर. मेहता, डॉ० जे० नोछानी, डॉ० आर. एस. डोगरा ।

(२) जी नहीं । राजस्थान सरकार की जानकारी में ऐसा कोई आदेश नहीं हैं ।

(३) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या इस तरह का सर्क्यलर माननीय मन्त्री महोदय की सेवा में पेश करने पर सरकार कोई कार्यवाही करने को तैयार है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—जी हां ।

श्री अध्यक्ष—Any other supplementary.

प्रश्न संख्या २८

राजस्थान के विभिन्न विभागों में सेवा विनिमय विभाग द्वारा कर्मचारियों की नियुक्तियां

Page No.11

श्री जवानसिंह—Will the Minister for Labour be pleased to state:—

(a) Which of the Government departments recruited their staff through the Emploment Exehange during the year 1954?

(b) Is it a fact that some of the Government Departments make the appointments without the aid of the Employment Exchange?

(c) Are there no strict Rules that appointments in Gavernment Departments should aways be made through the Employment Exchange?

(d) If so, how is it that so many Government Departments make the appointments directly?

(e) Is the Government thinking of stopping this practice very soon?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मन्त्री)—(क) राजस्थान व भारत सरकार के ३६ विभाग में लिये गये हैं, जिसकी तालिका सदन की मेज़ पर रखी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

(ख) हां।

(ग) नहीं।

(घ) प्रश्न (ग) में दिये गये उत्तर के कारण यह प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ङ) यह केवल विचारभेद है।

(च) (ङ) में दिये गये उत्तर के पश्चात् यह प्रश्न नहीं उठता है फिर भी सरकार सम्बन्धित विभागों को आज्ञात्मक आदेश जारी करने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने में सरकार असमर्थ है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैंने अर्ज़ किया कि हम विचार कर रहे हैं स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने के लिये। मेन्डेटरी डाइरेक्टिव्ज़ जारी नहीं किये हैं।

श्री जवानसिंह—उसका ही तो मैं पूछ रहा हूं। आप फरमा रहे हैं कि रूल्स नहीं बनाये हैं, विचार कर रहे हैं; तो अब तक क्या किया? राजस्थान को बने ५ वर्ष हो गये करीब-करीब।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जो अभी तक किया गया है वह आपके सामने है (हंसी)।

श्री हरिकृष्ण व्यास—५ साल से सरकार विचार कर रही है तो कार्य रूप में परिणित करने के लिए और कितने वर्षों की आवश्यकता होगी?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—आपका सुझाव तो अच्छा है ? जल्दी ही विचार करेंगे ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इस आशय का सर्क्यूलर राजस्थान सरकार की ओर से शाया हुआ है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—सर्क्यूलर जरूर भेजा गया है डिपार्टमेंट्स को, लेकिन वह मेन्डेटरी नहीं है । डिपार्टमेंट्स को कहा गया है वह उधर से लें ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि सर्क्यूलर को मेन्डेटरी नहीं मानने का आधार क्या है ? क्या उसमें लिखा है कि वह मेन्डेटरी नहीं है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह उसकी भाषा है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या उस सर्क्यूलर में यह नहीं लिखा गया है कि पहले कमिश्नर को पूछा जाय कि तुम्हारे पास सरप्लस लोग हैं या नहीं ? उसके बाद में एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेन्ज से पूछताछ करके रिक्रूटमेंट किया जाय तो उसको मेन्डेटरी नहीं मानने का क्या आधार है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैंने अर्ज किया कि उसकी भाषा है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या राजस्थान सरकार के विभागीय अध्यक्षों के लिए राजस्थान सरकार के सरक्युलर मानना अनिवार्य नहीं है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह सरक्युलर विशेष की भाषा पर मुनस्सर है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वह कौन सी भाषा है कि जिसके आधार पर मानने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह अंग्रेजी में बताऊं या हिन्दी में ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—आप जो ज़बान समझते हैं उसमें बता दें । मैं तो दोनों ही समझता हूं ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—'May' है, 'Should' है, 'shall' है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस सरक्यूलर में डेफिनिटली कौन सा शब्द या कौन से शब्द इस्तेमाल किये गये हैं । मैं वह चाहता हूं । आम तौर से 'May', Should' नहीं ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इसके लिए तो मैं वह सरक्युलर देखकर ही बता सकता हूं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या राजस्थान सरकार अब मेन्डेटरी और क्लियरकट सरक्युलर शाया करने के लिए विचार कर रही है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह तो मैंने प्रश्न के जवाब में कहा है कि विचार कर रही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार एक निश्चित अवधि बता सकती है कि जिसके अन्दर इस मामले का फैसला हो जायगा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं समझता हूं कि शीघ्र तो मैं नहीं कहता, लेकिन जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी किया जायगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह समय दिनों में लगेगा या महीनों में लगेगा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—महीनों में भी हो सकता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह समय वर्षों में भी लग सकता है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—भारत सरकार से पूछकर ही निर्णय किया जायेगा।

श्री जवानसिंह—यह सरक्युलर कब इश्यू हुआ था ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह सवाल अलग से पूछिये।

श्री जवानसिंह—कौनसे महीने या साल में हुआ था ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—सरक्युलर के बारे में प्रश्न नहीं किया गया था।

श्री जवानसिंह—There is already one question, part (e) is very specific, "Are there any instructions or rules from the Government ?"

श्री बृजसुन्दर शर्मा—I have said 'No.'

श्री जवानसिंह—Not even instructions also ?

श्री बृजसुन्दर सर्मा— आपने स्ट्रिक्ट रूल्स के बारे में पूछा है।

श्री जवानसिंह—आपने अपने जवाब में बतलाया है कि स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं बने हैं, सरक्युलर इश्यू किया गया है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा— यह सप्लिमेन्ट्री में बतलाया गया है।

श्री जवानसिंह—सप्लिमेन्ट्री में क्या सरकार गलत बता सकती है (हंसी)।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—सवाल आपका स्ट्रिक्ट रूल्स के बारे में था न कि इन्सट्रक्शन्स के मामले में।

श्री जवानसिंह—सरक्युलर इश्यू हुआ है वह कौन से साल में इश्यू हुआ है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—उसके लिए अलग सवाल पूछिये।

श्री अध्यक्ष—उनसे पूछेंगें तो जबाब देगें।

श्री जवानसिंह—आखीर सरक्युलर इश्यू होने के बाद में कितना अरसा होगया कि जिसके अन्दर स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं बनाये जा सके ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा— मैं आप से माननीय अध्यक्ष के द्वारा अर्ज़ करना चाहता हूं कि किस तारीख को इश्यू हुआ, कब हुआ, यह अलग प्रश्न है। यह विचाराधीन है मैंने कहा है वह विचाराधीन है ही।

श्री जवानसिंह—स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने में अभी तक सरकार को क्या आपत्ति आई है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इस पर विचार किया ही नहीं गया है तो स्ट्रिक्ट रूल्स कैसे बनायें ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—जो एम्प्लॉयमेण्ट एक्सचेंजेज राज्य सरकारों को दिये जाने की बात हो रही है तो राजस्थान सरकार उसके साथ-साथ अपने आदेश भी भेजे, और मेन्डेटरी सर्क्यूलर इश्यू करें कि रिक्रूटमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेन्ज के थ्रू किया जाय।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अलग अलग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेन्जेज़ को राज्य सरकार द्वारा ले लेने के निर्णय के बाद सरकार विचार करेगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उसी के साथ-साथ मैंने पूछा है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह विचार किया जा सकता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कब तक ?

श्री अध्यक्ष—श्री जवानसिंह, नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २६

विकास योजना के अन्तर्गत विभिन्न अस्पतालों में व्यय की स्वीकृति

श्री जवानसिंह—क्या स्वास्थ्य विभाग मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) डेवलपमेन्ट स्कीम की तहत वर्तमान वर्ष में किस-किस अस्पताल के लिये कितना-कितना रुपया मंजूर हुआ ?

(ख) सिरोही जिले के लिए कितना रुपया मंजूर हुआ ?

Page No.15

श्री कुम्भाराम आर्य (स्वास्थ्य मंत्री)—(क) डेवलपमेन्ट स्कीम के तहत वर्तमान वर्ष में निम्नलिखित अस्पतालों के लिए जो रुपया मंजूर हुआ उसका विवरण इस प्रकार है :—

(१) सवाई मानसिंह अस्पताल के लिए ५ लाख रुपये।

(२) आउट पेशेन्ट ब्लॉक सवाई मानसिंह अस्पताल के निर्माण के लिये ५ लाख रुपये।

(३) नर्सिंग होम, टी० बी० अस्पताल, जयपुर, के अस्पतालों के विकास के लिये १ लाख ५० हजार।

(ख) इस मद में सिरोही अस्पताल के लिए कोई रुपया मंजूर नहीं हुआ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—जयपुर के अलावा और कौन से अस्सताल पर डेवलपमेन्ट के तहत रुपया खर्च हुआ ?

श्री कुम्भाराम आर्य—इसके अतिरिक्त और कहीं भी रुपया खर्च नहीं हुआ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या जयपुर अस्पताल ही ऐसा है जिसमें मरीज़ आते हैं दूसरी जगह नहीं आते ?

श्री कुम्भाराम आर्य—जी, आपने क्या कहा ?

कुं० श्री जसवन्तसिंह—जी मैंने यह निवेदन किया कि जितने मरीज़ राजस्थान में हैं वे सब जयपुर में ही आते हैं दूसरी जगह नहीं आते जिससे डेवलपमेंट की तहत आपने दूसरी जगह रुपया खर्च नहीं किया ?

श्री कुम्भाराम आर्य—मरीज़ सभी जगह आते होंगे।

श्री जसवन्तसिंह—तो फिर दूसरे अस्पताल को नहीं रखने का क्या कारण है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—यहां मरीज़ों के लिए कुछ ज़्यादा आकर्षण है ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—दिमाग़ के मरीज कहां ज्यादा होते हैं ?

श्री कुम्भाराम आर्य—यहां आते हैं खास तौर से।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यहां कोई खास व्यवस्था है क्या ?

श्री कुम्भाराम आर्य—जी हां।

श्री हरिकृष्ण व्यास—पहले कितने मौजूद हैं ?

एक सदस्य—एक।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या सरकार की जानकारी में यह चीज़ है कि डिस्ट्रिक्ट हैड क्वाटर, कोटा के अस्पताल को भी इस स्कीम में लाना आवश्यक है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—मैं तो नहीं समझा आपका मतलब।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या सरकार की जानकारी में यह है कि कोटा अस्पताल का नया निर्माण हो रहा है इसलिए उसको नई स्कीम में लेना आवश्यक है ? कोटा के अस्पताल को रुपया मिलेगा या नहीं ?

श्री कुम्भाराम आर्य—बहुत से सदस्य आपस में बातें करते हैं इसलिए मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ता।

श्री कंवरलाल जेलिया—मैं अब सीधा सवाल पूछता हूं। कोटा में अस्पताल का निर्माण हो रहा है इसके लिए जितने रुपयों की आवश्यकता होगी उतने देंगे या नहीं ?

श्री कुम्भाराम आर्य—जो आवश्यकता है वह पूरी होगी।

श्री कंवरलाल जेलिया—मैं यह जानना चाहता हूं कि इस स्कीम में कोटा के अस्पताल के लिये रुपया है या नहीं ?

श्री कुम्भाराम आर्य—दूसरी स्कीम में है।

श्री कंवरलाल जेलिया—किस स्कीम में ?

श्री कुम्भाराम आर्य—आपको मकान बना कर देंगे।

श्री कंवरलाल जेलिया—माननीय मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि मेरी मंशा सिर्फ इमारत से नहीं है बल्कि अस्पताल के लिए जो और साधन आवश्यक होते हैं उनको भी उपलब्ध करने की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री कुम्भाराम आर्य—उसमें सब साधन जुटाये जाने का ध्यान सरकार को है और सदस्य महोदय के विश्वास के लिए कह देना चाहता हूं कि आगे जल्दी कमी ध्यान में आयेगी।

श्री कंवरलाल जेलिया—'आगे' से आपका क्या मतलब है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—अगले साल; नया बजट।

श्री किशनलाल शाह—अभी मन्त्रीजी ने कहा कि जयपुर में मरीज़ों के लिये आकर्षण अधिक है क्योंकि अस्पताल के लिए खर्चा जयपुर में ज्यादा करते हैं इसलिये मरीज़ों को ज्यादा आना पड़ता है या जयपुर से मरीजों को ज्यादा आकर्षण है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—यह धरती ही ऐसी है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय मन्त्रीजी अपने अनुभव से इस बात का जिक्र करते हैं क्या ?

श्री कुम्भाराम आर्य—यह मेरा अनुभव नहीं लोगों का है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आप अपने अनुभव से कह रहे हैं या सुनी-सुनाई कह रहे हैं ?

श्री कुम्भाराम आर्य—मैं सुनी-सुनाई नहीं कहता।

श्री जवानसिंह—प्रश्न के (ख) भाग के जवाब में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस साल के अन्त तक कोई स्कीम मंजूर होने वाली है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—मैं सदस्य महोदय से जानना चाहता हूं कि वे चाहते क्या हैं ?

श्री जवानसिंह—लिखित रूप में आपके पास भेज दिया है। व्यक्तिगत रूप में मैं कोई नवीन बात नहीं चाहता ?

श्री कुम्भाराम आर्य—भविष्य में देखा जायगा, अभी तो सन्तोष करना ही अच्छा रहेगा।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—वह तो बिना कहे भी करना पड़ेगा।

श्री कुम्भाराम आर्य—आपकी मजबूरियों को ढीला करने की कोशीश करूंगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेडिकल विभाग में सन्तोष की मात्रा कितनी हो रही है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—यह हमारे कुशल डाक्टरों का परिणाम है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—कुछ माने समझ में नहीं आया कि क्या ढीला करेंगे ?

श्री कपिलदेव अग्रवाल—इसके लिये आप फिर स्कूल जॉइन करें।

कुं०श्री जसवन्तसिंह—अगर ऐसी भाषा काम में आयेगी तो फिर से स्कूल जॉइन करना ही पड़ेगा।

फेक्ट फाइन्डिंग कमेटी के प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री लालसिंह शक्तावत—अध्यक्ष महोदय, दिनांक १४ सितम्बर, सन् १९५४ ई०, को सदन में बिजली का पंखा गिरने की जो घटना हुई थी उसकी जांच और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के हेतु माननीय अध्यक्ष ने एक फेक्ट फाइन्डिंग कमेटी नियुक्त की थी, मैं उस कमेटी के प्रतिवेदन को सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

अनुपूरक मांग संख्या ८०-राज्य सरकार द्वारा लोन्स एण्ड एडवान्सेज़

श्री अध्यक्ष—अब सप्लीमेंटरी डिमान्ड्स ली जायगीं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक मांग की स्वीकृति जो ३ लाख ५ हजार से अधिक नहीं है, श्रीमन् राजप्रमुख को ३१ मार्च, सन् १९५५ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ग्रान्ट नं० ८० मेजर हैड लोन्स एण्ड एडवांसेज, के लिये दी जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री हरिकृष्ण व्यास अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, यह जो प्रस्ताव प्रस्तुत हुवा है उसमें १०००) रु. की कटौती की जाय, इस आशय का मेरा प्रस्ताव है। मैंने इसको इस कारण से रखा है कि सरकार जो कर्जा देती है उसका हिसाब अभी तक टीक तरह से नहीं रखा गया है। इस कमी और इस गम्भीर खामी की ओर इस सदन का, और सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये मैंने यह प्रस्ताव रखा है।

आज करीब करीब पांच या छः रूप में यह कर्जा दिया जाता है। कुछ व्यक्तियों को दिया जाता है वह अलग है। लेकिन तकावी के लिए आम तौर से तीन रूप में कर्जा दिया जाता है। एक फेमीन तकावी है, दूसरी साधारण रेवेन्यू तकावी। और तीसरी तकावी, जिसका प्रचलित नाम है, मशीन तकावी, जो कि भारत सरकार द्वारा 'अधिक अन्न उपजाओ' इस कार्य के लिये दी जाती है।

यह जो तीनों प्रकार की तकाबियां दी जाती हैं, इसके अलावा आज कल तो इसकी तादाद कम हो गई है, परन्तु रिहेबिलिटेशन की ओर से भी काफी कर्जा इस ओर दिया जाता रहा। जिस मद्द का जिक्र अभी हो रहा है उसमें तो स्थानीय संस्थाओं को भी, जो कर्जा दिया जाता है उसका भी उल्लेख है। मैं विशेष तौर पर जो यह तकावी के रूप में रकम दी जाती है और वह भी खास तौर पर मशीन तकावी के रूप में जो तकावी दी जाती है, और इसमें आज तक जो खामियां बरती गई हैं, उनकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

लाखों रुपया भारत सरकार से राजस्थान सरकार ने मशीन तकावी के रूप में लिया है। आज से ३ वर्ष पूर्व राजस्थान सरकार ने एक आदेश निकाला था कि इस मशीन तकावी के रूप में किसी को ट्रेक्टर खरीदने के लिये; पम्पिंग सेट लेने के लिये जो रुपये दिये जायं और जो सामान इस रुपये से खरीदा जाय वह सामान सरकार के पास गिरवी के रूप में रखा जाय। सरकार द्वारा, जहां तक कि मुझे याद पड़ता है, १९५२ में निकाले गये एक सर्क्यूलर में इसका उल्लेख है। बावजूद इसके कि राजस्थान सरकार ने इस प्रकार का सर्क्यूलर निकाला जिसमें यह साफ साफ था कि हमारे सरकारी रुपयों से और उस व्यक्ति के मिले जुले रुपयों से जो जो सामान खरीदा जाय, वह सरकार के पास गिरवी रखा जाय। बावजूद इसके जितनी रकम ट्रेक्टर, मशीनें, पम्पिंग सेट खरीदने के लिये कर्ज के रूप में दी गई, उनमें से पांच और दस फी सदी छोड़कर, किसी में उन मशीनों, ट्रेक्टरों और पम्पिंग सैट्स आदि को सरकार के पास गिरवे नहीं रखा। जहां तक मैंने सुना है ऐसी भी हालत है कि साल भर पहले, दो साल पहले, लोगों ने सरकार से कर्ज ले लिया, यह कह कर कि हम ट्रेक्टर, पम्पिंग सैट् लगायेंगे। कर्ज लेने के बाद में साल भर, दो साल का अर्सा बीत जाने के बाद भी आज तक न उन्होंने

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

ट्रेक्टर्स खरीदे हैं और न मशीन्स ही खरीदी हैं और न रुपया ही सरकार के पास वापिस जमा कराया है। यदि सरकार की तरफ से 'अधिक अन्न उपजाओ' इस नाम पर कर्ज दिया जाता है तो इसकी स्थिति ऐसी है, जिसे उधर बैठे हुए कई माननीय सदस्य भी जानते हैं, कि वह कर्ज लिया जाता है खेती के लिये, मशीन खरीदने के लिये. और कई सज्जन उस कर्ज की रकम से कपड़े की दूकान खोल लेते हैं और ऐसा भी है कि ब्याज बटोरने के लिये वह कर्ज का रुपया इधर उधर चल रहा है और आज तक ट्रेक्टर नहीं खरीदे गये हैं। फिर भी राजस्थान सरकार की ओर से कोई भी कार्यवाही इस दिशा में नहीं की गई है।

जिन लोगों को किसी विशेष कार्य के लिये कर्ज के रूप में रुपया दिया और यदि उस विशेष कार्य के लिये उस रुपये को काम में नहीं लिया गया तो ऐसे व्यक्तियों से सरकार को वह रुपया तो वसूल करना ही चाहिये। साथ ही ऐसे राज्य को धोखा देने वाले लोगों के ऊपर सरकार को मुकदमा भी चलना चाहिये। पर आज के दिन कम से कम २० ऐसे केस होंगे जिनमें लोगों ने कर्जा ले लिया है, पर न मशीनरी खरीदी है और न उस कर्ज को उस काम के लिये उपयोग में लिया है जिसके लिये उनको वह रुपया दिया गया था और न सरकार में वह रुपया वापिस जमा ही कराया है।

अब रहा सवाल हिसाब का। माननीय अध्यक्ष, यह सब को मालूम है कि इस कार्य के लिए जो रुपया लोन के रूप में दिया जा रहा है, उसका हिसाब और बाकायदा रजिस्टर, कितना रुपया किस को दिया गया, इसकी पूरी खाना पूर्ति बाकायदा रखें, ऐसी स्थिति आज राजस्थान की तहसीलों के अन्दर नहीं हैं। हकीकत तो यह है कि एक एक कर्ज के कागजात ऐसे बन्डल बांध बांध कर धागे से गांठ लगाकर सैकड़ों हजारों की तादाद में पड़े हुए हैं। और यही स्थिति रही तो आयन्दा राजस्थान सरकार के हिसाब किताब पर, उसकी आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है और जिनको दरअसल मदद करनी पड़ रही है उनको छोड़ दीजिये, पर ऐसे भी कई धोखेबाज आदमी हैं, जो इस तकावी लोन का नाजायज फायदा उठा कर सरकार को डिफ्रॉड करेंगे।

इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये मैंने यह कटौती का प्रस्ताव रखा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस बात को भूल कर कि किसने यह कटौती का प्रस्ताव रखा है, हकीकतन इसकी ओर ध्यान देंगे और इसके लिये निश्चित तिथि मुकर्रर करेंगे। इस बात को ध्यान में रख कर कि जिन लोगों ने सरकार को धोखा दिया है और जिस काम के लिये पैसा कर्ज लिया उस काम में खर्च न करके और कामों में लगाया है और जिन अधिकारियों ने इस बारे में नेग्लीजेंस बरती, सुस्ती की और गिरवी रखने के सरकारी आदेश की अवहेलना की, उन सब के मामलों को निश्चित तिथि तक निबटा लेंगे, ऐसी तसल्ली वे सदन को दिलायेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। नहीं दिलायें तो उनकी मर्जी है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष, अभी मेरे मित्र जो जोधपुर से आये है, उन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है उसको मैं सपोर्ट करते हुए ज्यादा न कह कर यही कहूंगा कि यह तो एक आमतौर पर राजस्थान भर में सबको विदित है कि जो लोन तकावी के रूप में दिये जाते है उनमें कम से कम

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

५० प्रतिशत तो धोखेबाजी और भ्रष्टाचार है। यह बात मंत्री महोदय भी जानते हैं और ऑफिसर्स भी जानते हैं। खेती के लिये, बैल जानवर खरीदने के लिये या मशीन खरीदने के लिये जो तकाबी दी जाती है उसमें से ५० प्रतिशत या तो सरकार को धोखा देकर ली जाती है या ऐसे लोगों को दी जाती है जिनको किसी तरह से अफसर या सरकार द्वारा मदद देने का विचार हो। यह तो आम बात है, किसी से छुपी नहीं है।

इस पर ज़्यादा न कह कर मैं सम्बन्धित मंत्री महोदय से और मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि राजस्थान में यह भ्रष्टाचार बहुत भयंकर रूप धारण कर चुका है और जो एन्टी करप्शन कमीशन मुकर्रर किया है उसको पहला काम लोन्स फॉर तकावीज का ही सौंपा जाय और एन्टी करप्शन कमीशन कर्तव्य-परायणता से काम करके दिखायेगा, तो सरकार को सब अच्छी तरह से मालूम हो जायगा कि इसमें किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है। जिन लोगों को तकावी के रूप में रूपये दिये गये हैं उन्होंने जिस कार्य के लिये यह कर्जा दिया गया उस काम के लिये इस्तेमाल किया है या नहीं किया है, या आज तक उन रुपयों को उस काम में न लगा कर दूसरा नया धंधा शुरू करने के लिये या और काम करने के लिये काम में लिया है, इस सब की जांच, अनुभव सिवाय एन्टी करप्शन कमीशन के और कोई अच्छी तरह नहीं कर सकता।

श्री एच० के० व्यास ने जो बातें बताई, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट द्वारा कितना ही आश्वासन दिला दें यह बात पार पड़ेगी नहीं, वही ब्यूरो-क्रटिक, रेड टेपिज्म और फेवरेटिज्म आयेगा और इस समस्या का हल नहीं होगा। इसलिये इस समस्या को जो कि भयंकर रूप धारण कर रही है उसको मिटाना है तो एन्टीकरप्शन कमीशन को यह जो लोन्स फॉर तकावीज के लिये रुपया दिया जाता है उस मामले को सौंप दिया जाय।

श्री चांदमल मेहता—माननीय अध्यक्ष, मेरा कटौती का प्रस्ताव रखने का मक्सद राजस्थान सरकार का ध्यान उस उपेक्षा नीति की ओर दिलाने का है, जो किशनगढ़ म्युनिसिपेल्टी को लोन देने के सम्बन्ध में रही है।

माननीय अध्यक्ष, पिछले दो वर्षों में राजस्थान सरकार ने कई म्युनिसिपेलिटियों को कर्ज दिया है उसके लिये तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि किशनगगढ़ के बारेमें लोन न देकर उसके साथ घोर उपेक्षा बरती है। किशनगढ़ म्युनिसिपेलिटी चुनी हुई म्युनिसिपेलिटियां में से है और यह प्रथम बार १९४७ में बनी। राजाओं के वक्त में सिर्फ राजाओं के महलों तक जाने वाली सड़कें ही बनाई गई थीं या उन स्थानों के नालीयें और खुरे बने जहां धनाढ्य आदमी रहते थे। ज्योंही वहां म्युनिसिपेलिटी चुनी हुई बनी उसका ध्यान इस ओर गया। उसको ८ हजार का बजट मिला था, लेकिन फिर भी उसने कई तरह के आय के साधनों को बढ़ा कर १॥ लाख तक का बजट बढ़ा दिया और कई काम किये जो वहां होने आवश्यक थे। राजाओं के समय में और भूतपूर्व राजस्थान सरकार के समय में सड़कों का जिम्मा सरकार का था लेकिन अब यह जिम्मा भी म्युनिसिपेलिटी को दे दिया गया है। वहां की म्युनिसिपेलिटी ने आज से २॥ वर्ष पूर्व यह मांग की थी कि उसको कुछ

[श्री चांदमल मेहता]

रुपया जो करीब ५ लाख के है लोन दिया जावे। इसके सम्बन्ध में सरकार को यह आश्वासन भी दिया गया था कि हम अमुक समय में यह रकम वापिस दे देंगे। मगर सरकार ने उसकी तरफ कोई तवज्जह नहीं दी। पिछले वर्ष जब मैंने आंकड़े मांगे कि किन किन म्युनिसिपेलिटियों को लोन ५३–५४ में दिये गये और किशनगढ़ को नहीं देने का क्या कारण है, तो उस समय एक बड़ी लिस्ट हमारे सामने आई। उससे यह मालूम हुआ कि सरकार लोन देना चाहती है, लेकिन जब किशनगढ़ म्युनिसिपेलिटी को लोन नहीं देने के बारे में पूछा गया तो कहा गया कि उससे कुछ मालूमात किये जा रहे हैं जिसका किशनगढ़ म्यनिसिपेलिटी ने अभी तक जवाब नहीं दिया। इसलिए ऋण नहीं दिया गया।

मैंने फिर दुबारा जानकारी हासिल करने की कोशिश की कि किस तारीख को चिट्ठी लिख कर मालूमात किये जा रहे हैं। मगर कोई तारीख नही बताई गई। मैंने किशनगढ़ में जांच की तो मालूम हुआ कि कोई चिट्ठी पत्री नहीं लिखी गई। मैं यह जानना चाहता था कि उन्होंने रुपया क्यों नहीं दिया। चिट्ठी की बात तो एक जवाब देने की बात मात्र थी। वस्तुस्थिति तो यह है कि वह मामला २॥ वर्ष से सरकार के पास पेन्डिंग पड़ा है। वहां पर कई जगहें ऐसी हैं जहां सड़कों की बहुत जरूरत है। हरिजन भी अपनी बस्ती में सड़कों की मांग करते हैं। जहां मजदूर लोग रहते हैं वहां की हालत भी खराब है, शहर की सड़कों की हालत भी खराब है। इसलिये मैं राजस्थान सरकार से बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि किशनगढ़ म्युनिसिपेलिटी की उपेक्षा क्यों की जा रही है जब कि दूसरी म्युनिसीपेलिटियों पर पूर्णतया कृपा रही है। मैं उम्मीद करूंगा कि माननीय मंत्रीजी जो रुपया इस साल है उसमें से किशनगढ़ की जो मांग है उसको पूरी कर देंगे।

(श्री किशनलाल शाह द्वारा बोलने के लिये खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष—पहले जिनके कट मोशन्स हैं उनको बोलने दीजिये, फिर आप बोलें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, एक छोटा सा कटौती का प्रस्ताव मेरा और है; वह १०० रुपये की कटौती का है। उसका कारण भी मैंने वहां जिक्र कर दिया है और चूंकि यह बहुत ही दिलचस्प घटना है और शायद यह एक करीब-करीब जादूगर की या बाजीगर के खेल जैसी घटना है इसलिये मैं इसका विशेष उल्लेख करना चाहूंगा। काफी बड़े-बड़े लोगों का इसमें हाथ बताया जाता है और मैं यह चाहूंगा कि डेवलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट के सम्बन्धित मन्त्री जो है वे भी इस सिलसिले में ध्यान दें। घटना इस तरह की है, माननीय अध्यक्ष, कि पिछले वर्ष जहां तक मुझे याद है अक्टूबर के अन्त की बात है भारत सरकार से एक नेशनल एक्सटेन्शन ब्लॉक मंजूर होकर आया जिसका नाम है कनकपुरा विस्तार सेवा खंड। यह ध्यान में लाने लायक चीज़ है कि जयपुर तहसील पहले बहुत बड़ी थी उसका एक भाग बस्सी विस्तार खंड में कवर हो गया और दूसरा भाग कनकपुर। विस्तार सेवा खंड के अन्तर्गत मंजूर हो कर आया। इस बीच में राजस्थान सरकार के सचिवालय में तहसीलों के पुनर्सङ्गठन की बातचीत चल रही थी और बड़े-बड़े अधिकारियों को मालूम हो गया था कि तहसीलों का पुनर्सङ्गठन होने वाला है तो अचानक ही ३१ अक्टूबर को जब उसका उद्घाटन होने वाला था उसके दो दिन पहले कनकपुरा

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

में उसका उद्घाटन न रख कर मुआना गांव में रख दिया था। लोगों ने बहुत कहा कि कनकपुरा से मुआना कैसे पहुँचे। तो कहा कि मुआना में हो तो क्या होता है किसी एक महत्वपूर्ण गांव में हो गया। इस उद्घाटन होने के कुछ ही दिनों बाद तहसीलों का फिर से बंटवारा हो गया। तब यह कहा जाता है कि भारत सरकार का ऐसा आदेश है कि एक तहसील से दूसरी तहसील की हद में कोई भी दूसरा ब्लॉक नहीं खोला जाना चाहिये और चूंकि इसका उद्घाटन मुआना में हो गया है इसलिये अब तो इसको सांगानेर के अन्दर ही रहना पड़ेगा। नतीजा यह होता है कि कनकपुरा विस्तार खंड जो था वह दूसरे गांव में कायम हो गया और आज भी ऑफिसर लोग जो तनख्वाह पाते हैं वे अपना बिल बनाते हैं तो कनकपुरा विस्तार खंड से। सिर्फ कनकपुरा विस्तार खण्ड के नाम से खर्च हो रहा है लेकिन कनकपुरा गांव उसनें नहीं है। यह हैरानी की बात अवश्य होगी कि यह कैसे हुआ। इसके पीछे भी कुछ पृष्ठभूमि अवश्य है। यह मुआना गाँव है उसके बिल्कुल नजदीक एक गांव है जिसका नाम है नेवता। इस नेवता गांव में कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों की जमीनें पड़ती हैं और दूसरी चीज़ यह कि इसे मुआना गांव में रखा है जिसका नतीजा यह होगा कि दुर्गापुरा और सांगानेर पूरा इसमें आ गया। कुछ गांव जो इसमें आ जावेंगे उनके कुछ अच्छे तकदीर हैं और हर गांव के अच्छे तकदीर होने चाहिये, क्योंकि पहले बस्सी नाम का एक्स्टेन्शन ब्लॉक था उस समय भी उसको फायदा हुआ। यानि दोनों को फायदा मिल चुका है क्योंकि पहले बस्सी में थे और अब तहसीलों का पुनर्गठन हुआ तो यह नया कनकपुरा ब्लॉक बना। इसलिये बस्सी का फायदा उठाया सो उठाया ही अब कनकपुरा का फायदा उठाने की स्थिति में है। अब आप ख्याल करें कि किस विचित्र प्रकार से फायदा उठाया गया है। इसका हैडक्वार्टर बदल दिया और ऐसा कार्य किया जिसे क्या एब्सरडिटी कहा जावे या मखोल कहा जावे। ऐसा मखोल आज तक नहीं हुआ, और आज हो रहा है। आज भी यह ऑर्डर इस्यू हो रहे हैं :—

"Following person is appointed as Officer in charge for the Kanakpura National Extension Block-"

It is Kanakpura National Extension Service Block. कनकपुरा इसमें गायब है।

ऐसी स्थिति क्यों हुई, कैसे हुई, मेरा यह साफ दावा है कि कुछ लोगों ने मेन्यूपुलेशन किया है। जब उन्हें मालूम हुआ कि तहसीलों का पुनर्गठन होने वाला है तो उन्होंने जानबूझ कर हैडक्वार्टर बदलवा कर ऐसी स्थिति पैदा की कि आयन्दा विशेष गांवों को फायदा दिया जा सकता है। मैं इसलिए सदन का और माननीय मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि वे इसकी जांच करें और जांच हो कर न्याय किया जाय और यह कटौती का प्रस्ताव भी इसीलिए रखा है। वे इस पर प्रकाश डालना हो तो प्रकाश डाल दें और इस बात को कबूल करके इसको सुधारने की तसल्ली कर दें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—(वित्त मंत्री) माननीय अध्यक्ष, हमारे माननीय जोधपुर से आने वाले सदस्य ने तकावी के बारे में इस सदन का ध्यान आकर्षित किया है और यह जाहिर किया है कि तकावी के मामलों में, जो तकावियां दी गई हैं, वास्तव में लोगों ने पम्प्स या ट्रेक्टर्स खरीदे या नहीं खरीदे

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

और वे रुपये उपयोग में आये या नहीं आये, और इस का बहुत दुरुपयोग हुआ है । हो सकता है कि किसी वक्त जब कि 'ग्रो मोर फूड' के सिलसिले में यह कर्जा दिया गया, शर्त यह रखी थी कि जो अपना आधा रुपया लगायगा उसको सरकार इस बारे में मदद देगी और उससे सबूत लिया जाता था कि वे आधा रुपया लगा लें, वे या तो ट्रेक्टर्स की खरीद के सिलसिले में जो इन्वॉयसेज आते थे उनको पेश करते थे और किसी डीलर से बातचीत होती थी तो उसकी रसीद दिखाते थे और प्राइमाफेसी इस बात को कहते थे तो लोन एडवान्स करते थे । फिर भी इस बात की शिकायत महसूस हुई और आई भी कि रुपयों का दुरुपयोग हुआ है । तो इसकी सख्ती से पाबन्दी करने के लिए सारे जिले के अधिकारियों को फिर से लिखा गया कि वे जब तक इस बात की जांच न कर लें कि उन्होंने आधा रुपया लगाया है तब तक लोन एडवान्स न करें और इसका सख्ती के साथ पालन करें ।

फिलहाल कुछ दिनों पहले यह बहुत चर्चा का विषय था और जब क्लेक्टर्स की कान्फ्रेन्स यहां पर हुई तो उस वक्त भी यह बात सामने लायी गई, ताकीद के साथ इस बात के लिए कहा गया कि जल्दी से जल्दी इस बात की सूचना इक्टठी करें और सूचना भेजें कि जो रुपया मेकेनाइज्ड फार्मिंग के लिए दिया गया है उसका उपयोग हुआ है या नहीं ? किन किन ने ट्रेक्टर्स खरीदे और किन किन ने नहीं खरीदे, कितने दिनों के बाद खरीदे, उसकी सूची बना कर यहां पर भेजें और में समझता हूं कि मैं स्वयम् इस बात को देखूंगा जब वह सूची उनसे यहां आजाती है, उसके बाद जिन लोगों ने सरकार के साथ फ्रॉड किया है, जितने लोग होते हैं उनमें से सब के सब तो इमानदार नहीं होते, कोई बेईमान भी निकल सकता है और यदि वास्तव में उसने सरकार के साथ फ्रॉड किया है, रुपयों का दुरुपयोग किया है और उनको काम में नहीं लाया है तो अवश्य विश्वास रखेंगे माननीय सदस्य, कि उनके साथ सख्त से सख्त कार्यवाही करूंगा और सख्ती से कार्यवाही होगी ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—And what about the officers who have been so lax ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह उसमें शामिल आजाता है । जहां तक नीचे के अफसरों की दिक्कतें हैं वे सारी तकावियों के बारे में बहस के दौरान में आयीं और उन्होंने जाहिर किया कि क्लर्क्स, एका-उन्टेन्ट्स ट्रेन्ड नहीं थे, रजिस्टर्स तकमीली के लिए स्टाफ कम है । इसलिए मैं मेरे माननीय सदस्य से यह कहूंगा कि उस काम के लिए अलग ही क्लर्क्स की स्वीकृति दी है । खास तौर पर हिसाब अलग रखे जावेंगे और सारे रजिस्टर्स तकमील करके रखे जावेंगे । इसके अलावा हमें जो दिक्कतें महसूस होती हैं वे ये हैं कि आम तौर पर तहसीलों में अकाउन्ट्स में माहिर, ट्रेन्ड पर्सन्स नहीं हैं । इसलिए हम यह विचार कर रहे हैं कि अकाउन्ट्स की एक स्पेशल ट्रेनिंग हम उन लोगों को दें ताकि अकाउन्ट्स ठीक तरह से सीख कर रख सकें । इस योजना के लिए एक अनुभवी अफसर को रखा है और ट्रेनिंग क्लास खोलने की योजना विचाराधीन है । तो हर जिले में इस बात की तकमीली होजाने के बाद इस बारे में शंका करने की कोई गुन्जाइश नहीं रहेगी कि सरकारी रुपयों का दुरुपयोग होता है या सरकारी रुपया काम में नहीं आता है । क्योंकि जितनी इस बारे में मेरे मननीय मित्र ने बातें कही हैं, किसी हद तक मैं मान कर चलता हूं कि गडबड़ी हो सकती है और हुई है और ऐसे सख्त कदम उटाने से ये गडबड़ियां कम होंगी । अलग अलग फाइलों के तकावियां के बारे में बन्डल धरे पड़े हैं । उसके लिए अर्ज करूंगा कि कई जगह तो रजिस्टर्स हैं । जो सरकुलर्स जारी हुऐ हैं उसके अनुसार रजिस्टर्स बने हैं, तकावी की फाइलें

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

और रजिस्टर्स मेन्टेन्ड हैं और कई जगह रजिस्टर्स वगैरा नहीं रखे गये हैं। अब मेन फाइलों को रजिस्टर्स में उतार कर बाकायदा रिकवरी होगी। मुझे सदन को बताने में दिक्कत नहीं है कि रिकवरी के मामले में हम पीछे रहे हैं। इसके लिए खास तौर पर इन्स्ट्रक्शन्स जारी कर दिये गये हैं कि ठीक तरह से रजिस्टर्स मेन्टेन करके रिकवरीज़ ठीक टाइम पर हो जाय। इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिए हमने पूर्ण रूप से इसका गठन कर लिया है।

हमारे माननीय मित्र जो परबतसर से आते हैं उन्होंने कहा कि किशनगढ़ को कर्जा नहीं मिल सका है। स्थिति वास्तव में यह है कि मुझे इसकी पर्सनली भी जानकारी है कि किशनगढ़ के लिये जब पुराना राजस्थान था उस समय वहां जल-योजना के लिए कुछ रुपया अलग रखने की बात थी और रुपया सिक्योरिटीज़ में रखकर अलग देना था। जब सरकार ने निर्णय कर लिया तो रुपया अलग रख दिया गया और वाटर बोर्ड बना था। सिक्योरिटीज़ अलग रखी गई, लेकिन वह उदयपुर स्टेट की थी और फेमीन की थी। नम्बर रख लिया लेकिन वास्तव में सिक्योरिटीज़ फेमिन के नाम पर होने से फेमीन रिलीफ में काम आगई क्योंकि उदयपुर स्टेट की इसी नाम से थी इसलिये वे अलग वाटर के लिए नहीं रह सकी। उसके बाद किशनगढ़ म्युनिसिपेलिटी ने कर्जे के लिए मांग की यह सही है लेकिन विभाग ने किशनगढ़ म्युनिसिपेलिटी को यह कहा कि प्लान्स और एस्टीमेट्स तैयार करके भिजवा दीजिये और मंजूर हो जाने के बाद गवर्नमेन्ट से कर्जा मिल सकेगा। लेकिन ८००० प्लान्स और एस्टीमेट्स आ नहीं सके और न आ सकने से कर्जा मंजूर नहीं हो सका। प्लान्स और एस्टीमेट्स तैयार है तो हम स्वयम् जब कई म्युनिसिपेलिटीज़ के बारे में विचार करते हैं तो किशनगढ़ म्युनिसिपेलिटी के बारे में भी विचार करेंगे। और जिस तरह से और और म्युनिसिपेलिटीज़ की योजनायें बनी हैं उसके साथ किशनगढ़ पर भी सरकार विचार कर सकेगी।

श्री चांदमल मेहता—यह मेरे कट मोशन का जवाब नहीं है। यह बात तो दूसरे कट मोशन में है। पब्लिक हेल्थ के बारे में रखा है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—किशनगढ़ म्युनिसिपेलिटी ने तो वाटर सप्लाई के बारे में लोन मांगा था।

श्री चान्दमल मेहता—मैंने वाटर सप्लाई के विषय में अपने भाषण में कहीं चर्चा नहीं की, यह माननीय मन्त्रीजी को ध्यान में होना चाहिए।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—सारी बहस वाटर सप्लाई के बारे में...

श्री चान्दमल मेहता—आपने फॉलो नहीं किया है। मैंने वाटर सप्लाई का जिक्र नहीं किया।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह मेरा दुर्भाग्य है कि यह मैं नहीं समझ सका कि आपने भाषण में वाटर सप्लाई का जिक्र न करके सड़कों के लिए जिक्र किया। जब तक कि कोई म्युनिसिपेलिटी कोई योजना, हालांकि भारत सरकार ने बहुत पहले विचार करके इस बारे में घोषणा कर दी थी कि बेड-साइट

Page No.25

[श्री बृजसुन्दर शर्मा

डेवलपमेन्ट के लिए लोन दें, न बना कर पेश करे तब तक यह कैसे हो सकता है। योजना आजाने के बाद और स्वीकृति होजाने के बाद कर्जा मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी।

श्री चांदमल मेहता—इसीलिये तो यह कट मोशन रखा गया है। सारी बातें पूरी हो जाने के बाद भी लोन नहीं मिला।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मेरी नॉलिज में यह चीज़ है नहीं कि सारी बातें पूरी हो जाने पर भी नहीं मिला। अब जो योजना बनी है उसके अनुसार हमें भारत सरकार से भी डेवलपमेंट ऑफ बेड साइट के लिये कुछ रुपया मिलने वाला है अगर आपके किशनगढ़ डिवीज़न से वहां की म्युनिसिपेलिटी की तरफ से यदि इस प्रकार की योजनाबद्ध चीज आती है तो भारत सरकार से जो रुपया हमें मिलने वाला है, उस रुपये में इसको भी शामिल किया जा सकता है।

इसके पश्चात् हमारे एक मित्र ने एक एक्स्टेन्शन ब्लॉक के बारे में जिक्र किया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैंने जो लोन के मामले में अनियमिततायें हुई, या गड़बड़ियें हुई हैं जिन अफसरों की तरफ से, क्या आप उनके केस को करप्शन बोर्ड के सामने भेजने का जो सुझाव मैंने दिया है उसके बारे में आप क्या कहते हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जैसा कि मैंने निवेदन किया लोन के बारे में हमने कलेक्टरों से सूची मंगाई है। फिर भी अगर माननीय सदस्य स्पेसिफिक इन्स्टान्सेज देकर के मुझे बतलायेंगे तो हमें उन केसेज को बोर्ड के सामने भेजने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। बोर्ड हमने बनाया ही इसीलिये है कि करप्शन के केसेज की जांच करें (हिअर हिअर)।

कनकपुरा एक्स्टेन्शन ब्लॉक के बारे में जो माननीय मित्र ने आपत्ति उठाई है उसका कारण शायद तहसीलों के हेरफेर से हुआ होगा मुझे इस वक्त इस बात का पता नहीं। तहसील के हैडक्वार्टर के चेन्ज से यह चीज हो सकती है। हो सकता है, इसके होने से कुछ विशेष गांवों को फायदा हुआ होगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कनकपुरा विस्तार खंड की चर्चा करता हूं कि इसमें से कनकपुरा गांव ही गायब है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—हो सकता है कि उस क्षेत्र में और कोई कनकपुरा होगा वास्तव में तहसीलों के हेरफेर से यह गड़बड़ हुई हो। जब तहसीलों के ऑर्गेनाइजेशन पर पुनः विचार होगा तब इस पर भी विचार करेंगे। वास्तव में हमारा ध्येय तो यह है कि इस गांव को भी फायदा मिले और सब को भी फायदा मिले। इस बारे में हम कभी अलग बैठकर भी बातचीत कर सकते हैं। इसको ठीक करने का प्रयत्न करेंगे। मेरे ख्याल से, मेरे इस कथन से माननीय मित्र को सन्तोष होगा। जहां तक कर्जे की वसूली का सवाल है, मैं इस बारे में प्रयत्न करूंगा और जगह जगह जाकर स्थिति की जांच करूंगा। एक दो जगह मैं इस सिलसिले में गया भी था कि कितना कर्ज दिया गया

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]
और उसकी वसूली का क्या इन्तजाम है ? बजट अधिवेशन के बाद हम इस बात का प्रयत्न करेंगे कि किस प्रकार जल्दी से जल्दी कर्जा वसूल किया जा सकता है।

कु ० श्री जसवन्तसिंह—माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय मंत्रीजी ने अभी फरमाया कि कनकपुरा गांव के लिए जो रुपया रखा गया है वह गांव शायद इधर उधर चला गया होगा। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या गांव के पहिये लगे हुए है जो इधर उधर सरक सकें या गांव को कोई उड़ा ले गया ? क्या राजस्थान सरकार में ऐसा ही होता है ? क्या मेरा जो रुपया है वह बृजसुन्दरजी के पास चला जाय और उनका पैसा मेरे पास आ जाय ? माननीय मंत्रीजी के कहने से तो यही पता चलता है कि गांव का गांव गायब हो गया। आखिर इस प्रकार कहने का मतलब क्या है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—कनकपुरा विस्तार खंड में केवल एक ही गांव हो, ऐसी बात नहीं है। उसमें उसके आसपास के पचासों गांव हैं जो उसमें आते हैं। मेरा मतलब कनकपुरा विस्तार खंड से है। कनकपुरा के इधर-उधर हो जाने से मेरा कोई मतलब नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, में केवल चन्द मिनिट ही लेना चाहता हूं। यह जो कनकपुरा की बात है वह मेरे ख्याल से माननीय मंत्रीजी के समझ में ही नहीं आई। उसमें एक गांव का सवाल नहीं है। जो मेजर एरिया ओरिजनल ब्लॉक में था, मेजर पार्ट ऑफ देट एरिया आज उसके बाहर है। यहां तक कि उसका हैडक्वार्टर तक उस ब्लॉक से बाहर है। में यह मान सकता हूं कि तहसीलों के पुनर्बंटवारे की वजह से कुछ हिस्सा कम हो गया हो, या कुछ ज्यादा हो गया हो लेकिन यह समझ में नहीं आया कि ओरिजिनल एरिया ब्लॉक से बाहर है, और उसका हैडक्वार्टर भी ब्लॉक से बाहर है। अगर ओरिजनल लिमिट ली जाती तो ऐसे गांव अन्दर नहीं आ सकते थे। यह केवल डिसओरगेनाइजेशन नहीं, इसके पीछे एक प्रकार का मेनीपुलेशन हैं। मेंने इसलिये विशेष रुप से इसका उल्लेख किया है। इस मामले में जो उत्तर माननीय मंत्री महोदय की तरफ से दिया गया है वह सन्तोषजनक प्रतीत नहीं होता। लेकिन फिर भी जिस लहजे से उत्तर दिया गया है वह सन्तोषजनक है। लोन्स के सिलसिले में जो उत्तर दिया गया है वह सन्तोषजनक है। इसलिये जो कटौती के प्रस्ताव मैंने रखे हैं उनको वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री जबानसिंह—अब तो आप लहजे के कायल होने लग गये हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—लहजे का कायल तो थोड़े ही दिन का हूं। आखिरकार तो सही पोजीशन आयगी।

श्री चांदमल मेहता—मैं भी अपने कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने के लिये सदन से आज्ञा चाहता हूं

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि तीनों ही कटौती प्रस्ताव (दो श्री व्यास के एवं एक श्री मेहता का) वापिस लेने दिया जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

Page No.27

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना कटोती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं भी अपने दोनों कटोती के प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—Now the question is, "That a Supplementary sum not exceeding Rs. 3, 05, 000/- be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31 st day of March, 1955, in respect of Demand for Grant No. LXXX, major Head R- Loans and Advances by State Government."

(स्वीकृत)

मांग स्वीकृत हुई।

अनुपूरक माँग संख्या ७७–केपिटल एकाउन्ट ऑफ सिविल वर्क्स आउटसाइड दी रेवेन्यु एकाउन्ट

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता–माननीय अध्यक्ष, I move, "Shat a Tupplementary sum not exceeding Rs. 33, 69, 000/-be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come jn course of payment during the year ending the 31 st day of March, 1955, in respect of Demand for Grant No. LXXVII, major Head 81- Capital Account of Civil works outside the Revenue Account."

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। (विराम) प्रश्न यह है कि जो मांग नंबर ७७ श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने रखी है वह स्वीकार की जाय। (स्वीकृति हुई)

मांग स्वीकार की गई।

अनुपूरक मांग संख्या ५८– सामान्य प्रशासन

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि एक अनुपूरक मांग जो ३,७६,०००) से अधिक नहीं है श्रीमन् राजप्रमुख को ३१ मार्च, ५५ तक के खर्चे को चुकाने के लिए ग्रान्ट नम्बर ५८, मेजर हैड २५, जनरल एडमिनिट्रेशन के चुकाने के लिए स्वीकृत की जावे।

श्री अध्यक्ष—श्री हरिकृष्ण व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि ३,७६,०००) की जो मांग प्रस्तुत की गई है इसमें एक हजार रुपया काट लिया जावे।

चूंकि यह जो मांग आज सदन के सामने प्रस्तुत की गई है उसकी कई डिटेल्स साइक्लोस्टाइल कराके जो कागजात हमारे पास भेजे गये थे उसमें दी गई हैं और पेज ३ पर इन डिटेल्स का हवाला इस प्रकार है।

"Adjustment of Arrear Bills of Garage Department relating to cars placed at the disposal of Ministers specially for tour purposes.................. ....Rs. 78,000/—"

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

यहां यह ३ लाख ७६ हजार जो मांगा गया है उसमें से ४० हजार रुपया तो मोटरों के पेट्रोल के धुंए के हैं। और जो बाकी रुपया है उनका भी मैं अभी थोड़ा सा जिक्र करूँगा जिनमें सब में कमी की गुंजाइश है।

मैंने जो कटोती का प्रस्ताव रक्खा है उसका पहला कारण तो यह है माननीय अध्यक्ष, कि इन मोटरों के सिलसिले में खर्चे का मामला है। यहां गत तीन साल से लगातार बहस हुई और इसके बाद भी अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर कुछ न कुछ ज्यादा सख्ती और कठोरता इसके बारे में इस सदन को बरतनी चाहिये।

मैं, जो बजट ५४-५५ का पेश हुआ उस बजट की वॉल्यूम नम्बर २ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जब ५३-५४ का बजट प्रस्तुत हुआ था उस समय मन्त्रियों की मोटरों के लिए खर्चे का प्रोवीजन केवल तीन हजार रुपये किया गया था। उस समय जब सदन में बातचीत हुई, चर्चा हुई तो यह कहा गया कि हम कमी कर रहे हैं और आइन्दा कोई सप्लीमेन्टरी डिमान्ड पेश नहीं की जावेगी। लेकिन इसी वर्ष ५३-५४ का ही रिवाइज्ड एस्टीमेट तीन हजार से बढ़कर २ लाख पहुँच गया। यह पर्सेन्टेज मामूली नहीं। ३ हजार ओरीजिनल एस्टीमेट में था और वही रिवाइज्ड जब किया गया तो दो लाख हो गया। फिर दो लाख को देखकर जब सदन में आलोचनाएं हुई और जब सदन में यह कहा गया कि यह तो एक तरह से सदन को न बताते हुए, उसको डार्क में रखते हुए कार्यवाहियाँ की जा रही हैं तो थोड़ा सा डर कर कुछ छोटी गाड़ियों की स्कीम बता कर ५४-५५ के लिए बजट ७५ हजार का किया गया। मैं अर्ज करना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष, कि इसमें जो एरियर बिलों का जिक्र किया गया है वह एरियर बिलों की बात नहीं है। बात यह है कि ७५ हजार का प्रोवीजन किया और खर्चा उससे अधिक, दुगुना किया। तो अब लगभग ७८ हजार रुपया और मांगा जा रहा है। जितना ओरिजिनल प्रोवीजन था उससे ज्यादा सप्लीमेन्टरी डिमान्ड कोई भी सरकार करे, जितना ओरिजिनली उनको खरचा करने को अधिकार इस सदन ने दिया उसमें सेन्ट परसेन्ट गलती हो तो इसका केवल एक तात्पर्य समझा जा सकता है कि या तो हिसाब-किताब करने वाले, बजट तैयार करने वाले महाशय खबरदारी नहीं बरतते हैं, या फिर बजट ठीक तरह से तैयार करने के बावजूद भी खर्चे का मौका जब आता है तो इकोनॉमी नहीं बरतते हैं। मेरा यह दावा है कि इकोनोमी बरतने की वजह से ७५ हजार की शुरुआत में मन्जूरी लेने के बाद सरकार आज कह रही है कि आपने हमको ७५ हजार दिया, उससे थोड़ा ज्यादा खर्च हो गया और वह थोड़ा कितना ? ७८ हजार। ओरिजिनल से भी ज्यादा।

(श्री गुलाबचन्द कासलीवाल, सभापति पदासीन)

इस सिलसिले में माननीय केयरमैन, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि इस सदन को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है एस्टीमेट कमेटी द्वारा। इसमें से भी उद्धरण इस सदन के सामने एक छोटा सा पेश करने का प्रयत्न करूंगा। इसमें यह लिखा है कि कमेटी ने सारी जांच करके यह नतीजा निकाला है कि, "If we look to the expeuses that are inturred on the ruming of these cars the figure for the last year it being over Rs. 1250/- per month per minister, they are decidedly too excessive."

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

प्रत्येक मन्त्री पर माहवार १२५०) रुपये औसत । It is. decidedly too excessive. As a matter of fact this works out to about five times the allowance permissible in case he does not avail of a government car.

और इस निर्णय पर पहुंचने के बाद कमेटी ने सिफारिश की है कि, "We, therefore, recommend that, if required, loans may be advanced to the Ministers for the purchase of cars. For running expenses an allowance of Rs. 250/- P. M. should be given to a Minister."

और यह जिस रिपोर्ट का उद्धरण में पढ़कर सुना रहा था वह रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण माननीय सदस्य की कलम से यह निकली है। जिनमें वर्तमान चैयरमैन महोदय ने कमेटी के चैयरमैन के रूप में अपने विचार व्यक्त किये हैं, उधर बैठने वाले जो ५.मो चीफ व्हिप थे आज तक और आज भी चीफ व्हिप नियुक्त हुए हैं वह डीडवाने से आये हुए माननीय सदस्य श्री मथुरादासजी...वह भी इस समिति के सदस्यों में से हैं। मेरे माननीय मित्र राजस्व मन्त्रीजी, दामोदरजी भी इस समिति के सदस्यों में से है। और विशेष उल्लेखनीय बात यह भी है कि लीडर ऑफ दी ऑपोजीशन कुंवर श्री जसवन्तसिंह जी भी इस समिति के सदस्यों में से हैं और इससे भी विशेष उल्लेखनीय यह है कि यह यूनेनिमस वर्डिक्ट आया है। ऐसी स्थिति में कि जब एक ओर इस सदन के द्वारा नियुक्त की गई प्राक्कलन समिति यह राय देती है, यह निर्णय देती है कि मन्त्रियों की मोटरों पर आज जो खर्च हो रहा है वह ज्यादा है। It is a unanimous verdict.

और दूसरी ओर सुझाव आता है कि इस प्रथा को बदल दिया जावे। ऐसी स्थिति में सरकार इतनी जिम्मेदार और महत्वपूर्ण कमेटी की राय पर विचार न करते हुए उल्टे सप्लीमेन्टरी मांग पेश करती है, ७५ हजार की ओरीजिनल मांग के अलावा ७८ हजार की सप्लीमेन्टरी मांग करती है, यह न सिर्फ गैरवाजिब ही है पर मैं तो यह कहूंगा कि जिन सदस्यों ने इतनी सुन्दर रायें अपनी देकर जिम्मेदारी की और शानदार किस्म की रिपोर्ट तैयार की है और जिनमें मेरे माननीय मित्र श्री विश्वम्भरनाथ जोशी भी एक हैं तो (हंसी) उनकी भी रजामन्दी है इसमें; मैं इसे विशेष बात मानता हूं वरना उनकी रजामन्दी नहीं मिला करती आसानी से (एक सदस्य द्वारा आवाज 'वे तो हैं नहीं यहां पर') तो ऐसी स्थिति में मेरा यह निवेदन है कि सदन को इस मद को स्वीकार नहीं करना चाहिये। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है।

दूसरा कारण जो है वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है जिसके ऊपर मैं चाहूंगा कि बड़ी गम्भीरता से विचार किया जाय। वह यह है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जो कि सेक्रेटेरियेट का है और खास करके मंत्री महोदय का जो खर्चा है उसके ऊपर कन्ट्रोल करने की जरूरत है, निश्चित तौर पर कन्ट्रोल करने की जरूरत है। इसी प्राक्कलन समिति ने हिसाब लगाया है कि औसतन हाउस रेन्ट, कन्वेयेन्स एलाउन्स, डियरनेस एलाउन्स, बिजली, पानी, प्राइवेट सेक्रेटरी और पी. ए. इत्यादि की तनख्वाह, ऑलटरेशन्स ऑफ बेन्गेलौज़, आदि इस प्रकार सब मिलाकर और इसमें १२००० रु० सालाना मोटर के खर्चे को जोड़कर कुल ६०,००० रु० प्रत्येक मंत्री पर सालाना खर्च का तखमीना

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

आता है, यानी ५ हजार रुपया महीना तो यह राजस्थान के लिए मंहगी पड़ने जैसी बात है और इस जमाने में जब कि बाजार के अन्दर किसानों की पैदावार की चीजों के भाव गिर रहे हैं, और उधर बैठने वाले मेरे माननीय मित्र ने जो कि 'नवयुग' के सम्पादक भी हैं, उन्होंने जोर जोर से कहा है कि मेरी पार्टी के और मेरे भाव गिर रहे हैं। मेरी उनसे यह दरख्वास्त है कि आप जरा कोशिश करके सारी चीजों के जब कि भाव गिर रहे हैं, तो अपने मंत्री महोदयों के भी भावों को गिरा दीजिये। ५,०००, रु० बहुत मंहगा पड़ रहे हैं। इनके भावों के गिराने की आवश्यकता है। भाव किसके गिर रहे हैं अभी मेरे माननीय मित्र के जवाब देने पर समझ सकूंगा और आज तो मैं वेलकम करूंगा कि भावों को लेकर और जिस जिसका जवाब वे देंगे तो वापिस राइट ऑफ रिप्लाई मुझको रहता है, इस वजह से मैं यह प्रार्थना करता हूं कि वे दिल खोलकर जवाब दें, लेकिन अगर और चीजों के भाव गिरते हैं; मान लीजिये बहस के लिए, तो कम से कम इस गरीब राजस्थान के अन्दर मंत्रियों के भाव भी साथ में गिरा दिये जायं, सिम्पेथिटिकली भाव गिरा दिये जायं तो मेरे ख्याल से कोई एतराज नहीं होगा। अगर भाव नहीं गिराते हैं तो इस सदन में जैसी स्थिति काट-छांट करने की कुछ होती है वैसी स्थिति आयन्दा नहीं आने की हालत पैदा नहीं करते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो कमी की चीज है कि यह कमी की जाय और कमी नहीं की गई है इसलिए यह कटमोशन का सुझाव मैंने दिया है।

तीसरी चीज की तरफ में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वह पेज ७ इसी प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट की तरफ इशारा है। पेज ७ में एक ऐसी बात कही गई है कि जिसको माननीय मंत्रीजी, जो कि जी. ए. डी. महकमे के इन्चार्ज मंत्रीजी हैं वह जरा गौर से सुनें। एक ऐसी बात कहूंगा कि जो किसी भी राज्य के लिए बड़े ही गम्भीर स्वरूप की बात मानी जानी चाहिए। उसमें यह कहा गया है कि टेलीफोनों के ऊपर मंत्री महोदयों द्वारा बहुत ज्यादा खर्च किया जाता है, लेकिन इतना ही नहीं कहा गया है; उसके आगे जो शब्द हैं वे मैं आपकी आज्ञा से सदन को पढ़कर सुनाना आवश्यक समझता हूं। उसमें यह कहा गया है कि, 'We took pains to go into the expenditure incurred by each Minister and the Committee was astounded to note that one Minister has spent on telephones as large a figure as Rs. 1294/-4—in one month."

एक महीने के ऊपर १२९४रु० ४ आ० ट्रन्क कॉल के ऊपर खर्च किये हैं।

श्री सुखाड़िया और श्री बृजसुन्दर शर्मा—कौन हैं ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरे माननीय मित्र पूछ रहे हैं कि वे कौन हैं; तो मैं कहता हूं कि वे हैं श्रीमान् मथुरादासजी माथुर। अब आप पूछिये कि महीना कोनसा, तो वह था १ नवम्बर, १९५१। मेरी सूचनाएं तो बाद में आ जावेंगी, कमेटी की राय को सुन लें।

"We cannot believe that this big amount could have been spent for the State purposes. For that particular month, namely November, 1951, we examined the details of the called numbers......."

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

कमेटी ने मामले को बिल्कुल नहीं छोड़ा है। उसकी और जांच की है।

"For that particular month: namely November, 1951, we examined the details of the called numbers."

किस २ जगह, दिल्ली; लाडनू, बम्बई में किस नम्बर पर कॉल किया।

"and learnt with pain that a large number of the calls were made for personal and domestic use and charged to the State."

इस कमेटी की, जिस कमेटी में इस सदन के हर प्रकार के विचारवान व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व है, इधर और उधर बैठने वाले सब प्रकार के सदस्यों की राय से मिलजुलकर यह निकाला गया है कि वह कमेटी क्या कहती है ? वह कमेटी कहती है कि न सिर्फ खर्च बहुत ज्यादा हुआ है लेकिन उन्होंने एक एक टेलीफोन नम्बर को देखा। जोधपुर के अन्दर कहां किसको टेलीफोन किया गया, दिल्ली के अन्दर किसको किया गया, कलकत्ते में किसको किया गया। टेलीफोन डाइरेक्टरी और टेलीफोन ऑफिस से वह जो नम्बर थे उन नम्बरों का पता और नाम मांगा गया और यह देखने के बाद कमेटी इस नतीजे पर पहुंची है कि ज्यादातर यह ट्रंक कॉल जो किये गये थे यह राज्य के काम के लिए नही थे, वह व्यक्तिशः और घरेलू कामों के लिये किये गये थे।

यदि इस सदन द्वारा चुनी हुई एक कमेटी इस नतीजे पर पहुंचती है तो आज चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे उसकी कीमत बढ़ी हुई हो, चाहे उस सरकार की कीमत घटी हुई हो, ऐसी सरकार अगर ईमानदारी को मानने वाली सरकार है तो वह इसके एक अनुमान पर पहुंचकर जिस मंत्री के खिलाफ एक कमेटी ने ऐसी राय दी है और अगर यह बातें सरकार के मत में उचित हैं कि इस पर कार्यवाही की जाय; इस पर सख्त से सख्त कार्यवाही नहीं कर सकें तो दुनिया के सामने एक नजर अपनी पार्टी के दृष्टिकोण, अपनी आंखों को, अपनी पार्टी के अपने दिल के अन्दर टटोलें कि किसी प्रकार का दबाव तो नहीं है। सही मायने में अगर ऐसा नहीं किया गया तो उसका तात्पर्य यह होगा कि यहाँ कहने के लिए तो आप कह जाते हैं, लेकिन वस्तुस्थिति जब करने की आती है तो दूर हो जाते हैं।

मैं, माननीय चेयरमैन, यह अर्ज करना चाहूंगा कि यह एक ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जिस मुद्दे पर सरकार को अपनी नीति की घोषणा करनी पड़ेगी, और इसलिए मैं चाहूंगा कि उस नीति की घोषणा आज ही की जाय। सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाय; इस आशय से और इस अर्थ से मैंने यह कटोती का प्रस्ताव रखा है। और भी कई चीजों का इससे संबंध है, लेकिन यह एक सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड है और जिन बातों का विशेष ताल्लुक सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड से है केवल उन्हीं का जिक्र मुझे यहां करना है। इस वजह से उन और चीजों का जिक्र नहीं करते हुए इस प्राक्कलन समिति की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के दूसरे अंशों की और सदन का ध्यान आकर्षित करके सदन का समय नहीं लेता हुआ अन्त में एक चीज का और जिक्र करूंगा।

इसमें डिपार्टमेन्टल एग्ज़ामिनेशन्स जो आर. ए. एस. और आर. पी. एस. के अभी हुए थे, पी. एस. सी. ने उसके लिये १७५,०४, रु० की फिर मांग की है; for meeting the additional

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

expenditure in connexion with conducting the competitive and qualifying tests and examinations.

आइटम नं० २ भी एक दिलचस्प चीज़ है। चेअरमैन महोदय, मैं चाहूंगा कि आप मुझे २ मिनिट इसके लिये दें।

श्री सभापति (श्री गुलाबचन्द कासलीवाल)—आपने समय काफी लिया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं २-३ मिनिट में खत्म कर दूंगा। अधिक महत्त्वपूर्ण चीजों के लिये ज्यादा समय लूंगा और छोटी-मोटी चीजें जल्दी में निपटा देता हूं, औसतन ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो आइटम नं० २ "Payment of arrear dues to the staff of defunct Aviation Department" वैसे तो अब यह डिपार्टमेंट खत्म हो ही गया है। डिपार्टमेंट तो खत्म हो गया इसलिये डिपार्टमेंट पर तो क्या बोला जाय, लेकिन अलबत्ता डिपार्टमेन्ट खत्म होते समय नसीहत दे गया है उस पर बोलना आवश्यक हो गया है। वह क्या नसीहत दे गया है ? वह नसीहत यह दे गया कि ५०-५१ में एविएशन डिपार्टमेंट रखा गया था वह किस काम में आया ? मंत्री महोदय जयपुर से दिल्ली जाते थे और दिल्ली से जयपुर आते थे। ५०-५१ की बात सुन लीजिये। अकाउन्टेन्ट जनरल ने हिसाब लगाया कि इतने घन्टे हवाई जहाज उड़ा था। नतीजा यह निकला कि एक घंटे के फ्लाइट के लिये ५०० रुपए खर्च हुए। यह ए. जी. राजस्थान अपनी रिपोर्ट में ऐसा कह रहे हैं। ५००) रुपये पर ओवर फलाइट। यहां से दिल्ली जाने में हवाई जहाज से १ घंटा लगता है। यहां से दिल्ली तक की रेगुलर हवाई सर्विस चलती है; यदि उसके टिकट खरीदते तो ३३ रुपये लगते। शायद गलती से मेरे जैसा आदमी भी भूला-भटका कभी पहुँच सकता है। लेकिन राजस्थान सरकार के मन्त्री जयपुर से दिल्ली गये, खर्चा कितना किया ५०० रु०। यदि स्पेशल चार्टर्ड प्लेन ले जाते तो भी २५० या ३०० रुपये में चला चलता। लेकिन राजस्थान के पुराने राजाओं के जमाने के जहाज थे, जिनके धूपरे लगे हुए थे, इसलिए ५०० रु० १ घंटे की फ्लाईट का खर्चा बैठा। यह है ५०-५१ की बात। ५१-५२ में जब मामला और आगे बढ़ता देखा तो इस महकमे को सरकार ने बन्द कर दिया। महकमा तो बन्द हो गया लेकिन बन्द होते समय नसीहत दे गया, वह आज भुलाई जा रही है। अभी जो दौड़े होती हैं चाहे मोटर से या फ्लाइंग क्लब नाम की चीज से होती है। अभी जो दौड़े होती हैं उनमें भी जुडिशियस तरीका अख्त्यार नहीं किया जाता। आज गये कल आये, कल गये परसों आये। परसों गये और तरसों आये। कभी कभी तो सभी मंत्री ही एक जगह नजर आ जाते हैं। अभी एक मित्र कह रहे थे कि एक समय एक ही जगह सभी मंत्री पहुंच गये कोटा में। न मालूम एक साथ मिल कर जाने से इन्सपेक्शन अच्छा होता है या क्या बात है।......

श्री बृजसुन्दर शर्मा—क्या एक ही दिन सभी पहुंच गये ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—जो नहीं पहुंचे उन्होंने बहुत भला काम किया। कोटा से मुझे नाराजगी नहीं है, जोधपुर भी काफी लोग पहुंचे थे। जो वहां नहीं पहुंचे उनको मुबारकबाद है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—कब ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—शादी के सिलसिले में। मैं यह अर्ज कर रहा था कि मैं उल्लेख अमूमन इन चीज़ों का नहीं करना चाहता लेकिन मुझे पूछ-पूछ कर उल्लेख कराया जावे तो मेरे पास इलाज नहीं है। मैं चाहूंगा कि गंभीरता से इस बारे में दृष्टिकोण सरकार अपनावे। आखिर में वे यह नहीं समझे कि कोई चुटकी काटने के लिए जिक्र होता है। जिक्र इसलिये होता है कि आप सुधार करें। सदन में तो चुटकियें ही काटी जाती हैं और सदन के बाहर फब्तियें भी कसी जाती हैं। थोड़े दिनों में कहीं ऐसी हालत नहीं हो जाये कि कोई और बात हो जाय। ये चीजें लोगों को बुरी मालूम होती हैं। लोग कहते हैं कि यह क्या तमाशा हो रहा है? आप थोड़ा कन्ट्रोल रखें। इससे सरकार की इज्जत बढ़ेगी और थोड़े जोर से कल्याणकारी राज्य की बात कह पावेंगे तो उससे सरकार को मदद मिलेगी। इस दृष्टि से इस मद में काफी सोच-समझ पर इकोनॉमी की जाय। यदि मेरी बात न मानने की ही कसम खाई हैं तो मुझे ऐतराज नहीं है। कम से कम प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट तो मंजूर की जाय। ऐसी आशा से मैंने यह कटौती प्रस्ताव रखा है।

श्री मुक्तिलाल मोदी—चेअरमेन महोदय...

श्री अध्यक्ष—क्या आपका भी कोई कटौती प्रस्ताव है?

श्री मुक्तिलाल मोदी—मैं श्री हरिकृष्ण व्यास के कटौती प्रस्ताव को सपोर्ट करना चाहता हूं।

माननीय चेअरमेन महोदय, श्री हरिकृष्ण व्यास ने जो कटौती प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। इस प्रकार के कटौती प्रस्ताव में हर साल मोटरों का जिक्र आता है और हर साल ही इस सिलसिले में काफी बुराई दिखाई देती है। लेकिन सरकार इस नतीजे पर पहुंच गई है कि इन बुराइयों को सुनते हुए भी वैसे ही चल रही है और दिन पर दिन ख़र्चा ज्यादा बढ़ता जा रहा है और जनता का जो पैसा है उसका दुरुपयोग दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। दूसरी बात यह है कि हर साल खर्चा बढ़ता ही जा रहा है; पहले ५ मिनिस्टर थे अब १२ हो गये है, अब फिर १६ हो जायेंगे क्योंकि सरकार अपने ही तरीके पर चल रही है और उन्होंने यह सोच लिया है कि किसी भी तरीके से साम, दाम, दंड भेद से हमारी सरकार चलती रहे। जनता चाहे भूखों मरे, प्यासी मरे, फसल हो या न हो, चाहे लोगों को खाने के लिये अनाज नहीं मिले, नौकरी मिले या नहीं मिले; लेकिन अपने को किसी भी तरह से मोटर मिलनी चाहिए, बंगले मिलने चाहिए और आराम के साधन भी मिलने चाहिये (हियर हियर)।......

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अनाज तो सस्ता हो गया है?

श्री मुक्तिलाल मोदी—लेकिन आपने सस्ता नहीं किया है, भगवान ने किया है। तो ऐसी हालत में प्रजातंत्र गवर्नमेन्ट, गांधीवादी गवर्नमेन्ट सारे हिन्दुस्थान में बनाने के बाद यह दावा करते थे कि हम जिस तरह से भी होगा जनता को सुख और सुविधाएं देंगे। इलेक्शन के टाइम में और सत्याग्रह के टाइम पर बताते थे कि हम इस तरह की गर्वनमेन्ट चलायेंगे लेकिन आज जिस तरह से आप चल रहे हैं उस तरह से राजा लोग और अंग्रेज लोग भी इस तरह का खर्चा नहीं करते थे और

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

इस तरह की गवर्नमेन्ट नहीं चलाते थे जिस तरह की गवर्नमेन्ट आज इस राजस्थान में चल रही है। (करतल ध्वनि) और इस बारे में आज जनता को भुलावे में डाल कर यह बता देते हैं कि आज हमारी जो पार्टी है उस पार्टी की गवर्नमेन्ट है, हम जैसा चाहेंगे वैसा ही जनता पर टेक्स लगायेंगे। आज सेल्स टेक्स लगाया, कल म्युनिसिपेलिटी द्वारा हाउस टेक्स लगायेंगे, फिर म्युनिसिपल चुंगी टेक्स लगायेंगे और दूसरे कई तरह के टेक्स लगायेंगे......

श्री बृजसुन्दर शर्मा—क्या आपका भाषण टेक्स पर हो रहा है ?

श्री मुक्तिलाल मोदी–इस तरह दिन ब दिन टेक्स लगायेंगे और इस जनता को करों के भार से दबाने के लिये तैयार रहेंगे। ऐसी हालत में आज आपने मोटरों के लिये ७६००० रु० सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट मांग ली और इसके बाद बजट में ६ या ७ लाख रुपयों की मांग आयेगी और उसके बाद फिर सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट मांग लेंगे। भाई, आप एक साथ बजट में मांग लें उसके बाद १ रु० भी नहीं मांगना चाहिए। इससे १ रु० भी ज्यादा खर्च होता है तो मिनिस्टरों को अपनी पॉकेट से देना चाहिए, ईमानदारी तो यही है। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो यह शर्म की बात है। इसके बाद हम लोगों को भी शर्म नहीं आती। हम लोग एम. एल, एज. भी ज्यादा खर्च करने को तैयार है। मैं साफ कह देना चाहता हूं। दिल दुखता है मेरा यह देख कर।यह भूखा राजस्थान है...(समय समाप्ति सूचक घंटी) मुझे ३ मिनट और दीजिये।

श्री सभापति—आप ५ मिनिट ले चुके हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी—आज राजस्थान भूखा है। इस भूखे राजस्थान में इस प्रकार से जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा उठाना और फिर सप्लीमेंटरी ग्रान्ट मांगना यह कतई उचित नहीं है। सप्लीमेंटरी ग्रान्ट्स तो आपको मांगनी ही नहीं चाहिये, बजट में ही प्रोविजन कर देना चाहिए। फिर यह ग्रान्ट आने के बाद डिपार्टमेंट का मोटरों का खर्चा है; उसका शुमार ही नहीं है कि कितना करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि एस्टीमेंट कमेटी ने जो रिपोर्ट तैयार की है और सरकार को यह सब कुछ बताया है उस पर सरकार गौर करेगी और उसका पालन करेगी तो राजस्थान पर यह जो भारी बोझा वह हल्का हो सकेगा।

कुँ श्री जसवन्तसिंह—मिस्टर चेअरमेन सर, अभी मेरे मित्र जोधपुर से आये हुए श्री एच० के० व्यास ने कटौती का जो प्रस्ताव पेश किया, जिसका समर्थन एक सरे मित्र ने किया, उसका अनुमोदन करने के लिये मैं भी दो चार शब्द कहने खड़ा हुआ हूं। हालांकि इस विषय पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है फिर भी यह जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का महकमा, ऐसा महकमा है कि जिसके खर्च में बहुत कुछ हद तक कमी की जा सकती है, और खास तोर पर मुझे इस पर बोलने की आवश्यकता इसलिये महसूस हुई कि यह तो मैं मानता हूं कि जो खर्चा हो चुका है, वह खर्चा तो इस सदन को पास करना ही पड़ेगा क्योंकि उसका एडजस्टमेंट करना आवश्यक हो जाता है। पर आयन्दा के लिए इस महकमें में, इस आइटम में, जो फिजूल खर्चा है उसको कम करने की बढ़ी आवश्यकता है। जोधपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने इस विषय पर बहुत कुछ रोशनी

[कुँ श्री जसवन्तसिंह]

डाली और ज्यादा रोशनी एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट ने डाली, जो रिपोर्ट बहुत अर्से के बाद में और बहुत दिक्कतों के बाद में आई है, और इसलिये उनकी महत्ता और भी बढ़ गई है।

दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ कि दो साल पहले जो एस्टीमेट कमेटी बनाई गई थी, और मेरी समझ में हिन्दुस्तान में ही नहीं लेकिन दुनियां में कई बातों में राजस्थान एक नई एग्जाम्पल सेट करता है और इसके मुताबिक यह बात हुई तो कोई नई बात नहीं। आज तक दुनियां में राजस्थान विधान सभा की ही एस्टीमेट कमेटी ऐसी थी कि जिसकी दो साल में एक भी रिपोर्ट पेश नहीं हो सकी। कारण भी इसका साफ था। दुर्भाग्यवश उस कमेटी का चेअरमैन मुझे होना पड़ा। उस एस्टीमेट कमेटी के और माननीय सदस्य भी सदस्य थे, कांग्रेस के भी सदस्य थे, बड़े ब्रोड माइन्डेड थे और जो सच्ची बातें उस कमेटी के सामने आई उन्होंने उस रिपोर्ट में रखी और वह गवर्नमेंट के महकमों को भेजी गई कि इसमें गलती हो तो बतायें। चीफ मिनिस्टर को भी भेजी गई कि गलती हो तो बतायें। इन सब चीजों के बाद कमेटी एक महत्वपूर्ण निर्णय पर पहुंची और इस महकमें में लाखों रुपया महाराजप्रमुख, राजप्रमुख, उपराजप्रमुख पर खर्चा होता है और बाकी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्चा होता है, इसकी जांच कमेटी ने की और यह कमेटी इस निर्णय पर पहुंची और वह निर्णय एक ऐसा निर्णय था जो गैरसरकारी निर्णय था। यह रिपोर्ट एक साल पहले इस सदन के सामने आ जानी चाहिये थी, वह नहीं आ सकी और अंत में यह रिपोर्ट तीन-चार दिन पहले सदन में प्रस्तुत की गई। मेरे दोस्त श्री एच० के० व्यास ने उन माननीय मेम्बरों के नाम गिनाये जिनके इस रिपोर्ट पर दस्तखत हैं, वे एक नाम भूल गये वह मैं बताये देता हूं। उन दस्तखत करने वालों में एक नाम श्री एच. के. व्यास का भी था, वह भी इस कमेटी के सदस्य थे। इस कमेटी में हर किस्म के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व मौजूद था और जिस निर्णय पर कमेटी पहुंची वह निर्णय सरकार के पास पहुँच गया। अगर सरकार जिम्मेदारी के साथ उस निर्णय पर ध्यान देगी तो आयन्दा लाखों रुपये की राजस्थान सरकार को बचत होगी। मैं तो यही कहूंगा कि इन महकमों में बहुत बड़ी गुंजायश खर्च को कम करने की है।

यह जो कटौती का प्रस्ताव रखा है यह तो एक फोर्मेलिटी है, यह खर्चा जो हो गया है वह सदन को स्वीकार करना पड़ेगा। पर आयन्दा हैड ऑफ दी स्टेट से ले कर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक में भी खर्चे को कम करने को गुंजायश है और हम आशा करते हैं कि हम जो विरोधी पक्ष के हैं, हमारी बातों पर ध्यान दे कर और इन बातों पर ध्यान दे कर सरकार इस खर्चे में कमी करेगी।

खास तौर से, इसलिये आशा करता हूं कि मौजूदा सरकार ने तीन महीने पहले शासन का भार अपने कन्धों पर लिया था तो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हम शासन के स्तर को ऊंचा उठा कर बतायेंगे, ईश्वर करे ऐसा हो। मैं मुख्य मंत्री से आश्वासन चाहूंगा कि इस एस्टीमेट कमेटी में जिसमें कि हर दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व था, जिन्होंने बहुत कष्ट उठा कर, डिटेल में जाकर, सरकारी रेकर्ड के आधार पर और ऑफीसर्स को एग्जामिन कर के जांच की है, और उस जांच के तथ्यों को ऑफीसर्स के पास भेज कर स्वीकृति भी मंगा ली है, उसके निर्णयों पर अमल करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो मैं मेरे मित्र श्री हरिकृष्ण व्यास से निवेदन करूंगा कि इस आश्वासन पर वे अपने कटौती के प्रस्ताव को वापिस ले लें।

[कुँ श्री जसवन्तसिंह]

कहां कहां कमी है, वह उनके महत्वपूर्ण भाषण के बाद मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी एक दो बात कहूंगा। सबसे पहले में मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करूं कि जैसा माननीय हरिकृष्ण व्यास ने बताया कि एक एक मिनिस्टर का राज्य पर इतना बडा खर्चा पड़ता है, इस संख्या को कम करें। अगर माननीय मुख्य मन्त्री इस सरकार को कायम रखने के लिए ज्यादा मिनिस्टर रखने की जरूरत समझें तो मेरा खयाल है कि यह राजस्थान राज्य के लिये हितकर नहीं होगा।

मैं इस बात को मान कर चलता हूं कि हमारे वर्तमान मुख्य मन्त्री जो एक सिद्धान्तवादी हैं उनको किसी बात का डर और संकोच नहीं है, वे इसमें सुधार करेंगे; चाहे उनकी सरकार रहे या न रहे, चाहे कांग्रेस के सदस्य उनसे खुश हों या नहीं। इस राज्य में मन्त्रियों पर जो खर्च होता है उसको हिम्मत करके कम करेंगे और मंत्रियों की संख्या कम करेंगे। जैसा श्री एच० के० व्यास ने बताया कि फी मन्त्री पर पांच-पांच हजार रुपया खर्च होता है और इस गरीब राज्य के कन्धे पर बहुत बोझ पड़ता है और राजस्थान की सरकार और पब्लिक पर भी बहुत बोझ पड़ता है, मेरी ऐसी मान्यता है कि जिस समय ऑटोक्रेटिक राज्य था वहां भी एक मन्त्री पर इतना रुपया खर्च नहीं होता था। मैं आपको अपने खुद के अनुभव से कह सकता हूं कि आज-कल जो एक मन्त्री पर खर्च होता है उससे आधा खर्च भी उस समय नहीं पड़ता था। तनख्वाह भी हमारे राज्य में मन्त्रियों को माकूल मिलती है। तो सबसे पहले मैं यह अर्ज करूंगा कि मन्त्रियों की संख्या जितनी है उससे कम की जावे। यह एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट है जिसमें भी सिफारिश की गई है और जिस पर कांग्रेस के बड़े बड़े व्यक्तियों के भी हस्ताक्षर हैं और दूसरों के भी हस्ताक्षर हैं। इस कमेटी ने अन्त में मन्त्रियों के खर्च को देखते हुए कुछ शब्द कहे उनको मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। कमेटी यह कहती है—"It would be admitted that this is a very big expenditure and we would suggest that an attempt should be made to curtail the expenditure considerably."

मन्त्रियों पर एक बहुत बड़ा खर्च होता है और कमेटी निवेदन करती है कि इस खर्च को बहुत कम किया जावे। आगे कमेटी यह कहती है—"There is not the least desire on the part of the Estimates Committee to suggest any restriction on the discretion of the Chief Minister in respect of the strength of the Cabinet, but looking to the financial condition of the State, it is our duty to suggest that the number of Ministers should be as small as possible".

आगे चल कर कहते हैं कि न तो उनका इरादा है और न कह सकते हैं कि मुख्य मन्त्री का जो हक है उस पर पाबन्दी लगाई जावे कि कितने मिनिस्टर रखें ? लेकिन इस गरीब राज्य पर जो मन्त्रियों का बोझ पड़ता है उसको देखते हुए यह रिकमन्ड करते हैं कि जितने कम मिनिस्टर रखे जावें उतने ही रखना उचित है।

मैं, मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इस कमेटी कि रिपोर्ट पर ध्यान करके मौजूदा मन्त्रियों का खर्चा जो बहुत बढ़ गया है, जिसको कि यह गरीब राज्य बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसको कम करने की जितनी आवश्यकता हो करें।

[कुँ० श्री जसवन्तसिंह]

इसके अलावा खास तौर पर मैं मोटरों के बारे में कुछ दो शब्द कहूंगा जो दूसरों ने नहीं कहे ?

इस विषय पर जब से यह असेम्बली, कायम हुई तब से यहां बराबर कह रहे हैं कि इस संबंध में बहुत ज्यादा खर्च किया जा रहा है। यहां तक कि राज्य की बड़ी बड़ी बेशकीमती मोटरें जैसे ड्यूक कार जैसी बड़ी कारें इस्तेमाल में ली जाती हैं जिनको नहीं लेना चाहिये। यही नहीं, मगर यह देखने में आया है कि मन्त्रियों द्वारा गाड़िये निर्दयता से छोड़ दी जाती हैं और उसका बिल्कुल ही फिकर नहीं करके खराब हो जाने पर उनको मोटरगेरेज में भेज दिया जाता है और इस प्रकार हजारों रुपये बरबाद किये जाते हैं। यह बात भी कमेटी ने पूरी तरह से जांच करके निर्णय पर पहुंच कर लिखी है। लेकिन संतोष की बात यह है कि पिछले साल से सरकार ने छोटी गाड़ियें मिनिस्टरों के लिये इस्तेमाल में रखी लेकिन जिस प्रकार ये इस्तेमाल में आती हैं उसको सब जानते हैं। लेकिन मैं इस सम्बन्ध में सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि यह जो इतना ज्यादा खर्च हो रहा है उसके लिए सबसे पहले बड़े बड़े अधिकारी हैं वे एग्ज़ेम्पल सेट करेंगे तो ठीक होगा और अगर वे इसके लिए खर्चे की पाबन्दी नहीं लगावेंगे तो दूसरों के लिये भी पाबन्दी नहीं लगा सकेंगे। जहां तक मेरा खयाल है और ध्यान है भारतवर्ष में सेन्ट्रल गवर्नमेंट से लेकर जितनी 'ए' क्लास की स्टेटें हैं, उनमें कोई भी स्टेट ऐसी नहीं होगी जहां पर मोटरों पर इतना बड़ा खर्चा किया जाता हो। इस सब फालतू खर्चे को कम करने के लिए यह कमेटी इस निर्णय पर पहुंची, और खास तौर से इसलिये इस निर्णय पर पहुंची कि सेन्टर के मन्त्री जो दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली जैसे शहर में उन्हें बहुत दूर जाना पड़ता है, बहुत से दूसरे काम भी रहते हैं उनको भी मुफ्त में गाड़ियें नहीं दी जातीं और दिल्ली के खर्चे और स्टेटस को देखते हुए उनकी तनख्वाह में कोई विशेष फर्क नहीं है। अगर सेन्टर के डिप्टी मिनिस्टर और राजस्थान के मिनिस्टरों के खर्चे का मुकाबला किया जावे तो तनख्वाह में कोई फरक नहीं ? मगर उनको मोटर अपने घर की रखनी पड़ती है। अगर मुफ्त में रखनी पड़े तो वे उन्हें बेरहमी से इस्तेमाल करें और उनको दूसरों की मोटरों को तोड़ते हुए कतई दर्द नहीं होगा। उनको मोटरें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं क्योंकि उनको बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। इसके अलावा बम्बई सरकार के मिनिस्टर हैं उनको देखिए। बम्बई बहुत बड़ा है और वहां पर खर्चा जयपुर से कहीं ज्यादा करना पड़ता है और बम्बई के मिनिस्टरों की तनख्वाह और राजस्थान के मिनिस्टरों की तनख्वाह में कोई फर्क नहीं लेकिन वहां पर मिनिस्टरों को कार के लिये २०० रुपये एलाउन्स दिया जाता है, इससे ज्यादा नहीं दिया जाता। अगर वे इससे ज्यादा खर्च करते हैं तो उन्हें अपनी पॉकेट से खर्च करना पड़ता है; गाड़ियें भी वे मोल लें या कर्ज ले कर खरीदें। राजस्थान में जब चाहें मन्त्री कार तोड़ दें तो कोई जिम्मेदारी नहीं। हमारे पास कई दृष्टान्त हैं और कई बार देखने में आया है कि यहां पर अच्छी अच्छी मोटरों को तोड़ दिया गया और हुक्म हुआ कि दूसरी मोटर फौरन गेरेज से मंगाली जाय। कोई उनका एक्सप्लेनेशन पूछने वाला नहीं कि यह कैसे टूट गई ? उनको यह पूछा जावे कि गरीब पब्लिक के रुपयों का इस तरह से क्यों दुरुपयोग होता है और इस बात के लिए वे भी जिम्मेदार है। मगर उनको कोई फिकर नहीं कि नाजुक चीजों को इस तरह से इस्तेमाल में लिया जाता है। इन सबको ध्यान में रख कर मैं हाउस में इस सम्बन्ध में आश्वासन चाहूंगा कि यह जो

[कुँ० श्री जसवन्तसिंह]

जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में फिजूल खर्ची है उसको दूर करेंगे और जहां तक हो सकेगा एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट को मन्जूर करेंगे । तभी विरोधी पक्ष कम से कम इस कटौती के प्रस्ताव को वापिस लेने के लिए प्रस्तावक महोदय से कहेंगे । बहुमत तो है ही इसलिये यह पास तो होगा ही और जो व्हिप के नाम का आदेश जारी हो जाता है तो हमारे मित्र न चाहते हुए भी उनके साथ सहमत होंगे । मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि मुख्य मन्त्री हमें आश्वासन देंगे तो हमारे मित्र श्री हरिकृष्ण व्यास इस कट मोशन को वापिस ले लेंगे ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मन्त्री)—माननीय चेयरमैन, इस डिमान्ड पर जो चर्चा हुई उसमें मुख्य बात है मोटरों पर खर्चा । मिनिस्टरों पर होने वाले खर्च के सम्बन्ध में ज्यादा कहा गया । मैं अधिक न कह कर, मगर इतना तो कह दूं तो उपयुक्त होगा कि सन् ५२–५३ में मोटरों के खर्चे के लिए १,५१ हजार रुपया जो रखा गया था उसके मुकाबले में जिस खर्चे की हम चर्चा कर रहे हैं वह १,२५ हजार है सन् ५४–५५ के साल में । तो कुछ बढ़ता जा रहा है, यह बात कहना गलत है लेकिन खर्चा कम हो रहा है यह सत्य है, उसमें दूसरा अमाउन्ट करीब ४२ हजार आता है, वह पुराने एरियर्स को चुकाने का है । वह जोड़ कर १,६७ हजार है वरना इस साल का खर्चा तो १,२५ हजार है । यह कहना कि खर्चा बढ़ाया जा रहा है लगातार तो उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार हो जाता है ।

दूसरी बात कारों के खर्चे के सम्बन्ध में कही गई है, अलाउन्स दे दिया जाय और कार अपनी अपनी मिनिस्टर ले ले तो उपयुक्त होगा । यह प्रश्न ऐसा है कि जिस पर काफी विचार किया गया और इसलिए विचार करने का प्रश्न आता था कि कई बार यह सवाल यहां पर उठा करता है और पहले ही यह समझा जाता था कि पैट्रोल मन-माने तरीके से खर्च किया जाता है ।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष पदासीन)

मैं आपसे अर्ज करूं माननीय उपाध्यक्ष जी, कि जो कारें पहले थीं, पैट्रोल का सारा खर्चा सरकार की ओर से दिया जाता था । उसके बाद इस समय यह समझना कि मर्जी माफिक खर्च कर सकते हैं तो वह स्थिति नहीं रही । एक परिवर्तन किया गया कि अब ६० गैलन से ज्यादा पैट्रोल खर्चे के लिए किसी मिनिस्टर को नहीं दिया जाता और ६० गैलन पैट्रोल देने पर भी, कुछ मिनिस्टर जिनका पहले ज्यादा खर्चा आता था, मैं निवेदन करूंगा कि उनमें से कुछ का अभी भी ज्यादा खर्चा आता है, उनको बिल अपने पास से चुकाने पड़ते हैं । यह समझ कर कि खर्चा सरकार पर पड़ता है, मनमानी तरीके से पैट्रोल खर्च करते हैं, आप देखिये कि उस पर सारा का सारा अब अन्तर पड़ गया है और अब ऐसा नहीं मानना चाहिए । कामकाज और दूसरी बातों को समझ कर खर्चा पड़ता है । चूंकि सरकार की कारें दी हुई हैं, गलत तरीके से उपयोग करने का स्वभाव बन गया है, यह मनमानी चाहते हैं, पांच हजार रुपया एक मिनिस्टर पर खर्च होता है; कहा जाता है, मिनिस्टर को सौभाग्य से या दुर्भाग्य से कहिये ऐसे मकान में रहना पड़ता है जहां बड़ा आहता जोड़ दिया गया है, उसकी मेन्टीनेन्स और उसके साथ दूसरे खर्चे रात-दिन जुड़े हुए हैं, वे सारे के सारे मिनिस्टर के आराम के लिए हो, यह समझ कर चला जाता है, तो वह गलत होता है । मिनिस्टर बाहर जाता है ।

[श्री मोहनलाल सुखाडिया]

तो मैं अर्ज करूं कि यह सारा का सारा खर्चा मिनिस्टरों पर ही आता है जब कि वास्तव में रिपेयर्स का खर्चा खास है, उनका खर्चा कम है। रिपेयर्स पर खर्चा ज्यादा देने की वजह से यह सारा यहां दिखाई पड़ता है। छोटी कारें लेकर खर्चा कम किया। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब मिनिस्टरों को गेराज से कारें दी जाती हैं तो वे ऐसी हैं कि जब उनमें चलने के लिए कई बार मौका आया, देहली जाना होता है या और कहीं जाना होता है, तो कहीं न कहीं आम तौर पर रुकना पड़ेगा, समय पर पहुंच नहीं सकते। ये पुरानी कारें हैं और उनकी मेन्टीनेन्स का खर्चा जोड़ कर यह हैड ज्यादा बन जाता है। इस प्रकार की कारें रखने के बजाय यदि जरूरत के माफिक दूसरी कारें रहें तो यह खर्चा कम रहे और ज्यादा खर्चा नहीं आने वाला है। ज्यादा खर्चा करने की हमारी मंशा नहीं क्योंकि उसमें लाभ ही क्या है? यह भी नहीं है कि जितना खर्चा ज्यादा हो मिनिस्टरों को अलाउन्स मिलेगा। इस हैड में भी दिया हुआ नहीं है कि ज्यादा खर्चा किया जाय तो ज्यादा अलाउन्स मिले और यह भी नहीं है कि मोटरों में सफर करेंगे तो अलाउन्स मिलेगा। ट्रेन में सफर करें तो अवश्य कुछ सेव (save) कर सकते हैं। मोटर में सफर करते हुए जायें तो कोई एडवान्टेज नहीं है। एक्सीजेन्सीज़ की वजह से, दूसरी जगह आवश्यक कामकाज की वजह से इसमें सफर की जाती है। और इसकी वजह से यह नहीं समझना चाहिए कि मोटर में चलने का शोक हो गया है, मिसयूज़ करते हैं। मीलों दूर चले जाओ, वास्तव में दूर से तो अन्दाज लगा सकते हैं कि मोटर में बैठे रहते हैं लेकिन लम्बी सफर करना कभी कोई पसन्द नहीं करता और करता है तो मौज मान कर नहीं चलना चाहिए। इस सम्बन्ध में जिक्र करते हुए माननीय मित्र ने अपने स्वभाव के अनुसार कहा कि जोधपुर में सब मिनिस्टर पहुँच गये शादी के ऊपर। मैं अर्ज करूं कि मिनिस्टर दो ही गये और वे भी अपने खुद के खर्चे से गये और उस पर आपकी इजाजत से जायें और कहीं आयें–जायें ही नहीं, तो यह बात दूसरी है। दूसरी बात कही गई कोटा में भी सब ही चले गये। तो मैं कहूं कि कोटा में भी दो से ज्यादा नहीं गये। वैसे सारी बातें तोड़–मरोड़ कर न कहा करें तो ज्यादा अच्छा होगा। जो सत्य हो, उसमें भी उसकी कीमत कहीं कम न हो जाय।

मैं यह चाहता हूं कि खर्चा कम हो, उसी इरादे से छोटी मोटरें खरीदी गई और मैंने अर्ज किया था कि गेराज में आज मेन्टीनेन्स का खर्चा ज्यादा है लेकिन उसको कम करने की ओर निश्चित तौर पर हम ध्यान देंगे।

मिनिस्टरों के बारे में दूसरी बातें कहीं, आप लोगों ने कहीं और में यह कहूं कि इतनी तादाद हो जायगी, उतनी तादाद हो जायगी; तो मैं समझता हूं कि उसकी अपेक्षा आपने मुझसे नहीं की होगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—वह टेलीफोन।

श्री मोहनलाला सुखाड़िया—टेलीफोन के खर्चे का इस डिमान्ड से जिसका कि आप जिक्र कर रहे हैं, कोई ताल्लुक नहीं है। इतना ही कह कर मैं आशा करता हूं कि यह जो डिमान्ड रखी गई है उसका आप स्वागत करेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्षजी, चन्द मिनिट में कहूंगा। जहां तक शादी विवाह में जाने का ताल्लुक है, मेरा एतराज है वह मैं वापिस ले लेता हूं। जहां जहां अपने खर्चे से जाना हो माननीय मन्त्री महोदय जायं, खर्चा राज का न लगायें। बस इतनी ही संतोष की बात हम लोगों को है। कहां जाना है, नहीं जाना है यह उनके तय करने की बात है, दूसरों से क्यों इजाजत लेनी पड़े ?

दूसरी बात माननीय मुख्यमन्त्रीजी ने यह कही कि टेलीफोन नाम की चीज़ का इस खर्चे से कोई ताल्लुक नहीं है। खर्चा इसमें है या नहीं है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह लगी कि इस बात का उनके पास कोई जबाब नहीं और अगर वे यह चाहते हैं कि थोड़े दिन इस मामले को पोस्टपोन किया जाय तो मुझे कोई एतराज नहीं। अभी तो बजट आने वाला है और सारी की सारी चीजें आने वाली हैं। टालेंगे आप कब तक यह निश्चय तो कैसे ही करना ही पड़ेगा। पोस्टपोनमेन्ट के लिए सजेशन आता है तो इसके लिए पोस्टपोनमेन्ट देने को तैयार हैं।

मोटरों की बात गलत कह दी। उसके लिए सदन की सफाई हो जाय। उन्होंने कहा कि ७५ हजार और ७८ हजार मिला कर १,५३ हजार होता है, १,६३ हजार नहीं। उसमें केवल इस साल का १,२५ हजार है, बाकी का पुराना बकाया देना है; ऐसा उन्होंने यहां फरमाया। मुझे यह समझ में नहीं आया माननीय उपाध्यक्ष कि यह पुराना बकाया आखिर कोई द्रोपदी का चीर है क्या? कभी न कभी तो यह खत्म ही होता होगा।

क्योंकि पिछली साल की बकाया ५३ और ५४ के रिवाइज़ एस्टीमेट में ले ली गई थी। ५२-५३ में सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट १ लाख ६० हजार के करीब थी और अब भी पोजीशन यह है कि यह खर्चा हर बार बढ़ता जाता है इसीलिए यह दो लाख रुपये की सप्लीमेन्टरी डिमान्ड है। अगर आप उस समय की प्रोसीडिंग्ज़ को उठाकर देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि उस समय भी यह कहा गया था कि यह इस साल के लिये नहीं बल्कि पुराना बकाया है जो चुकाया गया है। कब का पुराना है और क्या क्या गुंजाइश है इस साल जो १ लाख २५ हजार की मांग की गई है हो सकता है बाद में उसी प्रकार ५५-५६ में सप्लीमेन्टरी डिमान्ड इसी आधार पर मांग ली जायगी कि इस साल का नहीं पुराना बकाया चुकाया जा रहा है। पुराना चुकाने के बाद भी अगर दो लाख होगया तो यह फिगर्स की जगलरी है, जो कम से कम नहीं की जाय तो बेहतर रहेगा। माननीय मन्त्री इसकी जांच करायेंगे तो पता चलेगा कि यह केवल आंकड़ों की जगलरी की जा रही है, हकीकत यह है कि खर्चा आज भी बहुत ज्यादा है।

दूसरी बात यह कही गई कि छोटी गाडियों को काम में लाने के बाद खर्चा कुछ कम हुआ है। मुमकिन है कुछ कुछ मन्त्रियों को ६०-६० गेलन से भी ज्यादा पेट्रोल खर्च करना पड़ा हो ताकि टोंसा तक आ जा सकें, यह भी मुमकिन है। किन्तु यह कहना ठीक नहीं होगा कि हमने बहुत अच्छा तरीका अख्त्यार कर लिया है। हकीकत तो यह है कि बड़ी गाडियां रिजर्व की गई हैं टूर्स के लिये। आपके खुद के डिपार्टमेंट से यह सर्कुलर इश्यू हुआ है कि पांच मील हैडक्वार्टर के अन्दर जाना टूर में नहीं गिना जाता। माननीय मन्त्री महोदय से मैं प्रार्थना करूंगा कि वे पिछले एक साल के लिए या पिछले कलेन्डर ईयर तक के आंकड़े प्रस्तुत कर दें जो बड़ी गाडियां जिनको टूर्स के लिये रिजर्व कर रखा

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

है उसके आलावा दूसरीं गाडियां विदिन फाइव माइल्स कितनी बार जाती हैं और आती हैं या केवल उसी के लिए रिजर्व है। मैं तो मुख्य मन्त्रीजी से यही निवेदन करूंगा कि वे इन आंकड़ों को इकट्ठा करके प्रस्तुत करदें तो वाजिब हालत का पता चल जायगा...

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मन्त्री)—आज कल छोटी गाडियों के अभाव में मोटी गाड़ियां काम में आ रही हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आप मेरा मतलब समझे नहीं। छोटी गाडियों का अभाव तो अब हुआ है जब कि अब की बार मिनिस्ट्री बढ़ी है। एक-दो महिने के आंकड़े नहीं, साल भर के आंकड़े निकाल कर रखिये। जनवरी १९५४ के अन्दर छोटी गाड़ियों का अभाव नहीं था।

एक माननीय सदस्य—इस समय के मन्त्रीमण्डल से उसका ताल्लुक नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—हुकूमत तो कांग्रेस की थी। इसलिए कांग्रेस की सरकार की जिम्मेवारी है, चाहे हुकूमत ए० बी० सी० या किसी के नाम को हो, यह जिम्मेवारी से बचने की बात नहीं। आज तक के आप फिगर्स निकाल लें आपको साबित हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—आपने तो लम्बा-चौड़ा भाषण शुरू कर दिया। फिर से आपने पहले कही हुई बातों को रिपीट करना शुरू कर दिया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना भाषण समाप्त कर ही रहा था किन्तु माननीय मित्रों द्वारा मुझे प्रोवोकेशन दिया जाता है। माननीय मन्त्रीजी ने पोस्टपोनमेन्ट मांगा तो मैंने दे दिया, लेकिन जब मेरे मित्र प्रोवोकेशन करते हैं तो मुझे जवाब देना पड़ता है। इस मामले में मुख्य मन्त्रीजी द्वारा खर्चे के मामले में जो तसल्ली दी गई है वह नाकाफी है। मोटरों के बारे में वे कहते कहते खुद ही फिगर्स की जगलरी में फंस गये और टेलीफोन की बात को टाल ही गये।

श्री मोहनलाल सुखाडिया:(मुख्य मन्त्री)—टेलीफोन का खर्चा तो कम होता जा रहा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—लेकिन जो पहले काफी खर्चा हुआ, नावाजिब खर्चा हुआ। उसके बारे में क्या कार्यवाही की गई। इस लिए मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि इस मामले में आश्वासन दिया है वह नाकाफी है, इसलिए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापिस लेने को तैयार नहीं हूं। मेरा तो यह मानना है कि मैं इस सम्बन्धी अपने कटौती के प्रस्ताव को बराबर वापिस न लूं, कभी न कभी नामन्जूर होते हुए भी कामयाब होगा। इस आशा के साथ में अपना कटौती का प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री हरिकृष्ण व्यास ने डिमान्ड नं० २५-जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की मांग पर रक्खा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

[श्री उपाध्यक्ष]

श्री व्यास का कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि:

"That a supplementary sum not exceeding Rs. 3,79.000 be granted to H.H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1955 in respect of Demand for Grant No. LVIII, Major Head 25-General Administration." स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

सामान्य प्रशासन की मांग स्वीकृत हुई।

अनुपूरक मांग संख्या ६६–दुर्भिक्ष

श्री कुम्भाराम आर्य—मैं प्रस्ताव करता हूँ, "कि अनुदान के लिये अनुपूरक मांग संख्या ६६, मेजर हेड ५४–दुर्भिक्ष के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त, श्रीमन् राजप्रमुख को २२,२५,०००) की राशि प्रदान की जावे।

श्री उपाध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, यह जो मैंने कटौती का प्रस्ताव रखा है, वह बहुत स्पष्ट है। वह यह है कि जितने बड़े क्षेत्र के अन्दर अकाल की हालत आज है उसको देखते हुए जहां पानी न बरसने की वजह से अकाल हुआ है, या टिड्डियों द्वारा हुए नुकसान को देखते हुए सरकार ने जिन एरियाज़ को स्केअरसिटी एरिया घोषित किया है वह नाकाफी है। इसी बात की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिये यह कटौती प्रस्ताव रखा है, खासकर बीकानेर डिवीजन में पिछले लगातार तीन वर्ष से अकाल की स्थिति रही है आज भी वहाँ अकाल की स्थिति घोषित कर दी जाय तो लगान के ससपेन्शन के बजाय ओटोमेटिकली रेमिशन हो जायगा।

तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने देने के इरादे से ही जानबूझकर इन क्षेत्रों को अलग रक्खा गया है।

वैसेही जोधपुर डिविजन में पाली जिले में बहुत भयंकर टिड्डी का प्रकोप हुआ और कुछ गांव स्केअरसिटी एरिया में लिये गये, पर बाकी का पता ही नहीं। और जैसे आपने परसों सुना, सीकर इलाके का हाल कि जहां कुदरत पर कब्जा कर लिया है। वहां का काल तो कान्स्टीट्यूएन्सीवाइज पड़ा है। कान्स्टीट्यूएन्सीवाइज़ कैसे पड़ सकता है इसका तो जवाब मन्त्रीजी ही दे सकते हैं। पानी के बादलों ने भी बरसने में सोचा होगा कि चूंकि कांग्रेस के आदमी नहीं आये इसलिये यहां तो बरसो और जहां कांग्रेसी आये वहां मत बरसो।

श्री कपिलदेव—वे अमेरिका की तरफ के बादल थे, रूस की तरफ के बादल नहीं थे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—वे बादल ही बादल नहीं थे पर उनके पीछे कुछ और भी बात थी। और बादलों ने तो किया सो किया ही पर यह बादलों के सपूतों ने किया है सेक्रेटरियट के दफ्तरों में बैठकर। उससे ज्यादा नुकसान हुआ है। तो वह नुकसान दरअसल किया जाता है। और

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

मैं फिर यह कहूंगा कि इलाके कम जरूर हैं पर चाहे बीकानेर डिविजन का इलाका हो, चाहे जोधपुर, सीकर या शेखावाटी के हों इसमें सबका बराबर ध्यान नहीं रक्खा गया है। पक्षपात बरता है। तो इन कारणों को सदन के सामने लाना आवश्यक था इसलिए यह प्रस्ताव पेश किया और मुझे उम्मीद है कि और कई मित्र अपने अपने क्षेत्रों की स्थिति पर थोड़ी बहुत रोशनी डालने के लिए इस मौके का फायदा भी उठावेंगे और मेरी बात का समर्थन करके सदन में थोड़ा रोष भी प्रकट करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री ईश्वरी सिंह—कल भी मैं कह रहा था और अब भी कह रहा हूं कि इस तरह का अन्याय किसी के राज में हुआ नहीं। कुदरत यह अन्याय कभी नहीं करती कि चूंकि यहां पर राज करने वाले कांग्रेस के आदमी नहीं आये इसलिए यहां तो बरस जाओ और जहां से कांग्रेसी आये वहां न बरसो। पर मुझे तो कम से कम सन्तोष हो सकता है अगर मन्त्रीजी खुद एक बार जाकर अपनी आंखों वहां का हाल देख लें और जान लें कि यह अन्याय हुआ है या नहीं सरकार की तरफ से। फिर उस अन्याय को दुरुस्त करना, नहीं करना उनका काम है। पर हमको एक बार जरूर सन्तोष हो जावेगा कि यह कल्याणकारी राज्य कैसा है। पचासों गांवों में जहां बरसात बिलकुल नहीं हुई वहां छूट नहीं दी और जिनमें फसल हुई, थोड़ी बहुत ही सही, पर वहां छूट दी। तो अगर वे देख भर लें तो सन्तोष हो जावे दुनिया को। वहां के लोगों ने लगान न दिया हो ऐसी बात भी नहीं है। लोगों ने लगान भी दिया है, पर मन्त्रीजी वहां आकर के केवल यह देख लें कि जहां बरसात नहीं हुई वहां कैसे हो गई और जहां हुई वहां कैसे नहीं हुई। यह थोड़ी देखने के लायक चीज है। जहां चौड़े धाड़े पक्षपात होता हो और अन्याय होता हो वह कल्याणकारी राज्य कैसा ? कम से कम, यह कल्याणकारी राज कैसा है, यह आप अपनी आंखों थोड़ा देख लें।

श्री कुम्भाराम आर्य—उपाध्यक्ष महोदय, सीकर से आये माननीय सदस्य ने वहां के जो गांव अकाल में घोषित हुए हैं उनको अनुचित बतलाने के लिए और कुछ गांवों को अकाल के अन्दर घोषित न करने की बात को साबित करने का प्रयत्न किया है। मैं सदस्य महोदय के सामने हाउस को यह बतला देना चाहता हूं कि पिछले दिनों मैं स्वयं सीकर गया था और एक ही नहीं करीब करीब, कम से कम सात सौ, आठ सौ आदमी मुझसे मिले थे। वे सब इस तरह के लोग थे जो अपने गांवों में से चुनकर आये थे। पंचायतों के जो अभी चुनाव हुए और उन चुनावों में जितने सरपंच चुने गये थे उन सब पंचों से मैं मिला। उनमें से इस तरह की शिकायत किसी भी पंच ने मेरे सामने नहीं की। इतना ही नहीं, मुझे आश्चर्य तो इस बात का तब हुआ जब माननीय सदस्य इस हाउस में यह बात कह रहे हैं और सीकर में, उस सम्मेलन में जब मुझसे वे मिले थे, मैं अगर गलती नहीं करता हूं याद रखने में, तो कह सकता हूं कि स्टेज पर सबसे आगे वे ही बैठे थे और हम दोनों घन्टे तक कम से कम वहां रहे। उन्होंने मुझे यह बात कभी नहीं बतलाई कि हमारे यहां कहतसाली के बारे में किसी तरह की गलती हुई है और वह बात वहां नहीं बतला कर आज इस वक्त हाउस में कहना मैं, समझता हूं कि यह तो कहने के लिए केवल एक कहना भर है और अगर ऐसा नहीं होता तो सीकर में मुझसे

थोड़ी बहुत बात तो इस प्रकार की करते। फिर भी मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ऐसी बात अगर है तो मुझे किसी गांव का नाम दें। मैं जांच कराने के लिए ना नहीं करूंगा और मैं देखूंगा कि कोई गलती वहां हुई है या नहीं। इन शब्दों को कहने के पश्चात् मैं समझता हूं कि उनको भी सन्तोष होगा।

श्री ईश्वरीसिंह—जो अन्याय हुआ वह कलेक्टर के लिखने पर आप ही के हाथों से आप ही के हुक्म से हुआ।

श्री कुम्भाराम आर्य—अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के मन में कोई शंका बैठी हुई है और उस शंका को निकालने के लिए वे यह सब कह रहे हैं और मैं इस बारे में सिर्फ इतना ही कह देना चाहता हूं कि उनको ऐसी शंका अपने मन में नहीं रखनी चाहिये। कांग्रेस के कौन जीतकर आये और गैर कांग्रेस के कौन जीतकर आये, न तो बादल इस बात का विचार करता है और न सरकार। वे तो सबको एक दृष्टि से देखते हैं। हां, कहीं कहीं कोई भूल हो सकती है जिसके लिए न बादल को और न सरकार को दोष दिया जा सकता है और मारवाड़ी में मैं आपको बतला दूं:

"सूता ने कदई कदई पाडो जण जावे"।

वक्त पर कोई बात कही न हो और अपने लोगों को समझाया नहीं हो, जिसकी वजह से जो कानूनी फायदा है उनसे कोई लाभ उठा सकते हैं वह तब नहीं उठाया हो तो इसका दोष अपने पर लें तो ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि वे सरकार को और बादलों के नाम से ऐसी बात कहें। तो मैं समझता हूं कि आप इस बारे में हमको कोई सलाह दीजियेगा या अपनी शिकायतें दीजियेगा; उनको हम देखेंगे। इसके लिए ऐसा नहीं होगा कि हम नहीं देखेंगे। इतना कह देने के बाद आप सबको सन्तोष होगा और जिस सदस्य ने यह कटौती का प्रस्ताव रक्खा है वह सहर्ष इसको वापिस लेने की कृपा करेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की यह अनुमति है।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान हुई।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं अपना, कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—The question is, "That a supplementary sum not exceeding Rs. 22,25,000/—be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1955 in respect of Demand for Grant No, LXIX, Major Head 54- Famine."

(स्वीकृत)

डिमान्ड स्वीकृत हुई।

Page No.45

अनुपूरक मांग संख्या ७५—केपिटल ऑउटले ऑन सिविल वर्क्स चार्जेज इत्यादि

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—Sir, I move, 'That a supplementary sum not exceeding Rs. 6,53,000/— be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1955 in respect of Demand for Grant No. LXVII, Major Head 50- Civil works Charges on Buildings and Roads (combined) Establishment and tools and plants 50-A- Capital Outlay on Civil works.

श्री उपाध्यक्ष—श्री चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना कटौती प्रस्ताव मूव नहीं करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—The question is, "That a supplementary sum not exceeding Rs. 6,53,000/— be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1955, in respect of Demand for Grant No. LXVII, Major Head 50- Civil works Charges on Buildings and Roads (Combined) Establishment and tolls aud plants 50 A-Capital Outlay on Civil works."

(स्वीकृत)

मांग स्वीकृत हुई।

अनुपूरक मांग संख्या ७१—आधि वार्षिक भत्ते तथा निवृत्ति वेतन इत्यादि

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय उपाध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं, "कि एक अनुपूरक अनुदान जिसकी रकम ३,४७,००० रु० से अधिक नहीं है हिजहाइनेस राजप्रमुख को ३१ मार्च, १९५५ तक खत्म होने वाले वर्ष के लिए, ग्रान्ट नं० ७१, मेजर हेड ५५—सुपरएनुएशन एलान्सेज़ एन्ड पेन्शन्स और ५५ ए कॉम्युटेशन ऑफ पेन्शन्स फ्रॉम ऑर्डीनरी रेवेन्यू को स्वीकार किया जाय।"

श्री उपाध्यक्ष—Shri H. K. Vyas to mave his amendment.

श्री हरिकृष्ण व्यास—जाने दो साहब।

श्री उपाध्यक्ष—The question is, "That a supplementary sum not exceeding Rs. 3,47.000/— be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March,1955 in respect of Demand for Grant No. LXXI, Major Head 55-Superannuation Allowances and Pensions and 55 A- Commutation of Pensions.

(स्वीकृत)

मांग स्वीकृत हुई।

अनुपूरक मांग संख्या ७५—केपीटल ऑउटलें ऑँन मल्टीपर्पज रिवर स्कीमस्

श्री रामनिवास मिर्धा—Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to move that a supplementary sum not exceeding Rs. 2,41,26,000 be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1955 in respect of Demand for Grant No. LXXV, Major Head 80 A- Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes."

श्री उपाध्यक्ष—Motion moved.

(विराम)

The question is, "That a supplementary sum not exceeding Rs. 2,41,26,000 be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March 1955 in respect of Demand for Grant No. LXXV, Major Head 80 A- Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes."

(स्वीकृत)

मॉँग स्वीकृत हुई।

अनूपूरक मॉँग संख्या ५४—भू-राजस्व

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक मांग संख्या ५४, मेजर हैड ७—भू राजस्व के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५५, को समाप्त होने वाले वर्ष में किये आने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को २०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री उपाध्यक्ष—Motion moved.

(विराम,)

The question is, "That a supplementary sum not exceeding Rs. 2,000/- be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1955 in respect of Demand for Grant No. L V, Major Head 7-Land Revenue.

(स्वीकृत)

डिमान्ड स्वीकृत हुई।

अनुपूरक मॉँग संख्या ५५—स्टेट एक्साइज ड्युटीज़

(श्री अमृतलाल यदिव की अनुपस्थिति में)

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय उपाध्यक्ष, मैं मूव करता हूं कि एक सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट जो कि ३ लाख से अधिक नहीं हो हिज़ हाइनेस दी राजप्रमुख को ३१ मार्च, १९५५, तक होने वाले खर्च के लिए डिमान्ड नं० ५५, मेजर हैड ८—स्टेट एक्साइज ड्युटीज़ के लिए स्वीकार की जाय।

श्री जवानसिंह—ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, माननीय उपाध्यक्ष ने श्री अमृतलाल

Page No.47

[श्री जवानसिंह]

यादव का नाम पहले पुकारा था तो उनको ही डिमान्ड रखना था और वही डिमान्ड रख सकते हैं। अभी जो डिमान्ड रखी गई है, वह गलत है।

श्री उपाध्यक्ष—Any minister can move. Motion moved.

(विराम)

The question is, "That a supplementary sum not exceeding Rs.3.00,000 be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1955, in respect of Demand for Grant No. LV, Major Head 8-State Excise Duties."

(स्वीकृत)

The Demand is granted.

अनुपूरक मांग संख्या ५६–मोटर गाड़ी अधिनियमों के अन्तर्गत चार्जेज।

श्री रामनिवास मिर्धा—Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to move, "That a supplementary sum not exceeding Rs. 18,000/- be granted to H.H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1955, in respect of Demand for Grant No. LVI, Major Head 12-Charges on account of Motor Vehicles Acts."

श्री उपाध्यक्ष—श्री चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना कटौती प्रस्ताव मूव नहीं करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—The question is, "That a supplementary sum not exceeding Rs. 18,000 be granted ot H.H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1955, in respect of Demand for Grant No. LV1, Major Head 12-Charges on account of Motor Vehicles Acts."

(स्वीकृत)

माँग स्वीकृत हुई।

अनुपूरक माँग संख्या ५७-अन्य टेक्सेज तथा ड्यूटीज।

श्री अमृतलाल यादव–Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to move, "That a supplementary sum not exceeding Rs. 4,14,000/- be granted to H.H the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1955, in respect of Demand for Grant No. LVII, Major Head 13-Other Taxes and Duties,"

श्री उपाध्यक्ष—Motion moved.

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष—The question is,"That a supplementary sum not exceeding Rs.4,14,000/-be granted to H.H the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31 st day of March, 1955, in respect of Demand for Grant No. LVII, Major Head 13-Other Taxes and Duties."

(स्वीकृत)

मांग स्वीकृत हुई।

अनुपूरक मांग संख्या ५६-सामान्य प्रशासन एफ-जिला प्रशासन

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मन्त्री की अनुपस्थिति में)

श्री बृजसुन्दर शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट जिसकी रकम ३ लाख ४१ हजार रू० से अधिक नहीं है, की स्वकृति श्रीमन् राजप्रमुख को व्यय निमित्त ३१ मार्च, सन् १६५५ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये ग्रान्ट नं. ५६, मेजर हैड २५-जनरल एड्मिनिस्ट्रेशन एफडिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिये दी जाय।

श्री चांदमल मेहता—माननीय उपाध्यक्ष, इस डिमान्ड पर मेरे २ कटौती प्रस्ताव हैं। पहला कटौती का प्रस्ताव नई तहसीलें कायम करने के सिलसिले में हैं और दूसरा कटौती का प्रस्ताव जिलों के पुनर्निर्माण के सिलसिले में है। माननीय उपाध्यक्ष, जागीर पुनर्ग्रहण के बाद कुछ नई तहसीलें कायम की गई हैं और कुछ नई तहसीलें कायम की जा रही हैं और जिस तहसील पर कोप-दृष्टि पड़ी है उसको तोड़ा भी गया है। फुलेरा की तहसील को जागीर पुनर्ग्रहण के बाद काम ज्यादा बढ़जाने के कारण एक तहसील के बजाय २ तहसील होने का मौका मिला है। जब नयी तहसीलों का निर्माण किया गया तो सरकार की निगाह में सिर्फ यह बात रही कि हमें नयी तहसील का निर्माण करना है। उन्होंने केवल एक ही दृष्टिकोण से सोचा, हर दृष्टि कोण से नहीं सोचा। नयी तहसीलों के निर्माण के समय आस-पास के क्षेत्र को ध्यान में रखना चाहिए था। यदि राजस्थान सरकार इस निगाह से देखती कि हमें ठीक तरह से तहसीलों का निर्माण करना है तो जिस ढंग से तहसीलों का निर्माण किया गया उस ढंग से तहसीलों का निर्माण नहीं किया जाता और इतना अधिक खर्चा नहीं होता। रूपनगर तहसील से मिलती हुई फुलेरा तहसील है। ऐसे कई गांव हैं जो रूपनगर से ४-५ मील की दूरी पर पड़ते हैं लेकिन राजस्थान सरकार की निगाह इस ओर नहीं गई। एक ओर तो नई तहसीलों का निर्माण करने जा रहे हैं व दूसरी ओर छोटी तहसीलों में औरगांव मिलाकर खर्चा बचालें, इस ओर आपका ध्यान नहीं जाता। सरकार का ध्यान यह था कि फुलेरा तहसील में जागीर पुनर्निर्माण की वजह से कुछ काम बढ़ा है तो उसको तीन तहसीलों में बांट दें। इस तरह से तहसीलों की संख्या बढ़ाने से खर्चा बढ़ा है। मैं निश्चित तौर से कहता हूं कि यदि फुलेरा के कुछ गांवों को रूपनगर में मिलाया जाता तो वह तहसील भी बड़ी बन जाती। वह तहसील इस समय छोटी है और हो सकता है कि किसी भी समय कोप-भाजन बनने पर उठ सकती है। यदि आपकी कृपा-दृष्टि इस ओर हो जाती तो वह तहसील भी बड़ी बन सकती थी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—आप अराई तहसील के बारे में कहना चाहते हैं या रूपनगर के बारे में ?

श्री चांदमल मेहता—आप सुनते जाइये। फुलेरा की तीन तहसीलें बनाने की आवश्यकता नहीं थी और रूपनगर में कुछ गांव मिलाकर २ तहसीलें ही बनाई जा सकती थीं। मन्त्री जी को इससे सन्तोष मिलता तो मुझे भी कहने का मौका नहीं मिलता। इसका अराई तहसील से भी काफी सम्बन्ध है। अराई की तोडने की ओर तो आपका ध्यान गया लेकिन जो हिस्सा अराई से लगता है उसमें फुलेरा तहसील के गांव मिला कर अराई को तोड़ने में रोका जा सकता था। मैं यह नम्रता से कहना चाहता हूं कि आप निश्चित स्कीम बनाकर चलें कि हमें इतनी जनसंख्या, इतना क्षेत्रफल और इतनी आमदनी की तहसीलें बनानी हैं। इस आधार पर चलते हुए आप यह भी देखें कि किस किस तहसील में कौन कौन से एरिया लगते है और कौन कौन से गांव मिलाये जा सकते हैं। इस आधार पर मन्त्री जी को सोचना होगा। पुरानी रियासतों की बाउन्ड्री के आधार पर यह नहीं सोचना चाहिये कि हम फुलेरा के गांवों को रूपनगर में नहीं मिला सकते या अराई में नहीं मिला सकते। यदि आप इस तरह से करते तो खर्चा बचता और अराई तहसील तोड़ने की आवश्यकता भी नहीं आती।

अब मैं अराई के बारे में निवेदन करूंगा कि आपके पास क्या आधार थे, जिन पर आपने इस तहसील को तोड़ा। क्या यह तहसील जनसंख्या में किसी भी तहसील से कम थी ? क्या यह तहसील क्षेत्रफल में कम थी ? शायद -यह कहने की हिम्मत कर सकते हैं कि इसकी आमदनी कम थी। क्या राजस्थान में दूसरी ऐसी तहसीलें हैं या नहीं, जिनका क्षेत्रफल अराई से कम है ? क्या ऐसी तहसीलें नहीं हैं जिनकी जनसंख्या इससे कम नहीं हैं ? क्या ऐसी तहसीलें नहीं जिनकी आमदनी अराई तहसील से कम है ? ऐसी कई तहसीलें मौजूद हैं, उदयपुर डिविजन में जिनकी आमदनी, एरिया और जन संख्या अराई तहसील से कहीं कम हैं। यदि उनको तोडने की हिम्मत नहीं की जाती तो यहां पर ही आपकी कोप दृष्टि क्यों जमी है ? हम अमुक एरिया, अमुक जन-संख्या और अमुक आमदनी की तहसील रखेंगे, यह कहते तो थोडा बहुत मैं मानता कि आप किसी आधार पर ऐसा करने जा रहे हैं। लेकिन सिवाय अराई के किसी भी एरिया में किसी भी तहसील को तोड़ने का मौका नहीं आया। क्या अराई में आमदनी कम होने का सवाल है ? दूसरी तहसीलों से क्षेत्रफल या जनसंख्या में यह तहसील कम हो सकती है लेकिन अराई की आमदनी कई तहसीलों से अधिक है, जिनका एरिया या जन संख्या ज्यादा है, लेकिन आमदनी अराई की ज्यादा है। मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि अराई तहसील को तोडने की आज्ञा वापिस लें और फुलेरा के ३ टुकड़े किये गये हैं उन पर फिर से सोचें और आसपास की तहसील रूपनगर और अराई में मिलाकर उनका पुनर्निर्माण करें।

दूसरा मेरा कटौती प्रस्ताव है जिलों के निर्माण के सम्बन्ध में। इस डिमान्ड में जैसलमेर के लिये नया जिला बनाया है, उसके खर्चे की मांग है। पहले जैसलमेर का जो जिला था उसे तोडा गया। फिर सरकार के दिमाग में आया कि इसे फिर रखेंगे। और भी जिलों को तोडने की समस्या सरकार के सामने है। मैं नहीं समझ सका कि सरकार इसके लिये एकसी नीति क्यों नहीं अख्त्यार कर रही है, ऐसे जिले मौजूद हैं जिनकी जन संख्या २-३ लाख से अधिक नहीं है व ऐसे जिले भी मौजूद हैं, जिनका क्षेत्र फल कम है और उन पर भी खर्चा उतना ही बैठता है जितना बड़े जिलों पर। जयपुर एक ऐसा जिला है जिसकी जन-संख्या शायद बीकानेर डिविजन के बराबर है और क्षेत्रफल कोटा

[श्री चांदमल मेहता]

डिविजन के बराबर हो सकता है। सरकार के दिमाग में यह नहीं आया कि उनको कितनी कठिनाई होती है और लोगों की हालत कैसी सोचनीय हो रही है।

जयपुर डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा होने से काम नहीं सम्भलता और भ्रष्टाचार इस हद तक बढ़ गया है कि कोई भी कागज नहीं निकलवा सकते जब तक कि आप पैसा खर्च नहीं करें। मैं इसका दोष और किसी पर नहीं, सरकार पर डालता हूं जिसने आज तक नहीं सोचा कि जिलों का किस तरह निर्माण करना है। क्या हम यही सोचते रहेंगे कि कभी किसी जिले को तोड़ दिया, कभी किसी नये जिले को बना दिया। राजस्थान में २५ जिलों का होना राजस्थान की आर्थिक स्थिति पर बड़ा बुरा असर डालता है, राजस्थान सरकार को इसे सोचना पड़ेगा। किशनगढ़ की जनता ने मांग की थी कि किशनगढ़ जयपुर से ६५ माइल दूर पड़ता है। किशनगढ़ के कई गांव किशनगढ़ से भी और आगे ६५ मील दूर पड़ते हैं। तो इस तरह से वहां से आने में जनता को कितनी असुविधा होती है? इसी तरह परबतसर और नावां के लोगों को नागौर जाने में बड़ी असुविधा उठानी पड़ती है। परबतसर, नांवां फुलेरा और किशनगढ़ के लोगों ने मिल कर मांग की; वहां की किसान सभा, कांग्रेस और बार एसोशियेशन सबने मिल कर मांग की कि किशनगढ़ को डिस्ट्रिक्ट बनाया जाय, परबतसर और नागौर की जनता ने कहा कि हमें नागौर डिस्ट्रिक्ट में न रख कर एक किशनगढ़ डिस्ट्रिक्ट बनाई जाय और उसके नीचे रखा जाय और परबतसर और नांवां में तो इसके लिये आन्दोलन चला कि किशनगढ़ को डिस्ट्रिक्ट बनाया जाय और हमें उसमें रखा जाय, हम नागौर डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहना चाहते। एक ओर तो सरकार इस वाजिब मांग को भी नहीं मान रही है और दूसरी ओर मनचाही तहसीलों को तोड़ कर नये जिलों का निर्माण कर रही है और कहीं जिलों को तोड़ रही है। असेम्बली में मैंने समय समय पर प्रश्न किये हैं इस बारे में और जवाब दिया गया है कि जिलों के पुनर्निर्माण का मामला सरकार के विचाराधीन है और इस तरह नये नये चुनावों तक का यह जो कार्यकाल है, उसमें यह पूरा नहीं होगा। पहली बार जब मैं चुन कर विधान सभा में आया था तो यही सुनने का मौका मिला और दुबारा जब चुना जाकर आया तो भी यही सुनने का मौका मिला। तब से आज तक कोई तीन चार-मंत्री मण्डल बदल चुके पर यह विचाराधीन विचार अभी तक पूरा नहीं हुआ।

मैं माननीय मुख्य मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वे सोचें कि छोटे छोटे जिले रखने से राजस्थान की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है, इसको मिटावें और नये जिलों का निर्माण करें। अब यह जवाब नहीं दें कि यह मामला विचाराधीन है; बल्कि यह जवाब देंगे कि जल्दी से जल्दी नये जिलों का निर्माण कर दिया जायगा।

श्री दामोदर व्यास (राजस्व मंत्री)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तहसील अराई को तोड़ने के ऊपर कट मोशन पेश किया उसके बारे में मुझे निवेदन करना है कि राजस्थान का इन्टिग्रेशन जब हुआ उस वक्त विभिन्न पुरानी यूनिट्स में कई तहसीलें छोटी थीं और कई बहुत बड़ी थीं। जागीर रिज़म्प्शन एक्ट पास होने पर इन सबको रिएडजस्ट किया जाना आवश्यक हो गया और जागीरें रिज़्यूम हो जाने पर तहसीलों की बाउन्ड्रीज़ को रिएडजस्ट करना जरूरी समझा गया इसलिए बहुत सी छोटी तहसीलें थीं उनको तोड़ना पड़ा, यह शुरूआत है, तहसीलों के नक्शे बन रहे हैं, ज्यों ज्यों जागीरें

[श्री दामोदर व्यास]

रिज़्यूम होती जायंगी बहुत सी नई तहसीलें बनेंगी और कई तोड़ दी जायेंगी। माननीय सदस्य का यह कहना कि उदयपुर में छोटी छोटी तहसीलें हैं ठीक भी हो सकता है, लेकिन उदयपुर के अलावा और भी कई जगह छोटी छोटी तहसीलें हैं; इन सबको ठीक एड्जस्ट किया जायगा। इसलिए यह सवाल अभी कब्ल अज़वक़्त है। ज्यों ज्यों जागीरें रिज़्यूम होती जायेंगी त्यों त्यों इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक तहसील युनिट के लिऐ अमुक आबादी, अमुक एरिया, अमुक आमदनी होना आवश्यक है। इस मियाद में जो आयेगा उसको तहसील युनिट रखा जायगा। जो इस लिहाज से छोटी होगीं उनको तोड़ना पड़ेगा। अराईं तहसील के क्षेत्रफल, आमदनी और आबादी को दूसरी तससीलों की आबादी, आमदनी और क्षेत्रफल की समता करने से इस निर्णय पर पहुँचा गया कि यह तहसील रहने योग्य नहीं है। अभी कुछ गांव ऐसे हैं जो किशनगढ़ तहसील से नजदीक पड़ते हैं, रूपनगर के लिये जो उन्होंने कहा उसके लिये विचार करेंगे। जिलों का सवाल सरकार के बहुत अर्से से विचाराधीन है, पर आप जानते हैं कि बाउन्ड्री कमीशन बैठा हुआ है। उसके निर्णय के बाद जो स्थिति होगी उसके अनुसार फिर यह काम पूरा किया जायगा। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य अपना कट मोशन वापिस लेंगे।

श्री चांदमल मेहता—माननीय मन्त्री महोदय ने जिस रूप में जवाब दिया है, मैं यह मानता हूं कि मुझे उससे कतई सन्तोष नहीं हुआ है। माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि नई तहसीलें बनाना और पुरानी तहसीलों को तोड़ना, यह जागीर रिज़म्पशन के आधार पर किया गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अराईं में जागीर रिज़म्पशन की कोई बात नहीं है।

श्री दामोदर व्यास (राजस्व मंत्री)—जिनकी आबादी, आमदनी और क्षेत्रफल कम है उनको तहसील युनिट में नहीं रख सकते।

श्री चांदमल मेहता—शायद मन्त्री महोदय उन दलीलों को भूल गये हैं जो मैंने दी हैं। एक ओर तो नई तहसीलें कायम करने जा रहे हैं और दूसरी ओर जो पुरानी हैं उनको तोड़ रहे हैं। फुलेरा की ३ तहसीलें बना दी गई हैं; चूँकि यह जयपुर का राज्य है इसके टुकड़े दूसरों में नहीं मिलना चाहते।

श्री दामोदर व्यास (राजस्व मंत्री)—जो आपने सुझाव दिये हैं, गांवों को इधर उधर मिलाने के, उस पर सरकार जरूर विचार करेगी, मैंने मना नहीं किया है।

श्री चांदमल मेहता—इस स्थिति में जब आपने विश्वास दिलाया है कि अराईं तहसील तोड़ी गई है फिर बन सकेगी; यह मान कर मैं अपना पहला कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूँ। जिलों के पुनर्निर्माण के बारे में बाउन्ड्री कमीशन की बात कही गई है। पिछले सेशन में नये जिलों के निर्माण के बारे में पूछा गया था तो कहा गया था कि जब तक बाउन्ड्री कमीशन का फैसला नहीं हो जाता तब तक के लिए यह काम नहीं रुकेगा। परन्तु आज आप उससे भिन्न जवाब देकर जिलों के पुनर्निर्माण के मामले को खटाई में डाल रहे हैं।

यहां मुख्य मंत्रीजी जो इसका जवाब देने को अधिकृत हैं, वे मौजूद नहीं हैं। वे मौजूद होते

[श्री चांदमल मेहता]

तो इस तरह का जवाब नहीं सुनना पड़ता। लेकिन मैं यह मान कर कि यह जनता की आवाज है और इसको एक न एक दिन सरकार को मानना ही पड़ेगा, मैं अपना दूसरा कटौती का प्रस्ताव भी वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि दोनों कटौती के प्रस्ताव जो श्री चांदमल मेहता ने पेश किये हैं उन्हें वापिस लेने की अनुमति दी जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान हुई।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपने दोनों कटौती के प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—The question is, " That a supplementary sum not exceeding Rs. 3, 41,000/—be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1955, in respect of Demand for Grant No, LIX, Major Head 25- General Administration F-District Administration.

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकृत हुई)

अनुपूरक मांग संख्या ६० जेल तथा बन्दी–बन्दोबस्त

(श्री रामकिशोर व्यास, गृह मंत्री की अनुपस्थिति में)

श्री दामोदर व्यास (राजस्व मंत्री)—I beg to move, That a spplementary sum not exceeding Rs. 29,000/-be grantd to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1955 in resepct of Demand for Grant No. LX, Major Head 28-Jails and Conviet Settlements."

श्री उपाध्यक्ष—Motion moved.

(विराम)

The Questions,is "That a supplementary sum not exceeding Rs. 29,000/-be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1955, in respect of Demand for Grant No. LX, Majar Head '28-Jails and Convict Settlements."

(स्वीकृत)

मांग स्वीकृत हुई।

अनुपूरक मांग संख्या ६१-चिकित्सा

श्री कुम्भाराम आर्य—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान के लिये माँग संख्या ६१, मेजर हैड ३८-चिकित्सा के सम्बन्ध में, ३१ मार्च, १९५५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को २०००) रु० की राशि प्रदान की जावे।

श्री उपाध्यक्ष—Motion moved.

(विराम)

The Qustion is, "That a supplementary sum not exceeding Rs. 2,000/- be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in coures of payment during the year ending the 31st day of March, 1955, in respect of Demand for Grant No. LXI, Major Head 38-Medical."

(स्वीकृत)

माँग स्वीकृत हुई।

अनुपूरक मांग संख्या ६२-जन स्वास्थ्य

श्री कुम्भाराम आर्य—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान के लिये माँग संख्या ६२ मेजर हैड ३९-जन स्वास्थ्य के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त, श्रीमन् राजप्रमुख को १,००० रु० की राशि प्रदान की जावे।

श्री उपाध्यक्ष—Motion moved.

(विराम)

The question is, "That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,000/- be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1955, in respect of Demand for Grant No. LXII, Major Head 39-Public Health."

(स्वीकृत)

माँग स्वीकृत हुई।

अनुपूरक माँग संख्या ६३-कृषि

श्री राममिवास मिर्धा—Mr. deputy Speaker, sir, I beg to move that a supplementary sum not exceeding Rs. 3,000/- be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1955, in respect of Demand for grant No. LXIII', Major Head 40-Agriculture .

श्री उपाध्यक्ष—इस पर चान्दमलजी का कट मोशन है।

Page No.54

श्री चान्दमल मेहता—माननीय उपाध्यक्ष, मेरा कटौती का प्रस्ताव कम्प्रेसरों से जो कूए खोदने के सम्बन्ध में चार्जेज़ वसूल किये जाते हैं उसके सम्बन्ध में है। माननीय उपाध्यक्ष, सरकार यह चाहती है कि किसान अधिक से अधिक कूए खेतों में खोदें और इसी दृष्टि से सरकार ने कम्प्रेसरों के जरिये से कूए खोदने की व्यवस्था की है। उसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं लेकिन साथ ही यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी इतनी ऊंची रेट रखी गई है कि कूए खुदाने के लिये कम्प्रेसर को काम में लेने से पहले किसान यह सोचने लग गये कि इस ऊंची रेट के बजाय हम कूए सस्ते में खोद सकते हैं और सरकार कोई विशेष सुविधा उन्हें नहीं दे रही है। वह रेट हैं ४० रुपये प्रति फुट। इसका मतलब यह हुआ कि गांव वालों की बोल-चाल में ८० रुपये हाथ। मैंने जहां तक स्टडी किया है आम तौर पर ५० रुपये में या ४० रुपये में इससे ज्यादा खुदाई हो सकती है। हां, ऐसी चट्टान आ गई हो जो उनसे नहीं टूटे तो वैसी हालत में इस मशीन का उपयोग किया जाता है। मैं यह नहीं समझ पाया कि ये ४० रुपये प्रति फुट क्यों रखे गये हैं? शायद वे यह कहें कि इस पर ज्यादा खर्चा पड़ता है तो मैं यह कहूंगा कि वह इस वजह से है कि उसकी व्यवस्था ठीक नहीं है और इससे इस पर कई तरह के खर्चे पड़ जाते हैं और सरकार इस व्यवस्था को ठीक करके इस खर्चे को कम कर सकती है।

यदि सरकार यह कहे कि अव्यवस्था नहीं है तो मैं दूसरी बात यह कहूंगा कि इसकी वजह से सरकार मुनाफाखोरी करना चाहती है, इसके अलावा दूसरी कोई चीज नहीं हो सकती जिसकी वजह से ४० रुपये प्रति फुट लिये जाते हैं। मैं यह कहूंगा कि यदि दूसरा आदमी या प्राइवेट पार्टी कम्प्रेसर दे तो २०, २५ रु० प्रतिफुट से ज्यादा खर्चा नहीं हो सकेगा। इसलिये मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि यह ४० रुपये प्रति फुट की रेट बहुत अधिक है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इसकी गहराई में जाने की कोशिश करें। इसी संशय से मैंने अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

श्री रामनिवास मिर्धा—उपाध्यक्ष महोदय, आज परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिये कि कम्प्रेसर्स जो कूओं में खुदाई करने के लिये प्रयोग किये जाते हैं इसकी रेट बहुत ज्यादा है। जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसके बारे में दो-चार शब्द आपके जरिये सदन में पेश करना चाहता हूं।

पहले तो मैं यह अर्ज करूंगा वह यह है कि ४० रुपये प्रति फुट के करीब जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट चार्ज करता है वह दूसरी रियासतों की रेटों को देखते हुए ज्यादा नहीं हैं और यह ४० रुपये प्रति फुट रेट है वह केवल कूए खोदने के लिये ही नहीं है बल्कि आम तौर से जो स्थिति है वह यह है कि गांव वाले पहले तो ५० या ४० हाथ कूआ खुद खोदते या खुदा लेते हैं और जब उसमें चट्टान आ जाती है उस वक्त कम्प्रेसर की मदद लेते हैं। यह कहना कि कम्प्रेसर से सस्ता खुदाया जा सकता है, यह बात ठीक नहीं। जब पत्थर आ जाता है और उस पत्थर को खुदवाए तो वह पत्थर गांव वालों से २०० रुपये खर्च करने पर भी नहीं कट सकता, बगैर कम्प्रेसर के वह पत्थर टूट नहीं सकता। फिर भी मैं यह कहूंगा कि रेट को रिवाइज़ करने के लिये हमने कन्टीन्जेन्सी चार्जेज़ आदि कई ऐसे चार्जेज़ हैं उसमें हेर फेर करके कुछ रेट कम लाई जा सकती है। इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि सरकार की ओर से

[श्री रामनिवास मिर्धा]

कुछ कम्प्रेसर खरीदे जा रहे हैं और इसके अलावा राजस्थान अन्डर ग्राउन्ड वर्क्स बोर्ड से भी कम्प्रेसर मिल जावेंगे। तब ऐसा कॉओर्डिनेशन बनाया जावेगा जिससे कम्प्रेसरों से सस्ते में काम हो सके। मुझे आशा है कि इससे माननीय सदस्य को संतोष होगा और वे अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस ले लेंगे।

श्री चान्दमल मेहता—माननीय मंत्रीजी के आश्वासन पर मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापिस लेने की सदन से इजाजत चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान हुई।

श्री चान्दमल मेहता—मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—The question is," That a supplementary sum not exceeding Rs. 3,000/- be granted to H.H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1955, in respect of demand for grant No.LXIII, Major head 40- Agriculture."

(स्वीकृत)

माँग स्वीकृत हुई।

अनुपूरक माँग संख्या ६४–ग्राम विकास

श्री बृजसुन्दर शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट जिसकी रकम ६ लाख १० हजार से अधिक नहीं है हिज हाईनेस दी राजप्रमुख को ३१ मार्च, सन् १९५५, तक होने वाले खर्च के लिए जो कि ग्रान्ट नं० ६४ मेजर हेड ४० ए-रूरल डेवलप्मेन्ट के लिए है, स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—Motion moved

(विराम)

The question is that a supplementary sum not exceeding Rs. 6,10,000/- be garnted to H.H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March. 1955, in respect of demand for grant No. LXIV. Major head 40A- Rural Development.

(स्वीकृत)

माँग स्वीकृत हुई।

अनुपूरक माँग संख्या ६६–विविध विभाग

श्री बृजसुन्दर शर्मा—(वित्त मन्त्री) माननीय उपाध्यक्ष मैं प्रस्ताव करता हूं कि एक सप्ली-

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

मेन्टरी ग्रान्ट जिसकी रकम, ८४००० रुपयों से अधिक नहीं है हिज हाईनेस दी राजप्रमुख को ३१ मार्च, सन् १९५५, तक होने वाले खर्च के लिए जो कि मद नं० ६६, मेजर हैड ४७, मिस्लेनियस डिपार्टमेन्टस हैं, स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--श्री चान्दमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता—माननीय उपाध्यक्ष, मेरा कटौती का प्रस्ताव उस मेंटीनेन्स अलाउन्स को, जो कि राजस्थान सरकार ने किशनगढ़ सब डिविजन में रहने वाले व्यक्तियों को और वहां के मन्दिरों को दिया था और जिसको अब बन्द कर दिया गया है, उसकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए है। माननीय उपाध्यक्ष, कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको किशनगढ़ स्टेट के वक्त में चेरिटी फन्ड से प्रतिमास कुछ रकम दी जाती थी। उसको भूतपूर्व राजस्थान सरकार ने चालू रखा और राजस्थान सरकार ने भी ५२-५३ तक चालू रखा है, लेकिन विभागीय गड़बड़ी से, भूल से ५३-५४ के बजट में वह दर्ज नहीं की गई और उसके बाद ५४–५५ के बजट में तो उसके आने का मौका ही नहीं मिला और उसका परिणाम यह हुआ कि जिन व्यक्तियों को किशनगढ़ स्टेट ने पट्टा कर दिया उनको उसके अनुसार फोर्मर राजस्थान और राजस्थान सरकार के वक्त में रकम मिलती रही और राजस्थान सरकार के विभागीय गड़बड़ी की वजह से ५३–५४ के बजट में वह आइटम दर्ज नहीं करने से वे इससे अब महरुम रह रहे हैं। वे व्यक्ति जिनके नाम मैं बता देना चाहूंगा. वे हैं :

श्री तूमडा वाला बच्च, व्यास गोपीवल्लभ, जोशी श्री नारायण, ब्राह्मण गंगाधर आदि। तो इस तरह से बजट में ये रकमें दर्ज करने से रह गईं और उसके परिणामस्वरूप क्या स्थिति आयी कि वे लोग उससे महरूम रह गये। मैं मानता हूं कि गलती रहना मुनासिब हो सकता है और इस तरह से ५३–५४ में जो गलती रही और ५४–५५ में भी उनको घाटा उठाना पड़ा। मैं अर्ज करूं कि अब ऐसी व्यवस्था इस नये बजट में कर दी जायगी कि पहले का उनको मिले और आगे भी मिलता रहे।

दूसरी बात है उन मन्दिरों को रुपया मिलने की, जिनको कि किशनगढ़ स्टेट के वक्त में रुपया मिलता रहा है। वे चार मन्दिर हैं। १. श्रीनाथजी, २. नृत्य गोपालजी, ३. राधावल्लभजी, ४. नंदनन्दनजी और उनको मिलने वाली रकम कई हजार है। ये रकमें उनको ५२–५३ तक मिलती रही हैं और उसके बाद उनको देना बन्द कर दिया। उसके लिए वजुहात ये दिये जाते हैं कि ये मन्दिर महाराजा के प्रिवीपर्स में चले गये हैं इसलिए इन मन्दिरों को ये रकमें देना बन्द कर दें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किशनगढ़ स्टेट ने इन मन्दिरों को प्रतिमास या प्रतिसाल कुछ रकमें स्वीकृत की हैं और उनके साथ कुछ गांव भी हैं। श्रीनाथजी के मन्दिर को प्रति वर्ष कुछ रकम मिलती है और तीन गांव हैं। सरकार ने स्वीकार किया, गांव बदस्तूर रहे। मैं नहीं समझ पाया कि जब महाराजा का मन्दिर है तो रकम क्यों कर बन्द कर दी गई और गांव क्यों रहने दिये, वह मन्दिर महाराजा का है, यह नहीं कह सकते। यह जरूर है कि महाराजा उसकी निगरानी करते हैं। दर्शन करने का तो सब को अधिकार है। वह किशनगढ़ का सबसे अधिक मान्यता वाला मन्दिर है। नृत्यगोपालजी और दूसरे मन्दिरोंकी भी ऐसी ही स्थिति है।

[श्री चाँदमल मेहता]

माननीय उपाध्यक्ष, मैं नम्रतापूर्वक माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इस आधार को लेकर, चूंकि महाराजा निगरानी करते हैं इसलिए उनकी रकम बन्द कर दें तो यह अनुचित बात होगी। यह मन्दिर की रकम है। जिस आधार पर उनके गांव रहे उसी आधार पर रकम भी रहे। यह शंका हो सकती है कि महाराजा की निगरानी होने से उनके निज के लिए रुपयों का उपयोग होगा। तो इसकी जांच की जा सकती है, निगरानी भी रखी जा सकती है। यह तो कभी नहीं करना चाहिए कि इस प्रकार की रक़मात जो किशनगढ़ स्टेट ने चालू रखी, फोर्मर राजस्थान ने भी चालू रखी और राजस्थान सरकार ने भी उसको ५२–५३ तक चालू रखा उसको बन्द कर दिया जाय। माननीय मन्त्री जी इस पर गम्भीरता से सोचेंगे और इस निगाह से नहीं देखेंगे कि खर्चा अधिक होता है इसलिए बन्द कर दें और इसके लिए जैसी कि आज चर्चाएं आयीं कि बड़े बड़े खर्चे हो रहे हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर, तो वे उनके बारे में निगाह डालें और इन मन्दिरों को मिलने वाली रकम को बन्द कर देने के बारे में निगाह नहीं डालें, तो बड़ी कृपा होगी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मन्त्री)—माननीय उपाध्यक्ष हमारे परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य ने कटोती का प्रस्ताव रखते हुए दो बातें कहीं। एक तो यह बात है कि जो मेन्टीनेन्स अलाउन्स लोगों को मिलता था वह बजट में नहीं आया और इस वजह से अभी तक मिल नहीं रहा है और उसमें गलती हुई है। मैं समझता हूं कि हर एक जो अलाउन्स है वह उसकी पर्टिक्युलर वजुहात की वजह से स्वीकृत और अस्वीकृत होता है। अगर उसको देने के लिए सरकार की पाबन्दी है किसी तरह से तो उनको अलाउन्सेज़ हम देंगे। अगर मुआहदा ऐसा हुआ है और वास्तव में ऐसे व्यक्ति का अलाउन्स है जो उसको डिज़र्व करता है, तो हम देंगे। लेकिन जो किसी खास सेवा के लिए उसको दिया गया था, महाराजा ने अपनी मर्जी से, खुशी के साथ और वैसे ही दे दिया है जिसको देने के लिए पाबन्दी नहीं विधान के जरिये, या एग्रीमेन्ट के जरिये, तो मैं समझता हूं कि हम ऐसे खर्च को अवश्य नामंजूर करेंगे। अगर इसी वजह से अस्वीकार करके बजट में रकम नहीं आयी है तो उसके लिए कोई इलाज नहीं। बगैर फैसला किये कोई चीज़ हुई है तो उसके लिए जांच की जा सकती है। माननीय मित्र अगर इस बात को कहेंगे तो मैं भी देखभाल कर लूंगा। अगर बगैर आलाउन्स बन्द किये बजट में नहीं आया है तो निश्चित फैसला होगा ही। बजट में रकम नहीं आयी है तो फैसला हुआ होगा, या विचाराधीन होगा और फैसला अवश्य होगा।

दूसरा यह कहा गया है कि मंदिरों के गांव तो बदस्तूर रहे हैं किन्तु अलाउन्स बन्द कर दिया गया। जहां तक गावों का ताल्लुक है वे उस जमाने में खर्चे के लिए भेंट किये गये होंगे और जागीर-दारी एबोलिशन के वक्त में क्या फैसला हुआ यह इस समय तो मालूम नहीं, लेकिन जो फलादि का खर्चा रियासतों के जमाने में प्राइवेट रकम से मिलता था उसको देने के लिये हम पाबन्द नहीं है। जो मन्दिर माननीय मित्र ने बताये हैं या तो वे राजा लोगों के अपने महल में हैं और पर्टिक्यूलर डेज़ के लिये ही पब्लिक के लिये खुले रहते होंगे। वे आम जनता के नहीं होंगे। जो उनके प्राइवेट हैं वे प्राइवेट ही रहेंगे। यह तो राजाओं की मरजी पर मुनस्सर था इसलिये यह मन्जूर नहीं किया जा सकता। यह फालतू खर्चा है किसी न किसी वक्त बन्द किया ही जाना चाहिये। मेरे माननीय मित्र यदि ऐसे

[श्री चांदमल मेहता]

मन्दिर बतलाये गे जिनका प्राईवेट मन्दिर के रूप में अस्तित्व न हो तो उसके लिये इन्तजाम किया जा सकता है। ये जो प्राइवेट मन्दिर हैं, उनके लिये राज्य खर्चा दे, यह कैसे हो सकता है; यह तो मेरे मित्र भी नहीं चाहेंगे। इन शब्दों के साथ में यह मानता हूं कि मेरे माननीय मित्र को सन्तोष हुआ होगा।

श्री चांदमल मेहता—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने पहली बात जो इनडिविज्युअल्स के लिये कही उसके लिये मैं सन्तोष जाहिर करता हूं।

यह जो दूसरी बात कि ये मन्दिर प्राइवेट हैं और राजाओं के महलों में हैं और जनता के लिये किन्हीं खास दिनों में ही खुलते हैं, यह बात गलत है। ये जो मन्दिर मैंने बताये हैं वे सब पब्लिक के हैं और बारहों महिने जनता के लिये खुले रहते हैं। मेरा फिर से निवेदन है कि वे इन बातों पर फिर से विचार करें। यह भी होसकता है इसका जवाब मुख्यमंत्रीजी को देना चाहिये था फिर भी यह जो जवाब दिया गया है वह वास्तविकता की जानकारी किये बगैर दिया गया है। जनता के जो मन्दिर हैं जिनके लिये मामूली सी रकम मिलती थी वह बन्द कर दी गई जिसे पुनः चालू किया जायगा। इस आशा को रखते हुए मैं अपने कटौती प्रस्ताव को सदन से वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की यह अनुमति है कि श्री चान्दमलजी मेहता को अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने दिया जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री चान्दमल मेहता—मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—The queslion is, "That a supplementary sum not exceeding Rs. 84,000/- be granted to H.H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1955, in respect of Demand for Grant No. LXVI, Major Head 47-Miscellaneous Departments."

(स्वीकृत)

मांग स्वीकृत हुई।

अनुपूरक मांग संख्या ६८-विद्युत योजनाओं से रसीदें इत्यादि

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—I move, "That a supplementary sum not exceeding Rs. 2,00,000/- be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1955, in respect of Demand for Grant No. LXVIII, Major Head 41-Receipts from Electricity Schemes-Working expenses."

श्री उपाध्यक्ष—Motion moved. (विराम)

The question is, "That a supplementary sum not exceeding Rs. 2,00,000/- be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1955, in respect of Demand for Grant No. LXVIII, Major Head 41-Reseipts from Electricity Schemes."

(स्वीकृत)

मांग स्वीकृत हुई ।

अनुपूरक माँग संख्या ७०—भारतीय शासकों को भत्ते तथा प्रिवीपर्स

श्री बृजसुन्दर शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट जो १ लाख ८३ हजार से अधिक नहीं, हिज़ हाईनेस दी राजप्रमुख को ३१ मार्च, १९५५ तक होने वाले खर्चे के लिये ग्रान्ट नं० ७०, मेजर हैड ५४ बी–भारतीय शासकों को भत्ते तथा प्रिवीपर्स, स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—Motion moved.

(विराम)

The question is, "That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,84,000/- be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1955, in respect of Demand for Grant No. LXX, Major Head 54 B—Privy Purses and Allowances of Indian Rulers.

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

अनुपूरक माँग संख्या ७२–लेखन सामग्री तथा मुद्रण

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—माननीय उपाध्यक्ष जी, I move "That a supplementary sum not exceeding Rs. 2,000/- be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1955, in respect of Demand for Grant No. LXXII. Major Head 56—Stationery and Printing."

श्री चान्दमल मेहता—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस माँग पर मैंने मेरा कटौती का प्रस्ताव सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करने के लिये रखा है कि गवर्नमेंट प्रेस, जयपुर में जो छपाई की जाती है उसकी रेट्स बहुत ज्यादा हैं और काम में भी बहुत शिथिलता होती है ।

उपाध्यक्ष महोदय, काम की शिथिलता के बारे में मैं अपनी बात न कहते हुए एक आवश्यक बात कह देना चाहता हूं कि राजस्थान विधान सभा की प्रोसीडिंग्ज़ जैसा महत्वपूर्ण काम सन् ५३ का अब तक जयपुर गवर्नमेंट प्रेस में पेन्डिंग है । यह कार्य कितना महत्वपूर्ण है, इसका इस बात से पता लग सकता है कि जनता इसको देखने को बहुत उत्सुक है । लेकिन उसको वे नहीं मिल रही हैं क्योंकि

Page No.60

[श्री चांदमल मेहता]

५३ की कार्यवाहियाँ अब तक गवर्नमेंट प्रेस में पेन्डिग हैं। गत सेशन में इस बारे में मैंने जब एक प्रश्न उठाया था उस समय माननीय अध्यक्ष ने मुख्य मन्त्री जी से कहा था कि उन्हें इस सम्बन्ध में वक्तव्य देना चाहिये। जो वक्तव्य मुख्य मन्त्री द्वारा दिया गया उस वक्तव्य में यह बताया गया था कि विधान सभा का सेशन खत्म होने के तीन महिने के अन्दर अन्दर जितनी भी विधान सभा की प्रोसीडिंग्ज़ पेन्डिग हैं वे सब की सब छप जायंगी। किन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि जो आश्वासन दिया गया वह आज तक पूरा नहीं किया गया है। आश्वासन देने वाले अपने पद पर न हों, फिर भी उनके पद पर जो कार्य कर रहे हैं उनके लिये यह आवश्यक हो जाता है कि उनके पहले वाले मन्त्री जी ने जो आश्वासन दिया है उसको पूरा किया जाय। यह तो विधान सभा की उन प्रोसीडिंग्ज के बारे में बात हुई।

जहाँ तक छपाई का ताल्लुक है न जाने इस प्रेस में कितने ही काम पेन्डिंग हैं। हो सकता है कि गवर्नमेंट प्रेस में मशीनें उपयुक्त न हों, या खराब हो तो यह ऐसी स्थिति है जिसके लिए गवर्नमेंट प्रेस को अपनी अयोग्यता जाहिर कर देनी चाहिये। अगर वह किसी काम को निश्चित समय में कर देने में असमर्थ है, अगर सरकार के पास उतनी स्ट्रेंथ नहीं है तो उनको दूसरे प्रेसों में करवा लिया जाय ताकि कोई भी आवश्यक कार्य पेन्डिग नहीं रहेगा। मैं यह मानता हूं कि जो यह डिमान्ड हमारे सामने आई है उससे सरकार कुछ मशीनें खरीदने जा रही है। तो मैं यह आशा करता हूं कि इन मशीनों के खरीदने के बाद कोई भी काम पेन्डिग नहीं रहने पावेगा। अगर फिर भी किसी काम को गवर्नमेन्ट जल्दी नहीं कर सकती तो आप उसके लिए इनएबिलिटी सर्टीफिकेट दे दें ताकि वह काम दूसरी जगह करवा लिया जाय और सरकारी काम में हर्जा भी न हो।

बहुत ऊंचे रेट्स के बारे में भी मैंने एक प्रश्न विधान सभा में किया था, जिसका जवाब यह दिया गया था कि इसकी रेट्स ऊंची नहीं है। मैंने यहां कि रेट्स का दूसरे प्रेसों से मुकाबला किया तो पता चला कि यहां के प्रेस की रेट्स अन्य प्रेसों से एक्स्ट्रीमली हाई हैं। मैं और चीजों के पचड़े में न पड़ कर सिर्फ एक बात जो निवेदन कर देना चाहता हूं वह है विधान सभा की जो प्रोसीडिंग्ज हैं उनकी कीमतें १ रु० १२ आना, २ रु० और १ रु० १४ आना तक है। विधान सभा की प्रोसीडिंग्ज की इतनी ऊंची कीमतें रखने का कारण मै तो सिर्फ यही समझ पाया हूं कि इसमें पक्ष-विपक्ष के लोगों द्वारा आलोचना जो होती है इसलिए इसकी कीमतें हाई रखी गई हैं, ताकि आम जनता इसको न खरीद सके।

इसके जरिये से सारे राज जाहिर होंगे। अगर यह बात है, तब तो दूसरी बात है वरना मैं कहता हूं कि इतनी कीमत नहीं होनी चाहिये। यह तो एक मिसाल है। दूसरी चीज़ के बारे में भी परीक्षण करें तो मालूम होगा कि कीमतें अधिक हैं।

इसलिये निवेदन करूंगा कि जितना पेन्डिंग काम इस प्रेस के पास पड़ा है, तत्काल उसे दूसरे प्रेसों से निकलवाया जाय और दूसरी ओर जहां रेट हाई है, उसके सम्बन्ध में भी यह विचार किया जावे कि अगर रेट हाई है तो वह इस प्रेसवालों की अयोग्यता की वजह से है या दूसरे कारणों से है। उन

[श्री चांदमल मेहता]

कारणों की जानकारी हासिल करके उसे दूर किया जावे । मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मन्त्रीजी इस बात पर गहराई से सोचेंगे और उचित आश्वासन भी देंगे ।

श्री जसवन्त सिंह—उपाध्यक्षजी, कृपा करके मुझे भी दो मिनिट दें तो मैं भी अपने विचार प्रकट करूं । माननीय मित्र ने कटौती प्रस्ताव रक्खा । इसके बारे में इतना ही कहना है कि यह मेरी समझ में नहीं आता कि इस सदन की प्रोसीडिंग्ज़ क्यों इतनी बाकी हैं । यह महीनों ही नहीं, बल्कि वर्षों पीछे है । इसे देखते हुए या तो यह कहा जावे कि यहां के प्रेस वाले अयोग्य हैं या कहीं इन्तजाम में खामी है, पर यह हम मानने को तैयार नहीं है कि मशीनें कम हैं । यह सब देखते हुये हम तो एक ही निर्णय पर पहुँचेंगे कि राजस्थान की शासन की सारी मशीनरी ढीली पड़ गई है और उसमें काम लेने का माद्दा नहीं है या जिस प्रकार ऊपर के अधिकारीगण द्वारा स्वच्छन्दता दीखने में आती है उसकी नकल नीचे वाले भी करते हैं । अगर मेरा चैलेन्ज मन्त्री महोदय एक्सेप्ट कर लें तो मैं यह दावा करके कह सकता हूं कि बीकानेर का एक छोटा–मोटा प्रेस, जिसकी हमेशा उपेक्षा की गई है, बीकानेर की सारी जगह उपेक्षा की गई है, वहां का नाम मात्र का प्रेस रह गया है और राजस्थान में बीकानेर का नाम भी आज केवल नाम मात्र का रह गया है, फिर भी बीकानेर का जो कुछ टूटा–फूटा प्रेस है, उसके लिए मैं गारन्टी देता हूं कि दो महीने में सारी प्रोसीडिंग्स छाप कर भेज सकता हूँ, अगर माननीय मंत्री महोदय मेरे इस चैलेन्ज़ को एक्सेप्ट करें तो । (हियर हियर) हां, अगर राजस्थान के मन्त्री यह समझते हों कि बीकानेर का प्रेस उन्हीं के अन्तर्गत है तो बीकानेर प्रेस को कहीं इतना श्रेय न मिल जावे और जयपुर के प्रेस की अयोग्यता साबित न हो जावे, यह समझ कर इस बात को टालें तो दूसरी बात है । वरना मुझे जिम्मेदारी दें छपाने की तो दो महीने में सारी छपवा कर अपनी जिम्मेदारी पर दिलवा सकता हूं । सिर्फ इतना ही मुझे इसके बारे में निवेदन करना है । वे अगर काम करवाना चाहें तो काम हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं । पहले तो दुर्भाग्य से या सौभाग्य से हमारी यह विधान सभा भी साल में कम समय के लिये बैठती है और फिर भी इसकी प्रोसीडिंग्स को नहीं छपवा सकते हैं और बरसों तक लटकाते रहते हैं तो मैं तो नहीं समझ सकता हूं कि इससे बड़े बड़े और महत्व के काम इस सरकार द्वारा कैसे हो सकेंगे ?

प्रेसीडिंग्स को छपाने का सवाल तो है ही, राइटिंग पेड भी दिये गये थे मेम्बरों के लिए । उनकी कीमत बाजार में ।।।) थी, यहां ६) रु० लगा दी गई । इसमें परिवर्तन क्या किया आपने ? केवल एक मोहर लगा दी और ६) रु० कीमत हो गई और लिफाफे जो थे जानबूझकर शायद इस ध्यान से बनवाये गये या लिये गये कि कोई माननीय सदस्य चिट्ठी लिखें तो उस लिफाफे में बन्द करने के बाद भी उसे हूबहू पढ़ लिया जाय । तो आखिर में इसकी कीमत भी ६) रु० तक देनी पड़ी । तो इसे आप रेड टेपिज्म समझिये या कुछ भी समझिये, इसके लिये मैं कुछ नहीं कह सकता । पर जहां तक प्रोसीडिंग्स छपाने का सवाल है, इसकी स्थिति तो मेरी समझ में नहीं आती । चाहे पिछली सरकार चली गई हो या जो मन्त्री मण्डल पहले था, उन्होंने क्या आश्वासन दिया था, यह सरकार क्या कर रही है इसके बारे में बहस में नहीं पड़ कर यही कहूंगा कि यह हमारी समझ में नहीं आता कि यह देरी क्यों हो रही है और जो चैलेन्ज मैंने दिया है, अगर सत्ता होते हुये भी यह सरकार नहीं छपवा सकती,

[श्री कुँ० जसवन्तसिंह]

लाखों का, करोड़ों का सामान मौजूद है, उसके होते हुए भी नहीं छपवा सकती तो बीकानेर के एक छोटे, टूटे–फूटे प्रेस में अपनी जिम्मेदारी के बल पर मैं छपवा सकता हूं। अगर इस बारे में मन्त्री महोदय चाहें तो मैं इस बारे में मन्त्री महोदय के विचार जानने को उत्सुक हूं।

श्री बद्री प्रसाद (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—माननीय उपाध्यायजी, मशीनों के लिए ही यह सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट सदन के सामने आई हैं। दिक्कत इसमें यह है कि हमारे यहां जितनी मशीनें हैं वे सब पुरानी हैं और जयपुर का जो प्रेस है उसमें हमारे यहां पुरानी रियासतों से भी आई हुई मशीनें हैं। मैं निवेदन करूंगा कि मैंने प्रेस के काम को बहुत गौर से देखा है और मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जितनी मशीनें मौजूद हैं उनको देखते हुए जो काम इसमें किया जा रहा है उसकी तफसील को देखते हुए, मशीनों का आउटपुट दूसरे किसी प्रेस से किसी तरह से कम नहीं है।

सबसे पहले शिकायत यह की गई कि विधान सभा की प्रोसीडिंग्स अभी तक नही छपाई गई। मैं निवेदन करूंगा कि ५३ की प्रोसिडिंग्ज छप कर तैयार हो गई हैं और मेरा ख्याल है कि वे यहां आ भी गई होंगी। हमारे प्रेस से वह काम पूरा हो चुका है। जहां तक काम की बात है, मैं दो ही बातें अर्ज करूंगा कि हर सप्ताह वहां से गजट निकलता है और यही अकेला इतना काम है कि इसमे सब मशीनों को लगाना पड़ता है। इसी तरह से बजट का टाइम आता हैं तो इसका भी बहुत ज्यादा काम होता है और इसी तरह से बहुत से पेम्फ्लेट–किताबें और जो काम होता है उस सारे काम का आउटपुट, मैं निवेदन करूंगा कि जहां तक ये मशीनें हैं, उन मशीनों को देखते हुए, कोई कम नहीं है। आउटपुट बड़ा अच्छा है।

दूसरी जो कमी थी वह ऑटोमेटिक कम्पोजिट मशीन की थी और वह मशीन अब हमने मंगाली है और बाकी की जो विधान सभा की प्रोसीडिंग्ज़ है वह हम अब जल्दी ही पूरी कर सकेंगे और उसी मशीनरी के लिए यह सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड रक्खी है।

जहां तक चैलेन्ज का सवाल है वह ऐसी बात नहीं है। यह भी और बीकानेर का भी गवर्नमेंट का ही प्रेस है। अगर ऐसी आवश्यकता हुई कि वहां भेजने से जल्दी छपेगा तो हम ऐसा भी करने से पीछे नहीं रहेंगे। हम तो स्वयं चाहते हैं कि काम जल्दी हो और अब तो हमने मशीनरी भी खरीद ली है। तो अब यहां भी यह शिकायत नहीं होगी और फिर ५३ का काम तो हमने पूरा कर लिया हैं व ५४ का थोड़ा बाकी है। वह काम भी बहुत जल्दी पूरा हो जावेगा।

मैं समझता हूं कि इस स्पष्टीकरण के बाद माननीय सदस्य अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की कृपा करेंगे।

श्री चांदमल मेहता—बहुत जल्दी के लिए महीना या दो महीना, ऐसा टाइम मुकर्रर कर दीजिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—५३ का काम पूरा कर दिया है।

श्री चांदमल मेहता--अब तक का छोड़ा हुआ काम पूरा करने के लिए......

श्री बद्रीप्रसाद—छोड़ा हुआ कोई काम नहीं है विधान सभा का। पिछले सेशन का कुछ काम हमने शुरू कर रक्खा है अब तक उसे भी पूरा कर देते, पर बजट का काम सामने आ गया है इसलिये नहीं कर सके। अब उसे भी जल्दी ही पूरा कर देंगे। आप इस कैपेसिटी को किसी भी प्रेस से कम्पेअर कर लीजिए।

श्री चांदमल मेहता—मैं आशा तो यह करता था कि जिस तरह से पिछली मरतबा अध्यक्षजी के कहने पर आश्वासन दिया गया था कि तीन महीने में जितना पिछला चढ़ा हुआ काम है वह पूरा कर दिया जावेगा, उसी ढंग का इस वक्त भी आश्वासन होता तो अच्छा होता कि इतने दिनों में तो काम पूरा हो ही जावेगा। पर शायद इस वक्त मिनिस्टर साहब ने इसे मुनासिब नहीं समझा कि समय की अवधि में क्यों बन्धा जावे। पर कम से कम सदन में इस चीज को साफ कर देना जरूरी है। फिर भी मै मानता हूं कि शायद मन्त्री महोदय सोचते हैं कि आश्वासन कम दें, काम ज्यादा करें और मैं भी कल्पना करता हूं और आशा करता हूं कि इस वर्ष तक की सभी प्रोसीडिंग्स जल्दी ही छप जावेंगी, इसलिए सदन से अपने कटौती प्रस्ताव को वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है।

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—The question is. "That a supplementary sum not exceeding Rs. 2,000/- be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1955, in respect of Demand for Grant No. LXXII', Major Head 56-Stationery & Printing."

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अनुपूरक मांग संख्या ७३-विविध

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय उपाध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं कि एक सप्लीमेंटरी ग्रान्ट जिसकी रकम २ हजार से अधिक नहीं, वह श्रीमन् राजप्रमुख को ३१ मार्च, १९५५ तक होने वाले खर्चे के लिए ग्रान्ट नं० ७३, मेजर हैड ५७-मिसलेनियस में, स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—Motion moved. (विराम।)

The question is, "That a supplementary sum not exceeding Rs. 2,000/- be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March. 1955, in respect of Demand for Grant No LXXIII, Major Head 57 Miscellaneous.

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

अनुपूरक मांग संख्या ७४-सामुदायिक विकास योजना

(श्री रामकिशोर व्यास गृह मन्त्री की अनुपस्थिति में)

श्री बृज सुन्दर शर्मा (वित्तमन्त्री)—(पत्रावली देखते हुये) डिमान्ड नं० १

श्री उपाध्यक्ष—डिमान्ड नं० ७४, मेजर हैड ६३ बी. कॉम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ।

कु'० श्री जसवन्तसिंह—Is the Minister-in-Charge msising ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय उपाध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं कि एक सप्लिमेंटरी ग्रान्ट जो २००० रु० से अधिक नहीं है, हिज़ हाइनेस दी राजप्रमुख को ३१ मार्च, १६५५, तक होने वाले खर्चे के लिए ग्रान्ट नं० ७४, मेजर हैड ६३ बी. कॉम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री जसवन्तसिंह—In regard to these Community Projects and National Extension Blocks I have cried hoarse in this House.

मुझे अभी तक समझ में यह बात नहीं आई है कि आखिरकार किस बेसिस पर कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट्स और नेशनल एक्सटेन्शन ब्लॉक्स स्थापित किये जाते हैं। जब कभी मैंने बीकानेर डिस्ट्रिक्ट का जिक्र किया है तो सरकारी बेंचेज़ की तरफ से यह जवाब दिया जाता है कि एक वेटरनरी हॉस्पिटल खोल दिया गया है, अब शिकायत नहीं होनी चाहिये। इसके लिए कल ही मेरी शिकायत थी कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट्स और नेशनल एक्सटेन्शन ब्लॉक्स के बारे में। उसके जवाब में कहा था कि शिकायत नहीं होनी चाहिये, एनीमल हॉस्पिटल खोल दिया गया है। तो मैं यही कहूंगा कि मुझे आधार इसको स्थापित करने का समझ में नहीं आया। यह भी कहा गया था कि फाइव ईयर प्लान के खत्म होने तक कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं बचेगा जिसमें कि कॉम्युनिटि प्रोजेक्ट्स या नेशनल एक्सटेन्शन ब्लॉक्स न होंगे। यह एक दफा नहीं, लेकिन कई दफा ट्रेज़री बेंचेज़ से कहा गया, लेकिन मैं आज ही फिर कहता हूं कि अगर वे देखें कि कहां कहां राजस्थान में किस स्थान पर कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट्स या नेशनल एक्सटेन्शन ब्लॉक्स खोले गये हैं तो उन्हें मालूम होगा कि बीकानेर में अभी तक एक भी नहीं रक्खा गया है, और न खोला गया है। उस डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट कमेटी बनी जिसमें कि मैं भी एक सदस्य हूं, उसने जितनी दफा प्रॉपोजल्स भेजे हैं वे टर्न डाउन होजाते हैं। मैं तो हैरान हूं इस बात को समझने के लिए कि आखिरकार इसका पैमाना क्या है और किस आधार पर यह ब्लॉक्स या कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स खोले जाते है। आप दो हजार, २ लाख या २ करोड़ रुपये लें, जितना चाहें रुपया लीजिये,

[कुँ० श्री जसवन्तसिंह]
लेकिन यह जो यह प्रिन्सिपल एटेब्लिश कर दिया गया था कि हर डिस्ट्रिक्ट में विदिन फाइव इयर्स नेशनल ब्लॉक्स या कॉम्युनिटि प्रोजेक्ट खोला जायगा, तो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में नहीं खुलने का कारण समझ में नहीं आया है। ताज्जुब है कि जब कलेक्टर रिकमन्डेशन करके भेजता है तो यहां सक्रेटरियेट में आकर कैसे टर्नडाउन कर दिया जाता है ?

श्री मथुरादास माथुर—We can afford to desplease you and not other people.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—दूसरी जगह ब्लॉक्स खुलें और एक्स्ट्रा ग्रान्ट मांगी जाती है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय उपाध्यक्ष, मैं थोड़े से शब्दों में मेरे मानानीय मित्र को जवाब देना चाहता हूं।

भारत सरकार ने जो कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के लिए खास मुद्दे और बातें रखी हैं उनमें पहली और मुख्य बात यह है कि मिनिमम पीरियड में मेग्ज़ीमम रिटर्न हो एग्रिकल्चर की ओर उसके लिए इरीगेशन फेसिलिटीज़ का होना बहुत आवश्यक होगा। यह मेरे माननीय मित्र मन्जूर करेंगे कि बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में इरिगेशन के लिए कोई फेसिलिटी नहीं है। इन वजहों में से एक वजह यह भी हो सकती है बीकानेर में नहीं खोलने की। वैसे अगर आप देखें तो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में रायसिंहनगर और करनपुर दो जगह हैं। वह इसी वजह से हैं कि वहां इरीगेशन की फेसिलिटीज़ हैं और मेग्ज़ीमम रिटर्न मिनिमम पैसे से मिल जाता है। एक दिन ऐसा भी आयेगा कि बीकानेर में भी पानी आ जायेगा (हंसी)।...

श्री जसवन्तसिंह—एक दिन कब आयेगा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—बहुत जल्दी ही आ रहा है।

श्री जसवन्तसिंह—अपनी जिन्दगी में आजायेगा ?

एक आवाज—जरूर आयेगा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—उस वक्त ध्यान रखेंगे।

श्री मथुरादास माथुर—Wish you hope.

कुं० जसवंतसिंह—People live in hopee.

(५-२७ पर श्री अध्यक्ष पुनः पदासीन)

श्री अध्यक्ष—तो प्रश्न यह है,

"That a supplementary sum not exceedind Rs 2000/ - be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during

Page No.66

[श्री अध्यक्ष]

the year ending 'the 31st day of March, 1955. in respect of Demand for Grant No. LXXIV, Major Head 63B- Community Development Project."

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अनुपूरक मांग संख्या ७५—कन्सट्रक्शन ऑफ इरिगेशन, नेविगेशन एम्बेंकमेण्ट एण्ड ड्रेनेज वर्क्स

श्री रामनिवास मिर्धा—Mr, Speaker I move "That a supplementary sum not exceeding Rs. 1000/-be granted to H.H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1955, in respect of Demant for Grand No. LXXV, Major Head 68-Construction of Irrigation, Navitation, Embankment and Drainage works.

श्री अध्यक्ष—मांग प्रस्तुत हुई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि इस मांग को स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अनुपूरक मांग संख्या ७६—केपिटल आउटले ओन इम्प्रूवमेन्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—माननीय अध्यक्षजी, I move, "That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,43,000/- be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1955, in respect of Demand for Grant No. LXXVI, Major Head 70-Capital Outlay on Improvement of Public Health."

श्री अध्यक्ष—मांग प्रस्तुत हुई। श्री चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता—माननीय अध्यक्ष, मेरे कटौती प्रस्ताव रखने का मकसद राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना है कि किशनगढ़ में वाटर वर्क्स लगाने के सम्बन्ध में उपेक्षा की गई है। माननीय अध्यक्ष, किशनगढ़ राजस्थान में औद्योगिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान है। (हियर, हियर)। आवागमन के साधनों की जितनी सुविधायें आवश्यक हैं वे वहां मौजूद हैं। उसके साथ में पानी का कष्ट है, और यह पानी का कष्ट इस हद तक है कि गर्मियों के महीनों में किशनगढ़ में दो दो मील की दूर से पानी आता है। म्युनिसिपैलिटी अपनी तरफ से इन्तजाम करती है पानी लाने

[श्री चांदमल मेहता]

के लिए। भूतपूर्व सरकार ने इस कष्टको महसूस किया। उस जनता की सरकार ने इस कार्य के लिए एक वाटर बोर्ड का निर्माण किया और इस वाटर बोर्ड के नाम ५ लाख रुपये की सिक्यूरीटीज़ ट्रान्सफर करने के आदेश भी जारी कर दिए।

मुझे बड़े दुःख के साथ निवेदन करना पड़ता है कि राजस्थान के निर्माण के साथ ही एक जोरदार डाका पड़ा और ५ लाख रुपये डाकू उड़ा ले गये। यह पूछने पर कि उन ५ लाख रुपयों का क्या हुआ, यह कहा गया कि फेमिन में खर्च हो गये। मैं नहीं समझ सका कि जिन रुपयों को भूतपूर्व राजस्थान सरकार ने वाटर बोर्ड के नाम किशनगढ़ को ट्रान्सफर किया था तो क्या अधिकार था किसी सरकार को कि उनको दूसरे रूप में ले लें। इस डाके की कहां शिकायत करें और कहाँ रिपोर्ट करें? पुलिस वाले तो इसकी रिपोर्ट दर्ज करने को तैयार नहीं थे। राजस्थान सरकार के पास इसकी रिपोर्ट करने की कोई व्यवस्था है या नहीं, इसी दृष्टि से मैंने यह कट मोशन रखा है। जहां तक पानी का सम्बन्ध है वहां की जनता को कितनी कठिनाई होती है। यह सोचने की किसी को फुरसत नहीं है। किशनगढ़ में सरकारी महकमों में पानी के लिये जितना खर्च करना पड़ता है उतने खर्च में वाटर वर्क्स कभी का बनाया जा सकता था। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल किशनगढ़ में पानी के लिये कितना खर्चा करना पड़ता है इसका अनुमान लगायें तो मैं यह कहने की स्थिति में हूँ कि जितना खर्चा वहां पर पानी के लिए होता है उस खर्चे में वहां पर वाटर वर्क्स प्रारम्भ किया जा सकता है। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में पानी लाने के लिये ट्रक रखना पड़ता है जिसमें पेट्रोल खर्च होता है, मोबिल ऑइल खर्च होता है, ड्राइवर का खर्चा होता है। पानी लाने के लिये ६ आदमी रखने पड़ते हैं, उन पर खर्चा होता है। उसी तरह दूसरे सरकारी महकमें हैं; जैसे अस्पताल लेलें और दूसरे महकमों को लेले तो उन पर भी खर्चा करना पड़ता है। राजस्थान सरकार आर्थिक दृष्टि से नहीं सोचती। जनता के लिये तो नहीं सोचे तो कोई बात नहीं लेकिन सरकार को भी कितना खर्चा करना पड़ता है, यह नहीं सोचा। वाटर वर्क्स होने से सरकार और जनता दोनों को ही फायदा हो सकता है। मैं आपकी मारफत यह निवेदन करूंगा कि यह जनता की सरकार है इसलिये जनता की कठिनाइयों को देखना इसका परम कर्त्तव्य हो जाता है और यह परम कर्त्तव्य और भी अधिक हो जाता है जब कि एक सरकार वाटर बोर्ड के नाम पर रकम कर देती है तो दूसरे मद में इस रकम को लगाने का दूसरी सरकार को क्या अधिकार था? मैं आशा करता हूँ कि जिस रकम पर डाका पड़ा है उसकी पूर्ति यह सरकार करेगी और जल्दी से जल्दी रुपये देकर वाटर वर्क्स बनाने की व्यवस्था करेगी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, कटौती प्रस्ताव रखते हुए माननीय सदस्य ने बताया कि किशनगढ़ में वाटर वर्कस खुलाना चाहिये इसलिए उन्होंने कटौती प्रस्ताव रखा। राजस्थान सरकार की एक पॉलिसी है नये वाटर वर्कस के सम्बन्ध में और आपके जरिये हाउस से निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार अपने पैसे से अपनी रेवेन्यू में से कोई नया वाटर वर्क्स खोलने नहीं जा रही है और न अब तक नये वाटर वर्क्स ही लगाये गये हैं। म्युनिसिपेलिटियों को इस नाम से लोन दिया जा सकता है। चार पांच ऐसी जगहें हैं जहां की म्युनिसिपेलिटियों को उनकी आर्थिक हालत देखते हुए लोन इस काम के लिये दिया गया

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

है । लोन रीपे करने की हालत उनकी है या नहीं; इस बात को देखकर उनको लोन दिया गया है। इनमें से भरतपुर, उदयपुर, अलवर व और भी ३. ४ म्युनिसिपल बोर्ड हैं, जिनकी फाइनेन्शियल कंडीशन अच्छी थी और उनको लोन दिया गया है। किशनगढ़ के बारे में मुझे पता नहीं है कि उसकी स्थिति कैसी है लेकिन मुझे यह मालूम है कि उसने लोन के लिये एप्लाई किया है। यदि उसकी स्थिति अच्छी है तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उनको लोन मिलेगा और वाटर वर्क्स खुलेगा। वाटर वर्क्स के लिये एक सेपरेट डिपार्टमेंट खोला गया है जिसके लिये सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर हैं। जब रुपये आ जायेंगे तब काम शुरू कर दिया जायगा। पी० डब्ल्यू डी० के पास जब रुपये आजाते हैं, चाहे वे रुपये म्युनिसिपेलिटी दे या गवर्नमेन्ट दे, तब काम करने का प्रयत्न किया जाता है। रुपये आजाने के बाद प्रयत्न में कमी नहीं रखेंगे, यह मैं विश्वास दिलाता हूँ।

श्री जसवन्तसिंह—Money is the main point !

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वाटर वर्क्स के लिये सरकार के पास न तो कोई फन्ड है और न इसके लिये कोई इरादा है, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि सदस्य महोदय प्रयत्न करें और म्युनिसिपेलिटी को लोन दिलादें। अगर म्युनिसिपेलिटी लोन के लिये एप्लाई करेगी और उसकी आर्थिक हालत अच्छी होगी तो लोन देने के लिये विचार किया जायगा और वाटर वर्क्स बन जायगा। मेरे विश्वास दिलाने के बाद मैं आशा करता हूँ कि माननीय सदस्य अपना कटौती प्रस्ताव वापिस ले लेंगे।

श्री चांदमल मेहता—कटौती प्रस्ताव का उत्तर सुनते समय मैं यह उम्मेद करता था कि मंत्री महोदय यह बतलायेंगे कि ५ लाख रुपयों का जो डाका पड़ा था उसकी रिपोर्ट किसके पास करें, यह मालूम होगा। जो रुपया फॉर्मर राजस्थान ने किशनगढ़ के नाम ट्रान्सफर किया था उसकी शिकायत किसके पास करें, यह आपने नहीं बतलाया। लेकिन वाटर वर्क्स के लिये उन्होंने जो आश्वासन दिया है उस पर मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि श्री मेहता को अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति दी जाय।

(स्वीकृत)

श्री मेहता को अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री जसवन्तसिंह—Sir, on a point of order, now the time is up, and I move that guillotine should be applied in regard to the remaining Demands.

श्री अध्यक्ष—Only two are left, and no cut-motions.

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है, "That a supplementry sum not exceeding Rs. 1,43,-000 be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come

[श्री अध्यक्ष]

in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1955, in respect of Demand for Grant No. LXXVI, Major Head 70-Capital Outlay on Improvement of Public Health."

(स्वीकृत)

मांग स्वीकृत हुई ।

अनुपूरक मांग संख्या ७८–केपिटल अकाउण्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्कीम्स

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—Mr, Speaker, Sir I move, "That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,000/- be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1955, in respect of Demand for Grant No. LXXVIII, Major Head 81 A-Capital A-ccount of Electricity Schlmes."

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि यह माँग स्वीकार की जाय ।

(स्वीकृत)

यह माँग स्वीकृत हुई ।

अनुपूरक मांग संख्या ७६—पेमेण्ट ऑफ कॉम्युटेड वेल्यु ऑफ पेन्शन्स

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्तमन्त्री)—Mr spaker, I move, "That a supplementary sum not exceeding Rs. 30,000/— be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1955, in respect of Demand for Grant No. LXXIX, Major Head 83— Payments of Commuted Value of Pensions."

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि यह मांग स्वीकार की जाय ।

(स्वीकृत)

माँग स्वीकृत हुई ।

राजस्थान नियोजन (संख्या १) विधेयक, १६५५

श्री बृजसुन्दर शर्मा—(वित्तमन्त्री) माननीय अध्यक्ष, मैं राजस्थान नियोजन (संख्या१) विधेयक, १६५५ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

क्या सदन की अनुमति है कि इस विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

क्या सद की अनुमित है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लेने की अनुमति प्रदान हुई। (चुप्पी)

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिल पास किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि इस विधेयक को पास किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पास किया गया।

सदन के भविष्य के कार्य-क्रम सम्बन्धी अध्यक्षीय घोषणा

श्री अध्यक्ष—हमने आज तक की कार्यवाही को जो इस सदन के लिये माननीय सदस्यों को वितरित की गई थी, समाप्त कर लिया है। अब मैं माननीय सदस्यों के सूचनार्थ, जो थोड़ा बहुत परिवर्तन माननीय सदस्यों की प्रार्थना पर किया गया है, उसकी घोषणा किये देता हूं।

हम ११ मार्च को बजट के लिये बैठने वाले थे। अब ११ मार्च को न बैठ कर १४ मार्च, ५५ को २ बजे मध्याह्नोत्तर पर १९५५–५६ के लिये आय–व्ययक सम्बन्धी भाषण सुनने को मिलेंगे। दिनांक ५ से १३ मार्च, १९५५ तक सदन का अवकाश रहेगा। फिर १५, १६, १७,१८ और १९ को सदन की बैठकें होंगी तथा पुनः दिनांक २० को अवकाश रहेगा। तारीख १५ को अशासकीय-सदस्य कार्य होगा। १६, १७ और १८ को आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद होगा। १९ को अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान होगा। २१, २२ एवं २३ को अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान होगा तथा २४ मार्च को अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान व विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन होगा।

Page No.71

[श्री अध्यक्ष]

२५ को अवकाश रहेगा। २६ मार्च को विनियोग विधेयक पर विचार-विमर्श तथा उसको पारित करने सम्बन्धी कार्य होगा तथा शासकीय विधान कार्य लिया जायगा। २७ मार्च को अवकाश रह कर २८ मार्च को पुनः शासकीय विधान कार्य होगा। २८ तक का हमारा सत्र रहेगा। यदि और कोई कार्यक्रम बचा तो माननीय सदस्यों को सूचित कर दिया जायगा।

अब हम इस सदन को १४ मार्च सन् १९५५ के २ बजे मध्याह्नोत्तर तक के लिये स्थगित करते हैं।

(सभा की कार्यवाही १२ बज कर ४३ मिनिट पर, दिनांक १४-३-५५ के २ बजे मध्याह्नोत्तर तक के लिये स्थगित हुई।)

विधानसभा भवन,
जयपुर।
दिनांक-४ मार्च, १९५५।

मनसा राम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

Page No.72

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या २८ का उत्तर देखिये ।

'Candidates placed through Employment Exchange in Govt. Deptts. During the year, 1954:

S. No.	Name of Deptt.
1.	Central Jail, Jaipur.
2.	Garrison Engineer, Jaipur.
3.	Office of the Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax Rajasthan, Jaipur.
4.	Ayurvedic, Deptt.. Jaipur.
5.	Incharge Aerodrome, Sanganer.
6.	Inspector of Schools, Jaipur, Sikar.
7.	Executive Engineer, P. W. D. Jaipur.
8.	S. D. O. Telephones, Jaipur.
9.	Supdt. R. M. S. Jaipur.
10.	Supdt. Central Excise, Jaipur.
11.	Research Officer. Jhunjhunu.
12.	Plant protection, Jaipur.
13.	Military Hospital, Jaipur.
14.	Supdt. N. S. S. Jaipur.
15.	The General Manager, R. S. DIV. Sambhar Lake.
16.	Assistant Director Health Services, Jaipur.
17.	Western Rly. Jaipar, Bandikui.
18.	Director Post & Telegraph Rajasthan Circle, Jaipur.
19.	Tea Controller of India, Jaipur.
20.	Telegraph Master, Jaipar.
21.	Settlement Deptt. Govt of India. Ministry of Rehabilitation.

22. Incharge Locust, Sikar.
23. Supdt., Census Deptt., Jaipur.
24. Veterinary Officer, Jaipur.
25. Valuation office, Jaipur.
26. Director of Industries & Commerce, Jaipur.
27. Supdt., Post Offices, Jaipur.
28. Reserve Bank of India, Jaipur.
29. All India Radio, Jaipur.
30. Cantral Intelligence Officer, Jaipur,
31. Govt.. Secft., Jaipur.
32. Supdt. Gazetteers, Jaipur.
33. Secy., Relief & Rehabilitation, Jaipur.
34. Accountant General, Jaipur.
35. Mines & Geology, Jaipur.
36. C. E. Irrigation Jaipur.